द्वितीय माला, खण्ड १८--अंक १०

२२ अगस्त, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

148 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

†*३९२. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री कुमारन :
श्री पाणिग्रही :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दामानी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस करार की ओर आकृष्ट किया गया है जो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को जेट बमवर्षक जहाज़ दिये जाने के बारे में हुआ बताया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अमरीकन सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कुछ एक रिपोर्टें आई हैं।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में अमरीकन सरकार को भारत सरकार के रुख के बारे में सूचित कर दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इस सम्बन्ध में सावधानी के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है, ताकि दूर तक मार करने वाले इन बमवर्षक जेट जहाजों द्वारा हम पर कभी अकस्मात कोई आक्रमण न हो जाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं यहां पर उत्तर नहीं दे सकता । हम जो भी कार्यवाही करते हैं, उसकी घोषणा नहीं किया करते ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री, श्री अमजद अली, ने यह कहा है कि पाकिस्तान इस आशंका पर कि भारत ने ७३ कैनबेरा जेट जहाज़ खरीदे हैं, अमरीका से दूर तक मार करने वाले ये बमवर्षक जेट जहाज़ खरीद रहा है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में इस प्रकार की बातें नहीं पूछी जातीं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता मिलने के बाद पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में कितने सैनिक अड्डे स्थापित किये गये हैं, और उनमें कितने अड्डे अमरीकन सैनिक कर्मचारियों की देख रेख में चल रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो सर्व विदित है कि पाकिस्तान में बहुत से सैनिक केन्द्र और विमान क्षेत्र हैं । परन्तु यह बताना कठिन है कि उन में से कितने केन्द्र विदेशी अधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं । वैसे तो उनके परामर्शदाता विदेशी प्राधिकारी ही हैं, परन्तु यह बताना कठिन है कि क्या उन केन्द्रों पर किसी विदेशी प्राधिकारी का कोई नियंत्रण भी है या नहीं ।

†**श्री सूपकार** : जब ये जेट जहाज़ पाकिस्तान को उपहार के रूप में दिये जा रहे हैं, तो हम भी अमरीका से इसी प्रकार का कोई उपहार क्यों नहीं मांग लेते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये तो कार्य के लिये सुझाव मात्र है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि यह भारत है, पाकिस्तान नहीं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या इन सीमावर्ती छापों में पाकिस्तान अमरीका द्वारा संभरित शस्त्रास्त्रों का खुले आम प्रयोग कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन सीमावर्ती छापों में प्रायः छोटे शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, बड़े शस्त्रास्त्रों का नहीं । परन्तु यह बताना कठिन है कि क्या वे छोटे शस्त्रास्त्र विदेशों से आये हैं या वहीं पर तैयार किये जा रहे हैं । वे लोग इन छापों में टामी गनों तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं कि इस समय पाकिस्तान में कितने गैर-पाकिस्तानी राष्ट्रजन वाणिज्यिक विमान सेवा में चालक के रूप में काम कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी है कि इन बमवर्षक जेट जहाज़ों का संग्रह तथा उनका इस्तेमाल किस के नियंत्रण में रहेगा; क्या पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण में, या अमरीकन सरकार के या कि दोनों के ही नियंत्रण में रहेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनके आन्तरिक प्रबन्धों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है ।

भूमिहीन श्रमिकों का पुनः बसाया जाना

†*३९३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसरण में भूमिहीन श्रमिकों को पुनः बसाने की योजनाओं के बारे में परामर्श देने के लिये बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं; और यदि हां, तो किस किस राज्य में; और

(ख) क्या केन्द्र में भी इस प्रकार का कोई बोर्ड स्थापित किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) किसी भी राज्य में अभी तक इस प्रकार का बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या किसी भी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान बताया है कि वे इस प्रकार का बोर्ड कब तक स्थापित कर सकेंगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : उनमें से बहुत सी सरकारों ने यह सूचित किया है कि वे इस मामले पर विचार कर रही हैं । कुछ एक राज्यों में तो भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में अभी तक निर्णय ही नहीं किया गया है । अतः उनका विचार है कि अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले इस प्रकार के कुछ एक विधेयकों में सम्भवतः इस बारे में व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि लगभग २५ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि अभी तक बेकार पड़ी हुई है और वह सरकार के अधिकार में है; और यदि हां यह सच है, तो सरकार को भूमिहीन व्यक्तियों में इस बेकार भूमि का वितरण करने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना करने के लिये जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित होने और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा क्यों करनी होगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मेरा अनुमान है कि सभा में चर्चा के दौरान इस विषय पर कई बार विचार किया जा चुका है । ऐसी भूमि उतनी अधिक नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य बता रहे हैं । वास्तविक बात यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति का यह विचार था कि संभवतः अधिकतम सीमा निर्धारित करने, भूदान तथा ग्रामदान से पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकेगी ।

†**श्री रंगा** : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या अधिकतम सीमा निश्चित किये जाने आदि तक बोर्ड स्थापित नहीं किये जा सकते ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : जहां तक उन अन्य साधनों का सम्बन्ध है, जिनकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, उन से प्राप्त होने वाली भूमि पर उन

---

†मूल अंग्रजी में

भूमिविहीन श्रमिकों को पुनः बसाने का हमारा कार्यक्रम है, और बहुत से राज्यों में यह कार्य किया भी जा रहा है। अब तो हम इस बारे में कोई नया उपाय भी खोजने का प्रयत्न कर रहे थे।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भूमिहीन श्रमिकों को अभी तक कितनी भूमि बांटी जा चुकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सम्पूर्ण देश में ? सभी राज्यों में ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हमारे पास यह जानकारी नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : इस प्रश्न का सम्बन्ध भूमिहीन श्रमिकों को पुनः बसाने से है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि भूमिहीन श्रमिकों में अभी तक कितनी भूमि बांटी जा चुकी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस प्रश्न का भूमिहीन श्रमिकों को भूमि बांटने के प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस का सम्बन्ध भूमिहीन श्रमिकों को पुनः बसाने से है। अतः मैं वे आंकड़े इस समय नहीं बता सकता।

†**श्री जाधव** : इस प्रयोजन के लिये स्थापित किये गये बोर्डों का क्या स्वरूप है और उनके सदस्य कौन कौन हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : वे अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या जब तक ये बोर्ड स्थापित न होंगे तब तक यह भूमि वितरित न की जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी, नहीं। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, उस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु जहां तक इन भू-खण्डों का सम्बन्ध है, ये ज्यों ज्यों उपलब्ध होते जाते हैं त्यों त्यों पुनर्वास का कार्य किया जाता रहता है।

†**श्री त्यागी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि भूमि पर पहले ही पर्याप्त लोग आश्रित हैं, क्या सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को कुटीर उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों से पुनः बसाने की अन्य योजनाओं पर भी विचार किया है ?

†**श्री नन्दा** : निश्चय ही यही तो दूसरा उपाय है जिस पर हम इतना जोर दे रहे हैं। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देने के सम्बन्ध में हमारी जितनी इच्छा है, उतनी सीमा तक हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सके हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है, और क्या सरकार बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रही है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कुछ एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के समान ही अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्ट्रैप्टोमाइसीन का निर्माण

+

†*३९४. {श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रैप्टोमाइसीन के निर्माण के लिये नया कारखाना बनाने की योजना तैयार हो गयी है;

(ख) क्या कारखाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गयी है; और

(ग) क्या वहां पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक प्रारम्भिक अग्रिम प्राक्कलन तथा कारखाने की सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण के लिये प्रारम्भिक योजनायें तैयार कर ली गयी हैं। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का एक इंजीनियर इस समय अमरीका में विदेशी परामर्शदाताओं की सहायता से कारखाने की आवश्यक मशीनों और उसके नक्शे के सम्बन्ध में ब्योरेवार विवरण तैयार कर रहा है।

(ख) स्ट्रैप्टोमाइसीन का कारखाना पिम्परी फैक्टरी के वर्तमान स्थान के अन्दर ही लगाया जा सकता है। इसलिये कोई और स्थान अर्जित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

(ग) अभी नहीं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने इस कारखाने के निर्माण के लिये किसी अमरीकन सार्थ से करार कर लिया है; और यदि हां, तो उस करार की शत क्या हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा मैंने बताया है, यह करार प्रविधिक जानकारी और प्रविधिक सहायता तथा परामर्श प्राप्त करने के लिये किया गया है। वे लोग हम कोई मशीनरी आदि नहीं देंगे। हम तो उसके लिये अमरीका से टेंडर मांगेंगे और फिर सब से कम कीमत वाले और अच्छे से अच्छे संयंत्र खरीदेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस अमरीकन सार्थ को हम कितना परामर्श शुल्क देंगे और क्या अमरीकन आयात निर्यात बैंक की कोई यह भी शर्त है कि हम केवल अमरीका से ही टेन्डर मांग सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, परामर्श के लिये तो कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है। परन्तु वे हम से नक्शों आदि के सम्बन्ध में खर्च ले रहे हैं और वह खर्च अधिक से अधिक २५,००० डालर है जो कि संयंत्र तथा उसके उपकरणों की कीमत की तुलना में १ प्रतिशत खर्च से भी कम है। प्रविधिक जानकारी तथा प्रक्रिया के लिये कोई अधिकार शुल्क नहीं है, परन्तु हमें बिक्री पर २½ प्रतिशत राशि उन्हें देनी होगी और वह राशि होगी स्ट्रैप्टोमाइसीन के बारे में भारत और अमरीका में लगातार होने वाली गवेषणा के लिये गवेषणा-शुल्क के रूप में। जहां तक आयात निर्यात बैंक के ऋण का सम्बन्ध है, उसकी शर्तें स्टैण्डर्ड हैं, और सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में यही शर्तें लागू होती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस समय देश में कितना स्ट्रैप्टोमाइसीन तैयार होता है और बाहिर से कितना और कितनी कीमत का आयात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस समय देश में स्ट्रैप्टोमाइसीन, डाइहाइड्रो अथवा सिंगल, तैयार नहीं किया जा रहा है। वह बाहिर से मंगवाया जाता है और किन्हीं आयातकर्ताओं के द्वारा ही बोतलों में भरवाया जाता है। कुल सामान ३०,००० से ४०,००० किलोग्राम है जिसकी कीमत १.२ करोड़ से १.४ करोड़ तक है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि स्ट्रैप्टोमाइसीन के कारखाने के स्थापित हो जाने पर भी इस सम्बन्ध में देश की आवश्यकता पूरी न हो सकेगी; और यदि हां, तो हमें कितनी स्ट्रैप्टोमाइसीन बाहिर से आयात करनी पड़ेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उससे हम पूर्ण रूपेण आत्म निर्भर हो जायेंगे। और उसका उत्पादन बढ़ने पर सम्भव है कि हम उसका निर्यात भी कर सकेंगे।

†**श्री विमल घोष :** क्या रूसी सहयोग से एन्टीबायोटिक्स के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वास्तव में स्थिति यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि पिम्परी में तैयार की जाने वाली पैनिसिलीन और स्ट्रैप्टोमाइसीन इस देश में आगामी पांच वर्षों में पर्याप्त होगी। फिर भी यह अनुमान है कि इसका उत्पादन और अधिक बढ़ाना आवश्यक होगा। यदि आन्तरिक और बाह्य साधनों से हमें आवश्यक धन उपलब्ध हो सका तो सम्भव है कि हम एक और कारखाना भी लगा दें। परन्तु उसके सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों से अभी बातचीत चल रही है।

श्रमिकों के लिये आवास

†*३९५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने यह जानने के लिये कोई विशेष सर्वेक्षण किया है कि देश में मजदूरों की आवास सम्बन्धी समस्या कहां तक है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण प्रतिवेदन में लिखी गई मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) औद्योगिक मजदूरों की आवास सम्बन्धी समस्या का अनुमान लगाने के लिये बहुत सी राज्य सरकारें विशेष सर्वेक्षण कर रही हैं।

(ख) बहुत सी राज्य सरकारों से सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुये।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या अभी तक किसी भी राज्य से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री आबिद अली :** हमें बम्बई और राजस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। अन्य राज्यों के प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुये हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से रिपोर्टें मांगी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली है, केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार अपनी सीधी ज़िम्मेदारी महसूस करती है ? और अगर करती है तो जो यहां के बड़े बड़े मकान बनाने वाले मज़दूर हैं उनके लिये क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री आबिद अली : जी हां, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है ।

†**श्री सूपकार :** क्या कृषि मज़दूरों को मकान देने की समस्या के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली :** जी, नहीं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** बम्बई राज्य में ऐसे कितने मज़दूर हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं और जिनके लिये सरकार को व्यवस्था करनी है ?

†**श्री आबिद अली :** बम्बई सरकार के प्राक्कलन के अनुसार वहां की इस सम्बन्ध में वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिये लगभग १,१०,००० मकानों की आवश्यकता है । परन्तु जब ये मकान बन जायेंगे तो वर्तमान मकान बेकार हो जायेंगे और फिर नये मज़दूर भी तो शहर में आते रहेंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** पन्द्रहवें और सोलहवें श्रम सम्मेलनों में मज़दूरों के क्वार्टरों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये थे । क्या कोई ऐसे मिल मालिक हैं जिन्होंने मज़दूरों के लिये क्वार्टर बनाना स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने इसके लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** हमें ज्ञात हुआ है कि हमने राज्य सरकारों से जो प्रार्थना की थी उसके अनुसरण में उन्होंने नियोजकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और उस बारे में उन से बातचीत की थी । कुछ एक राज्यों में तो कुछ एक बातें तय भी कर ली गयी थीं और जैसा कि बताया गया है अन्य राज्यों में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ?

†**श्री बोस :** क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता अथवा ऋण से मज़दूरों के लिये कोई मकान बनाये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** लगभग ९८,००० मकान तैयार हो चुके हैं, उनमें से भी, १४,००० मकान नियोजकों द्वारा बनवाये गये हैं ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा 'जिहाद' आन्दोलन

+

†*३८९६ { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध चलाये जा रहे 'जेहाद' आन्दोलन से उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पिछले तीन महीनों में इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन पत्रों में क्या क्या लिखा गया है ;

(घ) क्या उनमें से कोई पत्र सुरक्षा परिषद् में परिचालित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही तो नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजे गये हैं और उससे यह प्रार्थना की गयी है कि वह इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करे ।

(घ) और (ङ). इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् के सभापति के पास यद्यपि कोई विशेष पत्र तो नहीं भेजा गया है, फिर भी भारत सरकार ने पाकिस्तान में किये जा रहे जेहाद सम्बन्धी प्रचार का सुरक्षा परिषद् के सभापति को भेजे गये उन सभी पत्रों में उल्लेख किया है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय द्वारा सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में परिचालित किये गये हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पाकिस्तान की प्रैस और राजनीतिज्ञों द्वारा किये जा रहे इस प्रचार से १९४८ के संकल्प के आधार पर ही कुठाराघात कर दिया गया है, क्या भारत सरकार उस संकल्प से छुटकारा पाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव दिया जा रहा है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य के संकल्प के छुटकारे का क्या तात्पर्य है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य १९४८ के किस संकल्प अथवा करार की ओर संकेत कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वास्तव में उस संकल्प में बताया गया था कि उसे किन किन शर्तों पर लागू किया जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण काश्मीर समस्या की ओर संकेत कर दिया है । मैं इस प्रकार के प्रश्न में उन सभी बातों के बारे में कैसे बता सकता हूं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि इस आन्दोलन से जम्मू और काश्मीर राज्य में भी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई है और क्या वहां पर कोई आन्दोलन विरोधी कार्य प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम यहां पर जेहाद आन्दोलन के विरुद्ध कोई और आन्दोलन नहीं चलायेंगे ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : दो तीन महीने गुजरे हैं, रूस ने पाकिस्तान को पत्र लिख कर यह पूछा था कि वह अमरीकी सहायता और पथ प्रदर्शन में जिहाद के लिये तैयारियां क्यों कर रहा है । क्या उस प्रकार के पत्र हमारी सरकार ने पाकिस्तान या अमरीका को लिखे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या ने हमें रूस द्वारा भेजे गये पत्र के बारे में जानकारी दी है। सम्भवत: रूस ने पाकिस्तान को उस प्रकार का पत्र भेजा था। परन्तु मैं समझ नहीं सका कि इस बारे में हम क्या कर सकते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या यह चाहती हैं कि हमारी सरकार को भी उन्हें पत्र भेजना चाहिये था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने बता दिया है कि हमने बारम्बार इस बात का उल्लेख किया है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय सभा सचिव ने यह बताया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह लिखा है कि वह भारत के विरुद्ध प्रचार न करे। परन्तु क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान के उत्तरदायी मंत्री भी इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं और जिहाद के लिये भाषण दे रहे हैं ? यदि हां, तो फिर उन्हें लिखने से क्या लाभ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल एक तर्क है। यह सच है कि माननीय सदस्य ने समाचार-पत्रों को पढ़ा है, परन्तु सरकार की तो समाचार पत्रों तक और भी अधिक पहुंच है। इसलिये यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि क्या सरकार को ज्ञात है या नहीं। मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मैं वास्तव में यह कहना चाहता था कि ऐसे लोगों को लिखने से क्या लाभ है जो कि स्वयं ही इस प्रकार का प्रचार करने के लिये ज़िम्मेवार हैं ? मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये कोई और उपाय अपनाया जाये।

†**श्री त्यागी** : आगामी मास पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ हमारे प्रधान मंत्री की जो बातचीत हो रही हैं क्या उसमें इस ज़िहाद के बारे में भी चर्चा की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसके लिये कोई निश्चित कार्यावलि तो नहीं है ; फिर भी हम विशेष रूप से सीमान्त झगड़ों के बारे में बातचीत करेंगे।

†**श्री त्यागी** : यह भी तो एक सीमान्त समस्या ही है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक सीमान्त समस्या नहीं है ; इसका सम्बन्ध सभी समस्याओं से है---यह पृष्ठभूमि है। और निस्सन्देह इस पृष्ठभूमि का अवश्य उल्लेख किया जायेगा, क्योंकि पृष्ठ भूमि के स्पष्टीकरण के बिना अग्रभूमि अस्पष्ट ही रह जाती है।

नारियल जटा उद्योग

†*३९८. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने उस राज्य में नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन और उसे स्थिरता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त योजना के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी गयी है ; और यदि हां तो कितनी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९९]**

†**श्री वासुदेवन् नायर** : विवरण में यह बताया गया है कि इस उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १५० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। इस राशि में से कितना धन पहले ही खर्च किया जा चुका है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो बाद में बढ़ाई हुई राशि है । पहले तो वास्तव में ४५ लाख रूपये निर्धारित किये गये थे और उनमें से पहले साल २६ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : विवरण में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये भेजी गयी योजना पर लगभग २.४६ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे । विवरण में यह भी लिखा हुआ है कि योजना के ब्यौरे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार योजना के किस प्रकार के ब्यौरों की प्रतीक्षा कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण में स्पष्टतया लिखा है कि उन्होंने इसके लिये कुल २४·६ लाख पयों की मांग की थी । हमने केरल सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह योजना पर फिर से विचार करे और खर्च की राशि को घटा कर १५० लाख रुपयों तक कर दे । अब हम उन्हीं ब्यौरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : दिनांक १३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा था कि देश में नारियल जटा उद्योग विकास योजनाओं की सफलता को आंकने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है । उसकी रिपोर्ट मई, १९५८ के अन्त तक आ जानी चाहिये थी । क्या वह रिपोर्ट आप के पास पहुंच गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : क्योंकि समिति के सभापति ने यह निवेदन किया था कि समिति को सहकारी संस्थाओं के कार्यों पर अच्छी प्रकार से विचार करना है और उसके लिये और अधिक समय की आवश्यकता है, अतः हमने तीन मास की अवधि बढ़ा दी । हमें आशा है कि उनका प्रतिवेदन इसी सप्ताह अथवा इसी पक्ष में प्राप्त हो जायेगा ।

प्रशान्त महासागर में उद्जन बम का परीक्षण

+

†*३९९. **श्री शिवनंजप्पा** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन सरकार ने इस ग्रीष्म काल में प्रशान्त महासागर में किये जाने वाले उद्जन बम के परीक्षण को देखने के लिये वैज्ञानिक प्रेक्षकों को भेजने के लिये भारत को आमंत्रित किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया था ; और

(ग) कितने वैज्ञानिक भेजे गये थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक समिति के सभी प्रतिनिधि सदस्य-राज्यों को यह निमंत्रण भेजा था कि वे परीक्षणार्थ किये जा रहे नाभिकीय विस्फोट का अवलोकन करने के लिये अपने अपने अर्हताप्राप्त वैज्ञानिकों को भेजें। भारत भी इस समिति का एक सदस्य है ; अतः उसे भी यह निमंत्रण प्राप्त हुआ था, परन्तु हमने उसे स्वीकार नहीं किया था ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : हमारी सरकार किन किन कारणों से वह निमंत्रण स्वीकार न कर सकी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमने यह महसूस किया कि इस प्रकार के परीक्षणों में भाग लेना हमारी सामान्य नीति के अनुकूल नहीं था ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : एक सूचना प्राप्त हुई है कि इस वर्ष पिछले तीन महीनों में प्रशान्त सागर में ३० से अधिक परीक्षण हुये हैं। जब कि जापानियों का कहना है कि केवल १५ परीक्षण हुये हैं। क्या हमारे पास इस बारे में कोई आंकड़े हैं कि वास्तव में कुल कितने परीक्षण किये गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं । आंकड़े तो अवश्य होंगे । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इस बारे में विभिन्न राज्यों के विभिन्न मत हैं। रूस ने उनकी एक संख्या बतायी है जो कि मेरा ख्याल है कि कुछ अधिक है, और जापान ने एक दूसरी संख्या बतायी है। अतः मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच है कि अमरीका अब इस प्रकार के परीक्षण निलम्बित करने वाला है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ संकेत मिले हैं। परन्तु मुझे इस बारे में विश्वास नहीं है ; आखिर यह एक समाचारपत्र की ही तो खबर है।

चटनी का निर्यात

†*४००. **श्री सूपकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से प्रतिवर्ष औसतन कितनी चटनी विदेशों को भेजी जाती है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ; और

(ख) सरकार ने विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से चटनी का निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १००]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** विवरण में बताया गया है कि १२.२५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है और इस उद्योग को उन्नत करने और उसके निर्यात की वृद्धि के लिये उपाय सुझाने के लिये एक उप-समिति स्थापित की गयी थी। उस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप उसके निर्यात में कितनी वृद्धि हो जायेगी और उससे कितनी राशि प्राप्त हो सकेगी ?

†**श्री कानूनगो :** इस सम्बन्ध में इसी वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रयत्न किये गये थे। इसलिये लगभग दो वर्षों के बाद ही तो इसका अन्दाज़ा लगाया जा सकेगा।

†**श्री तंगामणि :** क्या निर्यात में कोई वृद्धि होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उसी के लिये तो प्रयत्न किया जा रहा है।

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*४०२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मज़दूरों से पिछले कुछ समय से अभी तक ४८ घण्टे की निर्धारित अवधि के स्थान पर ५६ घण्टे प्रति सप्ताह काम लिया जा रहा है और उन्हें अधिक समय तक काम करने के बदले कोई भत्ता भी नहीं दिया जाता ?

(ख) क्या मज़दूरों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]**

†**श्री झूलन सिंह :** विवरण से यह ज्ञात होता है कि वहां के मजदूरों के परामर्श और उनकी स्वीकृति से ही १ जून, १९५६ तक की निर्धारित अवधि से कुछ अधिक घंटे तक काम करने का प्रबन्ध किया गया था। वे कितने घंटों तक अतिरिक्त काम करते हैं और उसके लिये उन्हें कितनी राशि अदा की जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह प्रश्न यहां उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि फैक्टरी अधिनियम की धारा ५९ के अधीन श्रमिक संघों और राज्य श्रमिक प्राधिकारियों की सहमति से इस प्रकार का प्रबन्ध किया जा सकता है। इसीलिये सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक समय तक काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका भत्ता दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष सैक्शन अथवा किसी विशेष वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह जानकारी दी जा सकती है।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या इस सम्बन्ध में मजदूरों ने एक मत से सहमति प्रकट की थी या कि यह केवल बहुमत से स्वीकार किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रबन्ध केवल प्रासैस प्लांट में ही किया गया था जहां पर कि निपुण मजदूरों की कमी थी, और वहां पर यह प्रबन्ध वहां के मजदूरों और राज्य श्रमिक प्राधिकारियों की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सहमति से पिछले तीन वर्षों से चल रहा है । इससे यह प्रकट होता है कि इस प्रबन्ध से कोई भी असंतुष्ट नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : जून १९५६ के बाद निपुण कर्मचारियों द्वारा भी अधिक समय तक काम नहीं किया गया है । क्या उस से पहले उस धारा के आधार पर उन्हें अधिक समय तक काम करने के बदले भत्ता मिलता था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, इससे तो यही तात्पर्य है ।

†**श्री झूलन सिंह** : १९५४ के अन्त में इस प्रबन्ध के प्रति एक दम असन्तोष क्यों फैल गया था जिसके परिणामस्वरूप उसे बदलना पड़ गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में इस बारे में दो पक्ष हैं जिनका मैं ने विवरण में उल्लेख किया है । पहली बात यह है कि उस प्रबन्ध का जिसे सिन्दरी के प्रारम्भिक दिनों में अपनाया गया था, तीन वर्षों के बाद आवश्यक नहीं समझा गया था, क्योंकि उस समय तक बहुत से नये निपुण मजदूरों को भी प्रशिक्षित कर लिया गया था । दूसरी बात यह है कि कुछ एक मजदूरों ने ऐसा अनुभव किया था कि वह प्रबन्ध कुछ असुविधाजनक था । अतः इस बारे में ज्यों ही सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए, हम ने उस की जांच की और फिर से फैक्टरी अधिनियम के अधीन वहां पर सामान्य शिफ्टें प्रारम्भ कर दीं ।

†**श्री बोस** : अतिरिक्त कार्य के लिये किये गये इस प्रबन्ध के परिणामस्वरूप क्या केवल प्रवीण मजदूरों से ही यह काम करवाया गया था या कि अन्य मजदूरों ने भी किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे अधिकतर तो प्रवीण मजदूर ही थे, परन्तु प्रासैस प्लांट में अप्रवीण मजदूरों को भी प्रवीण साथियों की सहायता करने के लिये एक आध घंटा अतिरिक्त काम करना पड़ता था । उन्हें भी अतिरिक्त समय के लिये फैक्टरी अधिनियम और मजूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार ही भत्ता दिया जाता था ।

विस्थापित व्यक्तियों के दावों की पड़ताल

†***४०३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के दावों की 'तत्काल' पड़ताल करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : ५ लाख रुपये तथा उस से अधिक कीमत की निष्क्राम्य सम्पत्तियों के ब्यौरों के आदान प्रदान के बारे में पाकिस्तान से किये गये करार के सम्बन्ध में भारत सरकार को पाकिस्तान से इस प्रकार की १७२ सम्पत्तियों की एक सूची प्राप्त हुई थी । कुछ एक सम्पत्तियों को छोड़कर शेष सभी सम्पत्तियों के बारे में दिये गये ब्यौरे इतने अस्पष्ट हैं कि उनका स्थान ढूंढ़ना भी असंभव था । इसलिये वह सूची उन्हें वापिस कर दी गई और यह लिख दिया गया था कि वे उन सम्पत्तियों के पूरे पूरे ब्यौरे लिखें । और उन्हें यह बताने के लिये कि सूचियों में किस किस प्रकार के ब्यौरे देने चाहियें, उन्हें ३० ऐसी सम्पत्तियों की एक छोटी सी सूची भेज दी गयी जिनका दावा भारत में विस्थापित व्यक्तियों ने दायर किया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस बारे में उसके बाद पाकिस्तान से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में नगरीय अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी दी है और यह बताया है कि ५ लाख रुपये तथा उससे अधिक कीमत की १७२ सम्पत्तियों की एक सूची प्राप्त हुई थी। इनके सम्बन्ध में हमें और कोई सूची प्राप्त नहीं हुई।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत ने भी ५ लाख अथवा उससे अधिक कीमत की सम्पत्तियों की कोई सूची पाकिस्तान को भेजी है ? यदि हां, तो कितनी सम्पत्तियों की सूची भेजी है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया था कि हम ने इस प्रकार की ३० सम्पत्तियों की सूची भेजी है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें पड़ताल के पूर्व मंजूर किये गये ऋण इसलिये रद्द कर दिये गये हैं कि पड़ताल समय पर नहीं की गयी थी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से अलग सा है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : कुल कितने आवेदन पत्र आये थे, उन में से अब कितने रहते हैं और उनके निपटाने में कुल कितना समय लगेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मूल प्रश्न का सम्बन्ध तो पाकिस्तान से सूचियों के आदान प्रदान से था। परन्तु माननीय सदस्य तो एक अलग ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्राथमिकता प्राप्त दावों में से कितनों की पड़ताल अभी रहती है और क्या मामलों की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए आयु सम्बन्धी सीमा को ६५ से घटा कर ६० वर्ष किया जा रहा है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : माननीय सदस्य से निवेदन हैं कि वे इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछें।

चीनी मिलों की मशीनरी का निर्माण

†*४०४. **श्री पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी मिलों की मशीनरी के निर्माण के लिये कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार का कोई कारखाना सरकारी क्षेत्र में भी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) छः सार्थों को विदेशी सार्थों के सहयोग से चीनी मिलों के लिये सम्पूर्ण संयंत्र तैयार करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त आठ और सार्थ भी हैं जो कि विशेष आर्डर पर चीनी मिलों की मशीनों के पुर्जे तैयार करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

†**श्री पाणिग्रही** : चीनी मिलों की मशीनरियों के सम्बन्ध में देश की कुल कितनी मांग है और उसमें से हम कितनी मांग पूरी कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राक्कलन के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ३५ करोड़ रुपयों की इस प्रकार की मशीनरी की मांग होगी। हमें आशा है कि जब ये छः की छः

---

†मूल अंग्रेजी में

फर्में तथा उनकी सहायक फर्में उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देगी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक देश में १४ सम्पूर्ण संयंत्र लग जायेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इन आठ में से कोई फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में भी लगाने की कोई संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि चीनी मिलों की मशीनरी कितनी फैक्टरियां तैयार कर रही हैं अथवा कितनी फैक्टरियों को लाइसेंस दिये गये हैं । उन में से किसी फैक्टरी को सरकारी क्षेत्र में लगाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जब बहुत सी गैर सरकारी फम स्वयं इस कार्य के लिये तैयार हैं और वे सम्पूर्ण मशीनरी को तैयार कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की मशीनरी तैयार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने कोई ऐसी तिथि निर्धारित की है जब तक कि गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी चीनी मिल के लिये सम्पूर्ण मशीनरी तैयार हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में यही प्रश्न उत्पन्न होता है । यह लाइसेंस तो लगभग सम्पूर्ण चीनी संयंत्र के लिये है । हो सकता है कि यह किसी एक ही फर्म द्वारा तैयार न हो सके और देश के सम्पूर्ण इंजीनियरी कौशल के संयुक्त प्रयत्नों से तैयार हो । अन्य आठों फर्में सिवाय मिलिंग मशीन के शेष सभी भाग तैयार करेंगी । मिलिंग मशीन पर बड़ा भारी खर्च आता है । आशा है कि वह रांची में स्थापित की जा रही फाउंडरी में तैयार की जायेगी । शेष सभी पुर्जे अन्य आठ फर्मों में तैयार किये जायेंगे । यह काम आगामी दो तीन वर्षों में हो जायेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इन मशीनों के निर्माण में किन किन विदेशी सार्थों का सम्बन्ध है ? क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग प्रविधि है, इसलिये हम यह जानना चाहते हैं कि इनके निर्माण में किन किन विदेशी सार्थों का सम्बन्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा सम्बन्ध एक तो जर्मन सार्थ से है, और दूसरा चैकोस्लोवाकिया की सार्थ से, तीसरा हालैंड की सार्थ से है, चौथा एक फ्रांसीसी सार्थ से, पांचवा एक स्काटलैंड की सार्थ से और एक ब्रिटिश सार्थ से है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब देश में खाद्य की इतनी कमी है, तो क्या शुगर मिलों को बढ़ाना आवश्यक है ?

श्री मनुभाई शाह : शुगर का बढ़ना आवश्यक ही है । क्योंकि जब प्रासपैरिटी बढ़ेगी, तो लोगों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे ।

†**श्री जाधव** : क्या छोटे पैमाने के यूनिट तैयार करने की कोई संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन सभी यूनिटों का निर्माण करते समय मितव्ययता को ध्यान में रखा जायेगा । जब कोई फैक्टरी बड़े यूनिट बनायेगी तो वह छोटे यूनिट भी निश्चित रूप से तैयार कर सकेगी ।

†**श्री दासप्पा** : यहां पर तैयार किये जाने वाले यूनिटों की कीमत आयात किये जा रहे यूनिटों की तुलना में कैसी रहेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरा ख्याल है कि यह कीमत उनके मुकाबले में उचित ही होगी । परन्तु भारी मशीनों के निर्माण में प्रारम्भ में तो उन देशों की अपेक्षा कुछ अधिक लागत आती ही है, जहां उसका निर्माण ४० या ५० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ हो। और जहां अधिक भाग में मशीनों का निर्माण हो रहा हो ।

†**श्री पाणिग्रही :** इन गैर-सरकारी लाइसेंसधारियों ने अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिये भारत सरकार से कुल कितनी विदेशी मुद्रा मांगी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अलग अलग फैक्टरियों ने अलग अलग राशियां मांगी हैं और ये राशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि वे किसी विशेष वर्ष में किस प्रक्रम से कार्य प्रारम्भ करेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुल राशि कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसका इस प्रकार से हिसाब नहीं लगाया जाता । कोई तो बायलर बनाता है और कोई मिलिंग मशीन ।

†**श्री पाणिग्रही :** मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम इन र-सरकारी लाइसेंस धारियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा का कोई अलग अलग हिसाब नहीं रखते ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, इस प्रकार के लाइसेंस देते समय विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखा जाता है और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि उन से निर्यात बढ़ाने और आयात में बचत करने में कहां तक सहायता मिलेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

+

†*४१०. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफल कार्यान्विती के लिये देश के श्रमजीवी वर्ग के कुछ एक विवादों के सम्बन्ध में सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों और अन्य अखिल भारतीय संघटनों से कोई करार करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि ही, तो इस काम को कब किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि भारतीय श्रम सम्मेलन में किये गये करारों और अन्य निर्णयों तथा अनुशासन की संहिता के अनुसार औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता में सहायता मिलेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० म० बनर्जी : क्या सरकार द्वितीय योजना काल में कोई औद्योगिक सन्धि करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो क्या उसके लिये सरकार केंद्रीय कार्मिक संघ और अन्य अखिल भारतीय संघटनों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार रखती है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : इस उद्देश्य के लिये निर्णय कर लिया गया है और उसे सदा ध्यान में रखा गया है। इन सभी यत्नों का, जिन पर पिछले कई महीने लग गये हैं, कुछ अच्छा ही परिणाम निकलेगा।

†श्री स० म० बनर्जी : योजना की सफलता के लिये पूरे दिल से काम करने के लिये मजदूरों को उत्साहित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ? अर्थात् उनके वेतनों में वृद्धि तथा लाभांश आदि में से क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री नन्दा : मुझे उन सभी कार्यवाहियों का उल्लेख करना पड़ेगा जो कि वैधानिक अथवा अन्य तरीकों से की गयी हैं।

†अध्यक्ष महोदय : उनके लिये स्फूर्ति की सब से बड़ी बात तो देशभक्ति होनी चाहिये।

†श्री तंगामणि : १९ और २० मई, १९५८ को नैनीताल में जो १६वां भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था, उस की समाप्ति पर केन्द्रीय कार्मिक संघ संघटनों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक हुई थी जिसमें आगार की संहिता निश्चित की गयी थी। अब उस प्रश्न पर और आगे विचार करने के लिये सभी केन्द्रीय संघटनों की आगामी बैठक कब बुलाई जा रही है ?

†श्री नन्दा : अनुशासन की संहिता तथा अन्य सम्बद्ध बातों की कार्यान्विती के सम्बन्ध में देख भाल करने के लिये एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग को सभी ओर से रिपोर्टें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वह इनके बारे में कार्यवाही भी कर रहा है। आशा है इस कार्य की प्रगति पर विचार करने के लिये एक दो महीनों में बैठक बुलायी जायेगी।

मंगला बांध

+

†*४११. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने मंगला बांध बनाने की अपनी योजना छोड़ दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका निर्माण सदा के लिये छोड़ दिया गया है या कि उसे कुछ समय के लिये रोक दिया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) एक पाकिस्तानी समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने इस खबर को गलत बताया है कि मंगला बांध परियोजना छोड़ी जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या पाकिस्तान सरकार के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह मंगला बांध प्रारम्भ करने से पहले उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श प्राप्त करे जिन पर इस बांध का असर पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या पाकिस्तान सरकार के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह मंगला बांध प्रारम्भ करने से पहले उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श प्राप्त करे जिन पर इस बांध का असर पड़ेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारा तो यही मत है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इस बांध को किसी और स्थान पर ब्रिटेन और अमरीका के सहयोग से बनवाने की एक और योजना बनायी है, और यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने इस बारे में कोई विरोध पत्र भेजा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इन सभी ब्यौरों के बारे में तो ज्ञान नहीं है, परन्तु जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इस काम को पूरा करने के लिये कुछ एक विदेशी सार्थों को ठेका दे दिया गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में १९४८ में किये गये करार के बारे में पाकिस्तान हम से अभी पिछले दिनों झगड़ रहा था तो हम भी मंगला बांध के सम्बन्ध में अपनी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत क्यों नहीं करते जिससे यह प्रकट हो सके कि हम सच्चे हैं। १९४८ के करार के बारे में न तो भारत में लोगों को पता है और न ही संसार के लोगों को । वह एक ऐसा करार था जिसे कायदे आज़म ने स्वीकार किया था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य किस करार का उल्लेख कर रहे हैं ? क्या वह मई, १९४८ में नहरी पानी के सम्बन्ध में किये गये करार के बारे में कह रहे है ?

†**श्री जोकीम आल्वा :** जी, हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक उसके प्रचार का सम्बन्ध है, हम ने बार बार उस करार का उल्लेख किया है। उसके प्रचार में कमी नहीं की गयी है । उसके सम्बन्ध में सभी को ज्ञात है । प्रश्न इस बात का नहीं है कि उसमें क्या क्या लिखा है, परन्तु बात यह है कि पाकिस्तान उस करार का बार बार उल्लंघन करता रहा है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के अधीन काश्मीरी क्षेत्र में भी बहां की जनता स्वयं इस बांध का विरोध कर रही है, क्या भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् के द्वारा अथवा किसी और प्रकार से कोई ऐसी कार्यवाही की है जिस से इस बांध का निर्माण रोका जा सके?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम ने सुरक्षा परिषद् में इस बारे में अपना विरोध पत्र भेज दिया है और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान के भीतर आग

+

†*४१३. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सधन गुप्त :
श्री बोस :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमीन के भीतर ही भीतर आग आसनसोल के निकट जोतिमुटुक रेलवे साइडिंग के नीचे स्थित कोयले के खंभों की ओर बढ़ती आ रही है और संभव है कि निकटस्थ रेल पथ बैठ जाये और १२ कोयला खानों और भारत के अलुमीनियम निगम को खान के भीतर की इस आग के कारण अपना मौजूदा स्थान छोड़ देना पड़े ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वास्तविकता क्या है और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या आसन्न संकट को रोकन के लिये कुछ कार्यवाही की गयी है, और यदि हां तो क्या ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). जोतिमुटुक रेल साइडिंग के दोनों ओर जमीन के भीतर आग मौजूद है और इस आग के आगे बढ़ आने और साइडिंग की स्थिरता को संकट में डाल देने की संभावना है। यदि साइडिंग को दूसरे स्थान पर न हटाया गया तो इस से काम लेने वाली कोयला खानों और अलुमीनियम फैक्टरी पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

जमीन के भीतर की इस आग से कोयला खानों या इस फैक्टरी को कोई संकट नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि सम्बन्धित कोयला खानों के मालिकों ने इस साइडिंग का खर्च देने का वादा किया है लेकिन फिर भी साइडिंग का निर्माण नहीं किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं। उन्होंने केवल सर्वेक्षण का खर्च दिया है। जहां तक यहां की जानकारी का सम्बन्ध है, कोयला खानों ने साइडिंग के निर्माण का खर्च नहीं दिया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इन कोयला खानों से कोयले की निकासी को सुरक्षित रखने के लिये इस साइडिंग का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, कोयले का यातायात जारी रखने के लिये एक साइडिंग का निर्माण होना चाहिये लेकिन सम्बन्धित पार्टियों को उसका खर्च देना पड़ेगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : कोयला खानों में हुई असंख्य दुर्घटनाओं का ध्यान रखते हुए क्या श्रम मंत्रालय इंसपेक्टरों और सुपरवाइजरों के अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में उनके प्रमाण-पत्रों की निरन्तर जांच करता है ?

†**श्री आबिद अली** : इनकी बड़ी बारीकी से जांच की जाती है लेकिन मेरा ख्याल है इसका माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस स्थान विशेष की आग लगभग २० वर्षों से जल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि सम्बन्धित कोयला खानों के मालिक साइडिंग के निर्माण पर लगने वाले खर्च की राशि जमा करने को तैयार हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मेरा सुझाव है कि यह प्रश्न रेलवे मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न--श्री ही० ना० मुकर्जी।

†**एक माननीय सदस्य** : वह उपस्थित नहीं हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : श्रीमन् यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा अनुरोध है कि इसे ले लिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न ले लूंगा।

केरल राज्य में राज्य व्यापार निगम

†*४२०. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की नियमावली और प्रतिष्ठान ज्ञापन पत्र पूंजी निर्गम के नियंत्रक[1] के पास उनकी मंजूरी के लिये भेज दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी को ये कागजात किस तारीख को मिले ; और

(ग) मांगी गयी मंजूरी अब तक क्यों नहीं दी गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) यह आवेदन पत्र पूंजी निर्गम के नियंत्रक के कार्यालय में २५ जनवरी, १९५८ को पहुँचा था।

(ग) देश के वैदेशिक व्यापार के संबंध में प्रस्तावित निगम के प्रभावों पर राज्य-सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : यदि मंजूरी दी जाने वाली हो तो कितने समय में दे दी जायेगी ?

†**श्री कानूनगो** : हाल ही में हमने राज्य-सरकारों के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी, और हमें आशा है कि शीघ्र ही कुछ निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार ने उनके कार्यों की सीमा निर्धारित कर दी है ताकि भारत के राज्य व्यापार निगम और राज्यों के राज्य-व्यापार निगम के हितों में परस्पर संघर्ष न हो ?

†**श्री कानूनगो** : हम इसी बात का तो अध्ययन कर रहे हैं।

नाभिकीय परीक्षण

†*४२१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाभिकीय परीक्षणों का पता लगाने के संबंध में जेनेवा में हाल ही पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Controller of Capital Issues.

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). जेनेवा में इस सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा है और उसने अभी निर्णयों की कुछ भी घोषणा नहीं की है। भारत इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यह खबर है कि जिन देशों में चावल खाया जाता है उनमें उन देशों की अपेक्षा नाभिकीय परीक्षणों का ६ गुना अधिक असर होता है जिनमें केवल दूध में से कैल्शियम निकाल लिया जाता है। जापान और भारत के बीच में पड़ने वाले देशों की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते क्या हम इस आशय का कोई विशेष प्रभाव पूर्ण प्रचार कर रहे हैं कि चावल खाने वाले इन देशों को पश्चिमी राष्ट्रों की अपेक्षा ६ गुना अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने ऐसा दिलचस्प सवाल उठाया है जिसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मुझे विस्तृत उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक या दो वाक्यों में शायद ही इसका उत्तर दे पाऊँ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस आशय का प्रभाव पूर्ण प्रचार करने के संबंध में उनके क्या विचार हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह प्रश्न जेनेवा के एक सम्मेलन के बारे में है—चावल या गेहूं या कुछ और खाने वालों पर इसके प्रभाव के बारे में नहीं।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच नहीं है कि वहां जो वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं वह इस मसले पर एक निश्चय पर पहुँच गये हैं और वे अपने प्रयासों में काफी सफल रहे हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हमें अधिकृत रूप से तो कोई जानकारी नहीं है परन्तु अखबारों की खबरों से पता चला है, और यह बड़ी खुशी की बात है, कि वह अपने प्रयासों में सफल रहे हैं और समझौते पर पहुंच गये हैं। लेकिन यह सब अधिकारी तौर पर पता नहीं है।

कार्य और अनुस्थापन केन्द्र[1]

†*४२२. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्य और अनुस्थापन केन्द्रों में अब तक कुल कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ख) अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद ये लोग क्या कार्य कर रहे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ९००।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि कार्य और नवीकरण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों का बम्बई के प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र की तरह बाद में ध्यान नहीं रखा जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work and orientation centres.

†**श्री आबिद अली** : इन प्रशिक्षार्थियों की सहायता के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवायें सदा उपलब्ध रहेंगी ।

†**श्री तंगामणि** : मेरा कहना यह है कि बम्बई में एक स्कूल है जहां प्रशिक्षण स्कूल में अन्य छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। जो छात्र वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण पाने के बाद काम मिलना सुनिश्चित रहता है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों के लिये भी ऐसी कोई योजना है जो कार्य और नवीकरण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि माननीय सदस्य पृथक सूचना दें तो मैं यह जानकारी दे दूँगा।

†**श्री तंगामणि** : मेरी बात तो सीधी सी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूर्व सूचना चाहिये यह कहने का क्या मतलब है कि बात सीधी है या टेढ़ी ।

†**श्री तंगामणि** : क्या कार्य और नवीकरण केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों के लिये नौकरी की व्यवस्था करने की कोई योजना है भी ?

†**श्री आबिद अली** : इसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। इसके लिये काम दिलाऊ दफ्तर हमेशा सहायता करते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : कोई नया केन्द्र चालू करने से पहले कम से कम इस बात का निश्चय कर लेगी कि जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये समुचित व्यवस्था हो गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये सुझाव है ।

इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात

†*४२३. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) १९५७-५८ में निम्नलिखित वस्तुओं का कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया :

१. बिजली के पंखे

२. सिलाई की मशीनें

३. बिजली के लट्टू (बल्ब)

४. डीज़ल इंजन और पम्प ; और

(ख) क्या इन चीजों के फालतू पुर्जों के संभरण और बिक्री के बाद की देखरेख के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५७–५८ में इन वस्तुओं के निर्यात का मूल्य इस प्रकार था :

मद	मूल्य रुपयों में
१. बिजली के पंखे (सम्पूर्ण)	२१,५३,७८८
बिजली के पंखे (हिस्से)	७,७१२
२. सिलाई की मशीनें (सम्पूर्ण)	६,७६,५०२
सिलाई की मशीनें (हिस्से)	१,६८,१५७
३. बिजली के लट्टू (बल्ब)	८,५००
४. (क) डीजल इंजन	१०,३३,९८९
(ख) पम्प (सेण्ट्रीफ्यूगल)	१,१७,१७०

(ख) जी हां ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम** : पिछले वर्षों के आकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं और चालू वर्ष में निर्यात बढ़ा है या घटा ?

†**श्री कानूनगो** : अभी से चालू वर्ष के आंकड़ों के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन उसके बढ़ जाने की संभावना है और पिछले वर्षों की अपेक्षा अब स्थिति में सुधार हुआ है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ को एनकरेजमेंट देने के लिए, उनकी किन किन तरीकों से मदद की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : रा-मैटीरियल सप्लाई करने में तथा रिप्लेसमेंट्स देने के लिए बहुत सी एक्सपोर्ट प्रोमोशन प्रोपोज़ल्स बहुत मददगार साबित हुई हैं ।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियां

***४२४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : दिल्ली व नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में रहने वालों को और अधिक सुविधायें देने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये जिस सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप इन बस्तियों में अब तक कौन-कौन सी सुविधायें दी गयी हैं या दी जाने वाली हैं ; और

(ग) ये सुविधायें किन-किन बस्तियों में दी गयी हैं ?

उपमंत्री, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् यह जो विवरण सभा पटल पर रखा गय है इसमें बताया गया है कि इस समिति ने कुछ इलाकों का जाकर के निरीक्षण किया और जो सिफारिशें या सुझाव दिये हैं उनको नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या जो विभिन्न मंत्रालय इत्यादि हैं उनके पास भेंज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस बारे में छानबीन की जा रही है या पता लगाया जा रहा है कि उन पर कुछ अमल भी हो रहा है या केवल सिफारिशों तक ही वह सीमित है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जिन सुविधाओं का प्रबन्ध करना है वह किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जिन विभिन्न प्राधिकारियों को इन कार्यों को पूरा करना है उन्हें इस समिति की सिफारिशों की सूचना दे दी गयी है और ये प्राधिकारी इस समिति को यथासमय किये गये कार्य की सूचना दे देंगे ।

†**श्री भक्त दर्शन** : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इन ड्यू कोर्स (यथासमय) यह काम हो जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इन ड्यू कोर्स की क्या परिभाषा है और देर से देर कब तक यह काम पूरा होने की आशा की जा सकती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं बता चुका हूँ कि भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न प्राधिकारियों को करने हैं। काम पूरा कर लेने के बाद इन प्राधिकारियों को उसकी सूचना देनी है। इस समिति की बैठकें अब भी हो रही हैं और समय समय पर वह किये जाने वाले कार्य की सूचना सरकार को देती रहेगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् इस विवरण में एक सूची दी गई है कि कई इस तरह की सुविधायें यानी अमेनिटीज़ इन बस्तियों में दी जा चुकी हैं या दी जाने वाली हैं। उन में से एक सुविधा लिखी गई है, 'थाने की'। मैं जानना चाहता हूं कि यह वहां के निवासियों के लिये कौन सी सुविधा प्रदान करेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां। मेरा ख्याल है कि एक या दो मुहल्लों के बारे में यह सिफारिश की गयी थी कि वहां पुलिस चौकी होनी चाहिये। उदाहरण के लिये, मोती बाग बस्ती के लिये यह सिफारिश है कि वहां पुलिस चौकी होनी चाहिये। वह स्थान चुना जा चुका है और दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। विनय नगर के बारे में यह सिफारिश है कि पुलिस चौकी के लिये मांग आने पर उसके लिये स्थान चुना जायेगा। स्पष्ट है कि यह बात अभी समिति के सामने नहीं है। वेस्ट विनय नगर के बारे में पुलिस चौकी का कोई उपबन्ध नहीं है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : बिजली घर के मज़दूरों के लिये क्या सुविधायें दी गयी हैं ? मैंने देखा है कि उनके क्वार्टरों में कोई भी सुविधा नहीं है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह प्रश्न सरकारी बस्तियों में सुविधाओं के संबंध में है। पता नहीं माननीय सदस्य किस बस्ती के बारे में कह रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में हमने देखा है कि स्थायी मंत्रणा समिति ने उन्हीं सुविधाओं के संबंध में विचार किया है जो नयी बनी दो-तीन बस्तियों—जैसे मोती बाग, विनय नगर और वेस्ट-विनय नगर में दी जानी हैं। क्या यह सच नहीं है कि जो नयी बस्तियां बनायी गयी हैं उनमें, विशेष रूप से मोती बाग में ऐसी एक भी स्थायी दूकान नहीं है जहां से परचून तक का सामान यहां तक कि

---

†मूल अंग्रेजी में

साग-सब्जियां भी ली जा सकें ? एक सिफारिश इसकी भी है। क्या इसे प्राथमिकता दी जायेगी और क्या ये दूकानें खोली जायेंगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी हां। मोती बाग बस्ती का जो पूरा नक्शा है उसमें ८६ दूकानों की जगह समिति मंजूर कर चुकी है। इन में से नीचे की एक दूकान आटे की चक्की के लिये सुरक्षित है और दो कोयले की डिपुओं के लिये। इन दूकानों के निर्माण के लिये लगभग ८ महीने का समय निश्चित किया गया है।

†**श्री तंगामणि :** यह बस्ती तो बस चुकी है।

†**श्री भक्त दर्शन :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि इस सूची में जो थाना लिखा हुआ है तो क्या सरकार उसे भी वहां के लिये एक सुविधा समझती है, या कि वह उनकी रक्षा के लिये है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मेरा ख्याल है कि कुछ हलकों में पुलिस थाने को आवश्यक समझा जाता है।

आणविक विकिरण के प्रभावों के बारे में संयुक्त राष्ट्रीय समिति

†*४२५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक विकिरण के प्रभावों के बारे में संयुक्त राष्ट्रीय समिति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महा सभा ने उस पर विचार कर लिया है ; और

(ग) उस के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव : (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री श्रीनारायण दास:** क्या यह प्रतिवेदन भारत सरकार के पास उपलब्ध है और यदि हां तो क्या उस का अध्ययन किया गया है और क्या भारत सरकार उससे पूर्णत: सहमत है ?

†**श्री सादत अली खां :** यह प्रतिवेदन १० अगस्त, १९५८ को प्राकाशित किया गया था। अब तक अणु-शक्ति विभाग को इस की केवल एक ही प्रति मिली है। अतिरिक्त प्रतियां आने पर उसका एक सेट लोक-सभा और राज्य-सभा के पुस्तकालय को भेज दिया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या भारत सरकार ने इस प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है और क्या भारत सरकार इस प्रतिवेदन से पूर्णत: सहमत है या उस का कुछ मतभेद है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : यह प्रतिवेदन वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ समिति का है । उस की आलोचना करना भारत सरकार का काम नहीं है । लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस प्रतिवेदन का बड़ा प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह प्रतिवेदन सर्वसम्मत है या सदस्यों के बीच कुछ मतभेद था ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : जहां तक मुझे याद है, यह सर्वसम्मत प्रतिवेदन है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि चर्चा के समय किसी नाजुक मौक़े पर भारत एक पैरा का प्रारूप प्रस्तुत करेगा जिसे अमरीका और फ्रांस ने स्वीकार कर लिया है ?
क्या हम उस पैराग्राफ को देख सकते हैं और क्या उसे सब के पास भेजा जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे याद नहीं है । मुझे याद नहीं कि यह किस स्थिति में है क्योंकि चर्चा तो चलती ही रहती है । उस की शब्दावली, वाक्य-विन्यास आदि के बारे में चर्चा चलती ही रहती है । मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य किस विशेष पैरा का जिक्र कर रहे हैं ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

\+

†*४२६. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ;

(ख) इस संगठन को चलाने के लिये किस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ; और

(ग) नमक के संसाधनों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य के अधिकारों को कायम रखने के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग)। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सरकार ने किन शर्तों पर वह जमीन राजस्थान सरकार से पट्टे पर ले ली है और क्या यह सच नहीं है कि नमक का कारखाना पूरे साज़ सामान के साथ लिया गया है और इस प्रकार उन्हों ने उस राज्य की कमजोर स्थिति का लाभ उठाया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में, शर्तें प्रायः वही हैं जो संधियों में होती हैं । जब सरकार ने इस कारखाने को चलाने के लिये उस का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तब हमें जमीन के वार्षिक किराये के रूप में ८ से १० लाख रुपये और नमक के उत्पादन का ४० प्रतिशत देना पड़ेगा जो वर्ष में १२ से १४ लाख रुपये हो जाता है । यह कहना सही नहीं है कि स्थिति से लाभ उठाया गया है । वित्तीय एकीकरण की शर्तों के अधीन यह करार ३१ मार्च, १९६० तक वैध रहेगा और हम एक दीर्घकालीन करार के लिये भी बातचीत चला रहे हैं । हाल ही में अगले हफ्ते के लिये एक सम्मेलन बुलाया गया है, उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री यहां आ रहे हैं और हम उन से इस मसले पर चर्चा करने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह कम्पनी राजस्थान सरकार की, जो आज नमक के उस कारखाने की वास्तव में मालिक है, राजी से बनाई गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इस की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जमीन की स्वामी है, नमक के कारखाने की नहीं । केन्द्रीय सरकार ने संधि के अधिकार के अधीन जमीन पट्टे पर ले ली है । पहले राजस्थान के शासकों ने यह जमीन ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दी थी और भारत की स्वाधीनता के बाद केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रशासन की प्रभुता के अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे और राजाओं के अधिकार राजस्थान सरकार को मिल गये थे । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच यथास्थिति कायम रहेगी ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : लोक हित में, और स्वयं अपने हित में राजस्थान सरकार को इस उद्योग को चलाने देने में क्या आपत्ति थी, और पचभद्र नमक के कारखाने का क्या होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सांभर, दिदवाना और पचभद्र नमक के कारखानों के आविर्भाव के बाद से इन का प्रबन्ध और संचालन केन्द्रीय सरकार ही करती रही है और यह स्वाभाविक ही था कि लोक हित में वही स्थिति कायम रहे ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे गवर्नमेंट को सांभर साल्ट से जो नेट इनकम होती थी, पहले, अब उस से कितनी ज्यादा इनकम होगी ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक इनकम का ताल्लुक है, वह दो किस्म की है । एक तो जो डिपार्टमेंट उसको रन करता था उसको जो प्राफिट होता था, वह, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो साढ़े तीन आने मन का सेस मिलता है, वह । दोनों बातें आज भी चालू हैं । जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आमदनी बढ़ती जाती है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि कुछ उपोत्पाद भी निकाले जायेंगे । क्या इन उपोत्पादों को निकालने की योजना तैयार कर ली गई है और कौन-कौन से उपोत्पाद निकाले जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्रीमन्, आप की अनुमति से मैं इस प्रश्न को प्रश्न संख्या ४२८ के साथ मिलाना चाहता हूं जो बिल्कुल इसी विषय के बारे में है । सरकार देश में, और विशेष रूप से राजस्थान के नमक के कारखाने के सभी उपोत्पादों को निकालने का विचार कर रही है क्योंकि जिप्सम और सोडियम सल्फेट दोनों ही यहां उपलब्ध उपोत्पादों से बड़ी मात्रा में उपलब्ध किये जा सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उपोत्पादों का एक कारखाना स्थापित करने का विचार किया था, और यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने इस कारखाने को अब अपने हाथ में ले लिया है, क्या राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को यों ही रहने दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । यह सच है कि किसी समय राजस्थान सरकार ने सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित करने का विचार किया था । हम ने भी उन से चर्चा और बातचीत चलाई है और जो मौजूदा प्रस्ताव विचाराधीन है उस के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों उपोत्पादों से लाभ उठाने के लिये मिल कर कार्य करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोडियम सल्फेट और जिप्सम

+

†*४२८. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रासायनिक उद्योगों की मांग पूरी करने के लिये साल्ट बिटर्स से सोडियम सल्फेट और जिप्सम सरीखे उपोत्पाद बनाने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

(ख) यदि हां तो इस दिशा में उठाये गये कार्यों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) क्या इस प्रकार के उपोत्पादों की प्राप्ति के लिये केरल में एक अग्रिम संयंत्र लगाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०४]**

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या इसका यह अर्थ समझा जाये कि देश में उत्पन्न होने वाले सोडियम सल्फेट और जिप्सम की वर्तमान मात्रा रासायनिक उद्योग की मांग पूरी करने में समर्थ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी बात नहीं है । इसीलिये नमक उद्योग में उपलब्ध सम्पूर्ण उपोत्पाद का उपयोग किया जा रहा है ।

सिन्दरी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*४२९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में उर्वरक के निर्माण के लिये एकत्रित जिप्सम में निरन्तर बढ़ती हुई हानि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धिगत हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०५]**

†**श्री झूलन सिंह** : पुस्तक के खाते से जब यथार्थ स्टाक की तुलना की गई तो कितने जिप्सम की कमी रही ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा मैंने विवरण में बताया है जिप्सम की कमी वस्तुतः परोक्ष रूप में ही है क्योंकि वहां इस के लिये नियमित गोदाम नहीं बने हुए हैं और जिप्सम अपने भार के कारण जमीन में बैठ जाता है । अतः यह केवल प्रकट रूप में ही हानि है । इस में न तो वास्तविक हानि है और न पुस्तक के लेखे के अनुसार ही वह कम है । इसीलिये मैंने विवरण में बताया है कि नये गोदाम बनाये जायेंगे और इस प्रकार की हानि समाप्त हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री झूलन सिंह** : इस प्रकट रूपेण हानि की मात्रा और आकार क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य घटे हुए जिप्सम की निश्चित मात्रा जानना चाहते हैं तो मैं इस विषय में निवेदन कर दूं कि मात्रा इतनी नगण्य है कि उसके लिये मजदूर लगाना भी उचित नहीं है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार इस दिशा में निश्चिन्त है कि यह हानि प्रकट रूप में ही और किसी ने इस की चोरी नहीं की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं लोक सभा को यह आश्वासन दे दूं कि उसकी कमी चोरी के कारण नहीं हुई है क्योंकि वहां उचित निगरानी रखी जाती है और जिप्सम की चोरी भी नहीं होती है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न संख्या ४१४–"मंत्रालयों में समन्वय" महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोठागुडियम में अपमोचन केन्द्र[1]

†*३९७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोठागुडियम में अपमोचन केन्द्र की स्थापना के लिये कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ; और

(ख) इस केन्द्र की स्थापना के लिये भवन निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोयला खान सहायता नियमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि सिंगरेनी कोयला खानों में सहायता केन्द्र की स्थापना और इस कार्य के लिये उत्पादन शुल्क लगाया जाये । उपरोक्त शुल्क के माध्यम से आवश्यक निधि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ।

लाजपत राय मार्केट में दुकानें

†*४०१. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल किले के सामने लाजपत राय मार्केट में कितनी दुकानें बनाई गई हैं;

(ख) क्या ये नवनिर्मित दुकानें दुकानदारों को आवंटित कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ३८२ दुकानें और ८० स्टाल ।

(ख) अभी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rescue Station

(ग) पुराने लाजपत राय मार्केट के कुछ स्टाल होल्डर्स एसोसिएशनों ने आवंटन के बारे में कुछ सुझाव दिये थे । आवंटन की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के पूर्व उनका परीक्षण किया जायेगा।

परियोजनायें

†*४०५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस्पात की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देने के परिणामस्वरूप सरकारी परियोजनाओं (सरकारी उद्योग क्षेत्र) में कुल कितनी अतिरिक्त लागत अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ख) इस्पात और सीमेंट की कीमतें बढ़ जाने के फलस्वरूप सरकारी उद्योग क्षेत्र में योजनाओं की लागत में प्राक्कलन की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). सरकारी उद्योग क्षेत्र में परियोजनाओं की लागत के प्राक्कलन में वृद्धि के अनेक कारण हैं । कच्चा सामान, मजूरी, मशीनें और उपकरण आदि अनेक वस्तुओं की कीमतों का इस पर प्रभाव पड़ा है । अतिरिक्त लागत में एक या दो वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव का पृथक रूप में अध्ययन करना अत्यन्त कठिन है। इस के अतिरिक्त उस में विभिन्न प्रकार के इस्पात का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक प्रकार के इस्पात की मात्रा और उसके अलग अलग कीमतों की विशद गणना करना होगी । परियोजना की क्रियान्विति के दौरान अलग-अलग अवस्थाओं में इस्पात की कीमतें भी बदलती रही हैं । अतः सरकारी उद्योग क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिये व्यापक जानकारी संग्रह करना होगा और अन्ततोगत्वा तैयार किये गये परिणाम की उपयोगिता और निश्चितता इन पर, लगाये गये समय और श्रम की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं होगी ।

अल्जीरिया

†*४०६. **श्री कुमारन :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अल्जीरिया विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिये २२ मई, १९५६ को लोकसभा में जिन पांच प्रस्तावों का उल्लेख किया था उन के अनुसरण में भारत सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : उन प्रस्तावों का मूल उद्देश्य सम्बन्धित दलों से अल्जीरिया में शांतिपूर्ण स्थिति की स्थापना और सीधी वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से उस समस्या के हल का प्रयत्न करना था । भारत सरकार अपने प्रस्तावों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करना वांछनीय नहीं समझता और यह बात सम्बन्धित दलों पर छोड़ दी गई कि वे जो भी कार्यवाही चाहें कर सकते हैं । मिस्र और पश्चिमी एशिया में घटनाचक्र को दृष्टिगत करते हुए ये पार्टियां प्रकट रूप में परस्पर नहीं मिल सकीं ।

अब यह प्रश्न महासभा के समक्ष विचारार्थ है और भारत सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है कि शान्तिपूर्ण ढंग से इस का हल हो जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात संवर्द्धन

†*४०७. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि जिस के आधार पर बैंकों से निर्यात संवर्द्धन में सक्रिय भाग लेने के लिये कहा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या स्वरूप है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). निर्यात के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को समुन्नत करने और व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता का परीक्षण सरकार बैंक विशेषज्ञों के परामर्श से कर रही है ।

भारत का मानचित्र

†*४०८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अवगत है कि बेंजामिन इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लन्दन ने उन के बेंजामिन उत्पादों के लिये दिल्ली से प्रकाशित टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक १३ जून,१९५८ को एक विज्ञापन छपवाया था ।

(ख) क्या यह सच है कि इस विज्ञापन में भारत का एक मानचित्र बताया गया था जिस में भारत राज्य क्षेत्र सफेद रंग द्वारा इंगित किया गया था और पाकिस्तान राज्य काले रंग द्वारा चित्रित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी मानचित्र में काश्मीर को भारत की सीमा रेखा से बाहर काले रंग में प्रदर्शित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध, जिस की शाखायें, भारत में अवस्थित हैं, उपरोक्त विज्ञापन को वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस में काश्मीर भारतीय सीमा के बाहर रेखा से बाहर बताया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस विषय की ओर सम्पादक का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

निर्यात संवर्द्धन समिति

†*४०९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें क्या क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात संवर्द्धन समिति के प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और निर्णय का विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]**

सीमेंट उद्योग के लिये मशीनें

†*४१२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटियां :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उद्योग के लिये मशीनें भारत में निर्माण करने के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मेसर्स एसोसियटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड सीमेंट की मशीनों के कुछ पुर्जों का स्वयं निर्माण कर रहे हैं ; और

(घ) क्या सीमेंट उद्योग की मशीनें अथवा इन मशीनों के अधिकांश पुर्जे द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में ही बनाये जा सकते हैं ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन सीमेंट की मशीनें और तत्सम्बन्धी पुर्जों के लिये पांच फर्में पंजीकृत हुई हैं अथवा उन्हें इस के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमेंट उद्योग की अधिकांश मशीनें भारत में ही निर्माण होने की सम्भावना है ।

मंत्रालयों में समन्वय

†*४१४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट वाद-विवाद के समय तत्कालीन सिंचाई और विद्युत् मंत्री श्री स० का० पाटिल द्वारा निर्दिष्ट विसंगति की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में समन्वय का अभाव है; और

(ख) इस विसंगति का सुधार करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : जी, हां । तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री न अपने भाषण में कृषि समस्याओं से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध विभिन्न एजेंसियों का उल्लेख किया था । उन्होंने विशेषत: कृषि के राज्य मंत्रालयों की ओर निर्देश किया था ।

भूतकाल में वास्तविक कठिनाई केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय के बारे में इतनी नहीं हुई है जितनी राज्यों के कृषि विभागों के बारे में है । विभिन्न तरीकों से इन विभिन्न कार्यों में

---

†मूल अंग्रेजी में

समन्वय स्थापित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं और इन प्रयत्नों में पर्याप्त सफलता मिली है। योजना आयोग और खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रालय कृषि और खाद्य उत्पादन के बारे में राज्यों से निकट सम्पर्क बना रहे हैं।

उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना

†*४१५. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिये अब कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है।

व्यंगचित्रों[1] का आयात

†*४१६. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समाचार पत्र व्यंगचित्रों को यहां उन्हें पुनः प्रकाशित करने के आशय से उनका वृद्धिगत मात्रा में आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अनुमानित कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विभिन्न समाचारपत्रों में क्रमबद्ध रूप में प्रकाशित होने वाले कार्टून (व्यंगचित्र) सांचों[2] के रूप में आयात किये जाते हैं जो स्थानीय समाचार पत्रों में पुनः छापे जाते हैं। इनका कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है और जो विदेशी सिंडीकेट उनका नियंत्रण एवं संभरण करते हैं उन्हें प्रकाशन अधिकार के लिये कुछ देना पड़ता है। ये सांचे पत्र डाक पैकेट के रूप में आयात किये जाते हैं और उनके आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

ब्रिटेन को निर्यात

†*४१८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५८ की प्रथम तिमाही में ब्रिटेन को कुल कितने मूल्य की वस्तुएं निर्यात की गई हैं;

(ख) १९५७ की समनुवर्ती अवधि में ब्रिटेन को निर्यात की गई वस्तुओं का कितना मूल्य है; और

(ग) यदि निर्यात में कमी हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ३५८१ लाख रुपये।

(ख) ४५२५ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cartoon Series.

[2] Matrices.

(ग) जनवरी-मार्च १९५८ में जनवरी-मार्च १९५७ की अपेक्षा ब्रिटेन के निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है क्योंकि ब्रिटेन ने चाय के आयात में कमी कर दी है और कपास, सूती वस्त्रोत्पाद, चमड़ा, काजू और गरम मसाले आदि के आयात में भी कमी हुई है। चीजों के भाव में सामान्य गिरावट के फलस्वरूप चाय तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य में भी कुछ कमी हुई है।

रवीन्द्र संगीत के देर तक बजने वाले रेकार्ड

†*४१९. **श्री बाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ में टैगोर के शताब्दी समारोह के अवसर पर सरकार रवीन्द्र संगीत के देर तक बजने वाले रेकार्ड तैयार करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां।

(ख) अभी ब्यौरा तय नहीं किया गया है।

खनन बोर्ड

†*४२७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन बोर्ड की रचना के लिये अपेक्षित विस्तृत जानकारी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खनन बोर्ड की रचना कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी प्राप्त होते ही बोर्ड स्थापित कर दिया जायेगा।

पशुओं की खालों का निर्यात

†*४३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु बोर्ड ने वन्य पशुओं की खालों के निर्यात के बारे में एक नई नीति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं। किन्तु वन्य पशु बोर्ड ने फरवरी १९५८ में सिफारिश की थी कि रेंगने वाले कुछ जन्तुओं के चमड़े का निर्यात बन्द कर दिया जाय।

(ख) सिफारिश का प्रयोजन यह था कि मगर और वारानस साल्वेटर[1] नस्ल की छिपकलियों की खाल और अन्य उत्पाद की अनुमति न दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Varanus Salvator

(ग) इनके उत्पाद के निर्यात की आजकल अनुमति नहीं है किन्तु निर्यात संवर्द्धन के हित की दृष्टि से इस नीति का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†*४३१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के प्रशासन को केन्द्र से राज्यों में स्थानान्तरित करने की शर्तें अब सम्पूर्ण राज्य सरकारों द्वारा पूरी कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समझौते की शर्तें पूरी न करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) समझौते की शर्तें सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तम्बाकू का आयात

†*४३२: { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:**
श्री दामानी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी कृषि विभाग ने भारत द्वारा रुपयों में लगभग १२०० मीट्रिक टन बिना तैयार की हुई तम्बाकू की खरीद का अधिकृत रूप दे दिया है और उसके मूल्य का कुछ भाग आर्थिक विकास योजनाओं के लिये भारत को ही ऋण में दे दिया जायेगा;

(ख) यह तम्बाकू किस लिये प्रयुक्त की जायेगी;

(ग) क्या इसे तम्बाकू के सौदे के पेटे प्राप्त ऋण की रकम किसी विशिष्ट योजना के लिये निर्धारित की गई है; और

(घ) इस ऋण को पुनः भुगतान करने की क्या शर्तें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०७]**

श्री लंका से लौटे हुए भारतीय

†*४३३. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से लौटे हुए भारतीय भारतीयों की अवस्था के अध्ययन के लिये मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन का भारत सरकार ने परीक्षण किया है;

(ख) क्या विशेष अधिकारी की सिफारिश के अनुसार इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये मद्रास सरकार ने किसी प्रकार सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की थी और कितनी प्रदान की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) श्रीलंका से लौटे हुए भारतीयों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार को मद्रास सरकार से निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

१. सहकारिता के आधार पर तिरुनेलवेली में स्थापित किये जाने वाले दो कताई मिलों में से प्रत्येक को २० लाख रुपये का अनुदान ।

२. लौटे हुए भारतीय व्यापारियों को निर्यात एवं आयात प्रतिबन्धों से मुक्त करने का प्रस्ताव ।

३. रेलवे और डाक तथा तार विभाग में नियोजन हेतु वापस लौटे भारतीयों के प्रति विशेष व्यवहार करने का प्रस्ताव ।

४. लौटे हुए भारतीयों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतों के अनुदान का प्रस्ताव ।

५. नौकरी देने के प्रयोजन से प्राथमिकता की सूची में अन्तिम श्रेणी में उल्लिखित 'अन्य' के ऊपर लौटे हुए भारतीयों को एक अवस्था ऊपर स्थान देने का प्रस्ताव ।

विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि :

(१) श्रीलंका से लौटे भारतीय न निराश्रित हैं और न अपाहिज;

(२) वे सामान्यतया अपनी आमदनी और अधिकृत वस्तुएं वापस लेकर आते हैं;

(३) भारतीय सीमा शुल्क द्वारा उनके प्रति अत्यधिक सहिष्णुता का व्यवहार किया जाता है ;

(४) अतः श्रीलंका से लौटे हुए विस्थापित भारतीयों को किसी विशेष सहायता देने की भारत सरकार को आवश्यकता नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के लिये ढोर

†*४३४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में अप्रैल और मई, १९५८ में भयानक संक्रामक रोग से वृहद् संख्या में ढोर मर गये;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने आसाम और भारत सरकार से प्रार्थना की है कि पूर्वी पाकिस्तान में कृषि कार्य के लिये आसाम और बिहार से ढोरों की निकासी की अनुमति दी जाये; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई विशिष्ट कार्यवाही की है कि इन विशिष्ट परिस्थितियों में ढोर चोरी से वहां न पहुंचने पायें ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हम ने इस आशय के समाचार अखबारों में देखे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आसाम सरकार और त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तान में चोरी से ढोर न जाने देने के लिये विशेष कार्यवाही की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास कार्यों के अतिरिक्त कार्यों पर खर्च

†*४३५ { **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों का ध्यान इस बात की वांछनीयता की ओर आकर्षित किया है कि विकास कार्य के अतिरिक्त कार्यों पर खर्च में वृद्धि पर रोक रखी जाये; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री शया० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों को इस बात पर सतत ध्यान रखना पड़ता है । खर्च के लिये विभागीय प्रस्तावों पर स्वीकृति देने के पूर्व ध्यानपूर्वक परीनिरीक्षा की जाती है । कुछ राज्य सरकारों ने खर्च का व्यापक पुनरीक्षण करने और मितव्यता सम्बन्धी सिफारिश के लिये समितियां स्थापित की हैं अथवा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है । अनेक राज्यों में विकास से पृथक् खर्च में कमी करने के लिये पहले ही कार्यवाही कर दी है ।

कागज उद्योग

†७२५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में कागज उद्योग द्वारा कमाये गये लाभ के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो १९५६ और १९५७ में विनियोजित पूंजी पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां, कागज की उन सीमित सरकारी कम्पनियों के बारे में जानकारी है जिन्होंने समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २२० के अधीन समवाय पंजीयकों के पास अपने लाभ और हानि के लेखे भेजे हैं । कागज की गैर-सरकारी सीमित कम्पनियों के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि अधिनियम के अधीन उन्हें पंजीयक के पास अपना हानि-लाभ का लेखा नहीं भेजना पड़ता है ।

(ख) इस उद्योग में सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर, १९५६ और १९५७ के न्यायसंगत आंकड़े, जो इन कम्पनियों में विनियोग की गई कुल पूंजी पर प्रतिशत के रूप में बताये गये हैं, क्रमशः ९·५ और ७·४ हैं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†७२६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कोई चलते काम दिलाऊ दफ्तर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है;

---

†मूल अंग्रेजी ।

(ग) १९५७-५८ में ऐसे दफ्तरों में कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया है; और

(घ) उक्त काल में कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई राज्य में वस्त्र उद्योग

†७२७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में वस्त्र उद्योग के विकास और संवर्द्धन के लिये १९५७-५८ में कुछ राशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा सेंट्रल इण्डिया स्पिनिंग, वीविंग ऐण्ड मेन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड नागपुर को १४-६-१९५८ को ७५ लाख रुपये का ऋण दिया गया था । निगम ने १०३.३ लाख रुपये का ऋण देने के लिये बम्बई की चार अन्य मिलों के आवेदनों पर सहमति दे दी है । केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास और संवर्द्धन के लिये बम्बई राज्य को कुछ भी राशि नहीं दी गई है ।

खेल का सामान

†७२८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में भारत में अब तक विभिन्न प्रकार के खेलों का कितना सामान तैयार किया गया है; और

(ख) उपर्युक्त काल में विदेशों को कितना और कितने मूल्य का सामान भेजा गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०८**]

भारत सेवक समाज

†७२९. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा १९५७-५८ में बम्बई में भारत सेवक समाज को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : योजना आयोग ने १९५७-५८ में बम्बई में भारत सेवक समाज को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन

†७३०. **श्री पांगरकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये योजना आयोग ने बम्बई राज्य में कौन-कौन सी परियोजनाओं पर अपनी स्वीकृति दी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बम्बई राज्य के लिये विभिन्न खाद्य उत्पादन सम्बन्धी योजनायें और उसके लिये की गई वित्तीय व्यवस्था सहित स्वीकृत एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०९]**

श्रम पंचाट

†७३१. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में १ जुलाई, १९५८ को कार्यान्वित करने के लिये कितने पंचाट विचाराधीन थे ; और

(ख) उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) सूचना उपलब्ध नहीं है और यह सूचना एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) सरकार के औद्योगिक[1] सम्बन्ध संगठन को सूचना जानकारी में उन्हें कार्यान्वित न करने के जो मामले आते हैं उन पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

अल्प आय वर्ग आवास योजना

†७३३. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प आय वर्ग आवास योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों से प्रति वर्ष रेलवे बोर्ड को कितनी निधि आवंटित की जाती है ;

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा आवंटित राशि में से विभिन्न रेलों को, विशेषकर उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन को कितनी निधि आवंटित की गई ;

(ग) क्या ये ऋण देने के वे ही नियम हैं जो निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा बनाये गये हैं; और

(घ) पिछले वर्षों में विभिन्न रेलों, विशेषकर उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन को कितने आवेदन प्राप्त हुये और उनको निबटाया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क), (ख), (ग) और (घ). अल्प आय वर्ग आवास योजना का प्रशासन उन्हीं राज्य सरकारों और संघ प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, जिनको राशि आवंटित की जाती है। उत्तर रेलवे अथवा उसके किसी डिवीजन को अलग से कोई राशि नहीं आवंटित की जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Industrial Relations Organisation

भारत सेवक समाज

†७३४. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजना काल और उसके प्रत्येक वर्ष के लिये दिल्ली राज्य के भारत सेवक समाज को निम्न शीर्षों के अन्तर्गत कोई निधि आवंटित की गई है :—

(१) संगठनात्मक और प्रशासकीय व्यवस्था;

(२) जनोपयोगी निर्माण कार्यों का निष्पादन ;

(३) सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों का किया जाना ;

(४) योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार ; और

(५) जनता में अपनी सहायता आप करने, देशभक्ति एवं लोकतंत्र सम्बन्धी विचार-धारा की भावना पैदा करने के प्रयत्न ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मद में किये गये कार्य की प्रगति ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग ने द्वितीय योजना काल अथवा द्वितीय योजना काल के प्रत्येक वर्ष में दिल्ली प्रदेश के भारत सेवक समाज के किसी प्रकार के कार्य के लिये कोई राशि निश्चित नहीं की । आयोग ने जन सहयोग की विशिष्ट योजनाओं के लिये संगठन को निम्न सहायतानुदान मंजूर किया है :—

योजना की किस्म	स्वीकृत सहायतानुदान की राशि	टिप्पण
(१)	(२)	(३)
	रुपये	
(१) दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिये जन सहयोग की अगुआकारी परियोजना ।	५३,०००	अभी तक वास्तव में कुल ३०,००० रुपये की दो किश्तें जारी की गई हैं ।
(२) दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में युवकों के कार्यकलापके लिये जन सहयोग की अग्र आकारी परियोजना ।	२,२४०	—
(३) दिल्ली के गावों में युवकों के कार्य-कलाप के लिये जन सहयोग की अगुआकारी परियोजना ।	५००	—

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) योजना के अधीन दिल्ली प्रदेश के भारत सेवक समाज ने "अपना घर" नामक चार केन्द्र मानिकपुरा, सब्ज़ीमंडी, पहाड़गंज और तुर्कमान गेट में खोले हैं। इन केन्द्रों का अभी तक का कार्य बड़ा सन्तोषजनक रहा है और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में इस में भाग लिया है और अपना सहयोग दिया है।

(२) योजना के अधीन, दिल्ली के विभिन्न भागों में १० युवक[1] योजना क्लब खोले गये हैं। इन क्लबों ने काफी युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, और युवक वहां आकर न केवल उपलब्ध खेलों और अन्य मनोविनोद सम्बन्धी सुविधाओं से ही लाभ उठाते हैं अपितु योजना के प्रति जागरूकता पैदा कर उसे लोक प्रिय बनाने के लिये आयोजित वाद-विवादों, गोष्ठियों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

(३) योजना के अन्तर्गत क्लब अभी खोले जाने वाले हैं।

हथकरघा उपकर निधि

†७३५. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र बनाने वाली मिलों से १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितना हथकरघा उपकर वसूल किया गया है ; और

(ख) इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :

	कुल रुपये
(क) १९५६–५७ . . .	६,२६,४३,०००
१९५७–५८ . . .	६,५९,०७,०००

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११०]

कोर्ट फीस

†७३६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से कोर्ट फीस शुल्क के सम्बन्ध में कराधान जांच आयोग द्वारा सुधार के लिये किये गये अपने विचार और सुझावों पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या भारतीय कोर्ट फीस अधिनियम, १८७० तथा तत्पश्चात् विभिन्न राज्यों द्वारा किये गये भिन्न भिन्न रूप भेदों पर पुनर्विचार किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि पुनर्विचार किया जा चुका है तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): (क) और (ख). १९५५ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों से निवेदन किया था कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त साधन ढूंढ निकालने की गुंजाइश को दृष्टि में रखते हुये करारोपण जांच समिति की सिफारिशों की जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Youth plan clubs

करें। इस निवेदन पर राज्यों ने जो सूचना दी वह बिल्कुल सामान्य प्रकार की थी जिसमें करारोपण के बारे में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं था। सभा-पटल पर जो विवरण रखा है उसमें न्यायालय शुल्क के सम्बन्ध में करारोपण जांच समिति की सिफारिश पर राज्य सरकारों के विचार का सारांश दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १११]

प्रत्येक राज्य द्वारा जो कार्यवाही की गई उस पर योजना आयोग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). योजना आयोग में इन बातों पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भाखड़ा-नंगल परियोजना पर पुस्तिका

†७३७. श्री राम कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा-नंगल परियोजना पर पुस्तिका छप गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस भाषा में ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी में।

साइकिल बनाने के कारखाने

†७३८. श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांडेकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि साइकिल बनाने के कारखाने (राज्यवार) कहां-कहां पर स्थित हैं और १९५५–१९५७ में उनमें कितनी साईकिलें बनाई गईं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : बड़े पैमाने और छोटे पैमाने पर क्रमशः साइकिल बनाने से सम्बन्धित जानकारी विवरण 'क' और 'ख' में दी गई है ; जो सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११२]

रोजगार की सम्भावना

†७३९. श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न उद्योगों में रोजगार की वर्तमान सम्भावना क्या है :

(१) सीमेंट उद्योग

(२) वस्त्र उद्योग; और

(३) कागज उद्योग ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : तीनों उद्योगों में से प्रत्येक में इस समय अनुमान लगाया जाता है कि निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति काम कर रहे होंगे :

(१) सीमेंट उद्योग . . .	२७,०००
(२) वस्त्र उद्योग .	१३,००,०००
(३) क़ाग़ज़ उद्योग . .	२८,७००

औद्योगिक विकास

†७४०. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष औद्योगिक बस्तियों, प्रादेशिक शिक्षण संस्थाओं तथा विस्तार केन्द्रों की स्थापना के बारे में १९५८–५९ में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है और राज्यवार वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अब तक ७१ औद्योगिक बस्तियों, ४ प्रादेशिक शिक्षण संस्थाओं, १४ इंस्टीट्यूट और उनकी शाखाओं तथा ६२ विस्तार केन्द्रों के लिये सहमति दी है। इनको विभिन्न प्रक्रमों में कार्यान्वित किया जा रहा है। उनकी स्थिति स्थान बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११३]

औद्योगिक बस्तियों के स्थान के बारे में मुख्य रूप से निर्णय राज्य सरकारें करेंगी। १९५८–५९ में और अधिक औद्योगिक बस्तियां बसाने के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जायेगी इस प्रक्रम पर उनकी संख्या और वे कहां पर स्थापित होंगी यह बता सकना सम्भव नहीं है।

कानपुर में एक प्रादेशिक इंस्टीट्यूट चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नये विस्तार केन्द्रों अथवा जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, फिलहाल उनके बारे में कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान में भारतीयों की सार्थे

†७४१. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में भारतीय कितनी औद्योगिक सार्थों के मालिक हैं और उन्हें चला रहे हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पाकिस्तान में भारतीय १५ औद्योगिक सार्थों के मालिक हैं और उन्हें चला रहे हैं।

राज्य उपक्रम

†७४२. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री अपने मंत्रालय के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ पर उल्लिखित राज्य उपक्रमों की सूची के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५८ को इनमें से प्रत्येक उपक्रम पर कुल कितना विनियोग किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६-५७ की तुलना में १९५७-५८ में कुल कितना लाभ/हानि हुई ; और

(ग) ३१ मार्च, १९५८ को कुल कितने व्यक्ति उनमें काम पर लगे हुये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११४**]

नारियल की जटा की चटाइयां और पट्टियां

†७४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या (१) उद्योग भवन, (२) उनके मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन 'भवनों' के फर्श को नारियल की जटा की चटाइयों और पट्टियों से सजाने के बारे में कोई वरीयता दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (१) जी हां। जहां तक उद्योग भवन का सम्बन्ध है, फर्श बिछाने पर जितना व्यय हुआ है उसमें से ५० प्रतिशत नारियल की जटा की बनी हुई चटाइयों पर व्यय किया गया है।

(२) इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को निदेश दे दिये गये हैं कि फर्श पर बिछाने में जो कुछ व्यय हो उसमें से ५० प्रतिशत नारियल की जटा से बनी चटाइयों पर किया जाना चाहिये।

सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा साइकिलों की खरीद

†७४४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ म संभरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा कितनी साइकिलें खरीदी गई थीं ;

(ख) उनमें से बड़े पैमाने के एककों द्वारा कितनी और छोटे पैमाने के एककों द्वारा कितनी खरीदी गई थीं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय छोटे पैमाने के उद्योग निगम के द्वारा भी कुछ खरीद की गई थी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क)

	साइकिलें
१९५५-५६ में . . .	३,१२२
१९५६-५७ में	३,४३६
१९५७-५८ में	३,१८७

(ख) सारी साइकिलें बड़े पैमाने के एककों से खरीदी गई थीं ;

(ग) नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली स्थित पंजाब सरकार के भवन

†७४६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित पंजाब सरकार और उस राज्य के भूतपूर्व राजाओं के कौन-कौन से भवन भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये हैं ; और

(ख) क्या इनका अब तक के किराये का भुगतान किया जा चुका है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) पंजाब सरकार से :

(१) कपूरथला हाउस

(२) जिन्द हाउस

भूतपूर्व राजाओं से :

(१) पटौदी हाउस

(२) फरीदकोट हाउस

(३) पटियाला हाउस

(४) १, सिकन्दरा रोड (केवल पहली मंजिल)

(ख) पटियाला हाउस और जिन्द हाउस का अब तक का किराया दिया जा चुका है। अन्य भवनों के अब तक के किराये के लिये (१) किराये के अन्तिम रूप से निर्धारित हो जाने अथवा स्वीकार कर लिये जाने या मालिक और सरकार के क़ब्ज़े में जितना भाग है उसके बीच के भाग का किराया तय हो जाने अथवा (२) कुछ देशों का समायोजन हो जाने के बारे में निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पुराने किले में विस्थापित व्यक्ति

†७४७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराना किला, दिल्ली में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को किसी अन्य स्थान पर बसाने के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : पुराने किले में विस्थापित व्यक्तियों के जो १३७ परिवार रह रहे थे उन में से अभी तक १३७ को दूसरे स्थान पर बसाया गया है। १५१ परिवारों को प्लाट दे दिये गये हैं और स्थानान्तरण के लिये छः मास का समय दिया गया।

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†७४८. श्री बांशी ठाकुर : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में डिवीजन वार त्रिपुरा के कितने लोगों ने अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण लिये ; और

(ख) उन में से कितने लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख). अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना त्रिपुरा में १९५६–५७ में आरम्भ की गई थी। उस वर्ष सम्बन्धी जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११५]।

कीर्तीनगर बस्ती

७४९. श्री नवल प्रभाकर : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ रोड, दिल्ली स्थित कीर्तिनगर बस्ती (कालोनी) में अब तक कुल कितने प्लाट बिक चुके हैं ;

(ख) प्लाटों को बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) इन प्लाटों के मालिकों से कितनी राशि लेनी बकाया है ;

(घ) इस बस्ती में विकास कार्य पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ङ) पूर्ण विकास में कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) कीर्तिनगर के सब प्लाट जिन की संख्या १५३६ है, बेच दिये गये हैं।

(ख) ५४,१०,६४० रुपये।

(ग) १५,३८,३८५ रुपये ब्याज सहित।

(घ) ३१–१२–५७ तक ११,२३,२५२ रुपये ७१ नये पैसे।

(ङ) २२,६८,७०० रुपये।

दूतावासों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

७५०. श्री नवल प्रभाकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक देश में कितने-कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) इन में से कितने अफसर हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) नीचे दिये गये मिशनों में उनकी कुल संख्या ४७ है। अभी पांच मिशनों से सूचना आने वाली है ; यह सूचना मिलने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जातियों के अफसरों की संख्या इस प्रकार है :—

बर्मा (रंगून)	४
श्रीलंका (कोलम्बो)	२
संयुक्त अरब गणराज्य (काहिरा)	२
मलय (कुआला लम्पुर)	१
पोर्ट लुई (मारिशस)	१
पाकिस्तान (कराची)	५
(ढाका)	१०
नेपाल (काठमांडू)	१७
सिक्किम (गंगतोक)	१
थाई देश (बैंगकाक)	१
युनाइटेड किंगडम (लंदन)	३
कुल	४७

(ग) गजेटेड अफसर :

युनाइटेड किंगडम (लंदन)	२
संयुक्त अरब गणराज्य (काहिरा)	१
कुल	३

उत्पादन केन्द्रों के लिये स्थायी समिति

७५१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कोई स्थायी समिति केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा खोले गये राज्याश्रमों में उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिये नियुक्त की गई है ;

(ख) उक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन हैं तथा उनकी क्या योग्यतायें हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११६] ।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†७५२ { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष में आस्ट्रेलिया के साथ भारतीय पटसन उत्पादों का कितना व्यापार हुआ है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या व्यापार में कोई कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११७]

(ख) जी हां।

(ग) आस्ट्रेलिया में सूखे के कारण १९५७ में व्यापार कम हुआ। आस्ट्रेलिया को मंडियों का अध्ययन करने के लिये भारतीय पटसन मिल संघ शायद एक प्रतिनिधिमंडल भेजे।

जहाजों में भारतीय प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन

†७५३. सरदार इकबाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों में भी भारतीय प्रलेखीय चित्र दिखाये जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में किन जहाजों ने करार दिये हैं; और

(ग) गत एक वर्ष में विभिन्न जहाजों में कौन-कौन से प्रलेखीय चित्र दिखाये गये ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जी हां। मैसर्ज दालत कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई के साथ एक करार समुद्री जहाजों में प्रलेखीय चित्र दिखाने के बारे में किया गया है भारतीय नौ-सेना के जहाजों में हमारी फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

(ग) मैसर्ज दालत कारपोरेशन और भारतीय नौ-सेना के जहाजों को जो प्रलेखीय चित्र दिये गये हैं उनकी दो सूचियां सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११८]

घड़ियों का आयात

†७५४. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस वर्ष घड़ियों का आयात बन्द किया गया उस से पहले के वर्ष में उनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) उसी अवधि में घड़ियों के आयात पर कितना सीमा शुल्क प्राप्त किया गया था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) जुलाई-सितम्बर, १९५७ के बाद घड़ियों का आयात बिल्कुल रोक दिया गया है। जुलाई, १९५६—जून, १९५७ में घड़ियों और पुर्जों के कुल ३.०८ करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) सीमा शुल्क चौकियों में घड़ियों पर लिये गये आयात शुल्क के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सीमा शुल्क चौकियों में घड़ियों, घड़ियालों और पुर्जों के लिये, जो भारतीय सीमा प्रशुल्क के मद ७८ के अन्तर्गत नहीं आते, आंकड़े रखे जाते हैं और उन पर जुलाई, १९५६ से जून १९५७ तक २.७६ करोड़ रुपये वसूल किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसामी दस्तकारियों के लिये ऐम्पोरियम

†७५५. **श्रीमती मफीदा अहमद:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम सरकार से इस बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि आसाम की दस्तकारी और हथकरघा वस्तुओं के विक्रय के लिये नई दिल्ली के किसी उपयुक्त बाजार में एक एम्पोरियम खोलने के हेतु स्थान अर्जित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

काम दिलाऊ दफ्तर

७५६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में इस बीच किन-किन स्थानों में काम-दिलाऊ दफ्तर खोले गये हैं ;

(ख) १९५८–५९ में अन्य किन-किन स्थानों पर उन्हें खोलने का निश्चय किया गया है ; और

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त और किन-किन स्थानों में ऐसे दफ्तर खोलने के प्रस्ताव आये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). जानकारी नीचे दी गई है :

क्रमांक	राज्यों के नाम	वे स्थान जहां ३-९-५७ से ३१-३-५८ तक नियोजन कार्यालय खोले गये हैं	वे स्थान जहां नियोजन कार्यालय खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है, खोले जा चुके हैं, और जहां १९५८–५९ में नये नियोजन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है	वे स्थान जहां नियोजन कार्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है
		(क)	(ख)	(ग)
१	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, निजामाबाद, नालगोंडा और नागार्जुन-सागर	करीमनगर खाम्मामंथ	—
२	असम	तेजपुर, धुबरी	तूरा, अयजल और डिफूह	शिब सागर
३	बिहार	—	—	झरिया

†मूल अंग्रेजी में

	क	ख	ग
४ बम्बई .	बड़ौदा, नासिक, वर्धा, अहमदनगर, अकोला, चांदा, भंडारा, कोयना	—	—
५ जम्मू और काश्मीर	—	श्रीनगर और जम्मू	—
६ केरल .	—	एलप्पी, पालघाट, कन्नोर	—
७ मध्य प्रदेश .	बिलासपुर, शाहडोल, छिंदवाडा, कटनी, उज्जैन, रतलाम ।	—	—
८ मद्रास .	कन्याकुमारी	—	—
९ मैसूर .	—	गुलबर्गा, कोलार-गोल्डफील्ड और दावनगिरि	—
१० उड़ीसा .	बेहरमपुर	बालासर, भवन्ती, पटना	—
११ पंजाब .	फगवाड़ा, नारनौल	—	—
१२ राजस्थान .	पाली, भीलवाड़ा	—	—
१३ उत्तर प्रदेश	मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सीतापुर, मिर्जापुर, इटावा, फरूखाबाद, बुलन्द-शहर, टेहरी-गढ़वाल, बांदा, रिहान्द-बांध क्षेत्र और पौड़ी	—	—
१४ पश्चिमी बंगाल	—	पुरुलिया, नदिया, मालदा, रानीगंज	—
१५ हिमाचल प्रदेश	चम्बा	शिमला	—
	३९	२०	२*

*१९५८–५९ में नये नियोजन कार्यालय खोलने के बारे में राज्य सरकारों के सुझाव अभी आने बाकी हैं ।

सतर्कता विभाग[1]

†७५७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के सतर्कता सैक्शन में प्राप्त होने वाली याचिकाओं, शिकायतों और अपीलों का निबटारा करने में कोई विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बकाया काम को पूरा करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**निर्माण आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) सामान्यतः ऐसा नहीं होता परन्तु पेचीदा मामलों में कुछ विलम्ब हो जाता है ।

(ख) शिकायतों आदि का शीघ्र निबटारा करने के लिये समय-समय पर यह कार्यवाही की गई है :—

(१) इस मंत्रालय से सम्बद्ध और इसके अधीन कार्यालयों के सतर्कता यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ;

(२) निबटारे के तरीके का लगातार पुनरावलोकन करके जहां आवश्यक हो उसे सरल बनाना जिस से काम जल्दी हो सके ;

(३) मंत्रालय में सतर्कता पदाधिकारियों की बैठकों में कार्य के निबटारे का लगातार पुनरावलोकन करते रहना ।

संसद् सदस्यों के लिये नौकरों के क्वार्टर

†७५८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों के बंगलों में नौकरों के क्वार्टरों के सेहन में भंगी अपनी झोपड़ियां बना सकते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस प्रकार अनधिकृत रूप से बनाई गई झोपड़ियों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि कुछ एक उच्च न्यायालयों ने सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम, १९५० को नियमविरुद्ध ठहराया है इसलिये सरकार, इस समय, अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान आदि को नहीं गिरा सकती परन्तु सरकारी स्थान (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) विधेयक, १९५८ के, जो संसद् में पुरःस्थापित किया जा चुका है, अधिनियम बन जाने पर यह कार्यवाही की जा सकेगी ।

बोलपाड़ा में एक भारतीय की हत्या

†७५९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० मई, १९५८ को भारतीय बस्ती बोलपाड़ा में नौ पाकिस्तानियों के एक दल ने अशरफ अली नामक एक भारतीय राष्ट्रजन को मार डाला ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vigilance Section.

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां ।

एक पाकिस्तानी दल ने जिस में पुलिस कर्मचारी और नागरिक थे भारतीय बस्ती कूच बिहार जिले के बोलपाड़ा, खग्रबाड़ी, में अनधिकृत प्रवेश करके अशरफ अली को गोली मार दी और उस से ३२० रुपये छीन लिये ।

पश्चिमी बंगाल सरकार और कराची में भारतीय उच्च आयोग ने क्रमशः पूर्वी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सरकार के पास इसका कड़ा विरोध किया और उन्हें अपराधियों को दंड देने और मृत व्यक्ति के परिवार को पर्याप्त हर्जाना देने की मांग की है ।

अभ्रक का निर्यात

†७६०. **श्री जगन्नाथ राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ और १९५८ के पूर्वार्ध में अभ्रक का कितना निर्यात किया गया ;

(ख) उस से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ग) क्या सरकार ने अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) और (ख). १९५७ में ४,४५,१६९ हंड्रडवेट अभ्रक जिसका मूल्य ९·६८ करोड़ रुपये और जनवरी से जून, १९५८ तक २,३७,८८८ हंड्रडवेट अभ्रक का निर्यात किया गया जिसका मूल्य ५·५३ करोड़ रुपये था ।

(ग) अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निर्यात संवर्धन परिषद् ने ये मुख्य उपाय किये हैं :—

(१) अभ्रक निर्यात करने वालों के लिये लक्ष्य निर्धारित करना और निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक प्रेरणा देना ।

(२) विदेशी मंड़ियों का सर्वेक्षण करके, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेज कर, प्रदर्शनियों में भाग ले कर, प्रचार की व्यवस्था करके नये खरीदारों के लिये निर्यात करना ।

(३) नये ग्राहकों के लिये निर्यात बढ़ाना ।

(४) अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के अर्थोपाय ढूंढ़ना ।

(५) निर्यात करने से पूर्व अभ्रक तैयार करने के लिये उपाय बताना जिस से उसका अधिक मूल्य प्राप्त हो ;

(६) जहाजों में लादने से पहले अभ्रक का निरीक्षण करने की एक वस्तृत योजना तैयार करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बर चरखे

†७६१. **श्री जाधव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने अम्बर चरखे प्रयोग में लाये जा रहे हैं ; और

(ख) १९५७–५८ में उन से कितना धागा तैयार किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) लगभग १,४३,२००।

(ख) २५·४ लाख पौंड ।

कोयला खानें

†७६२. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७ में कोयला विनियम, १९५७ के विनियम २६ (१) के अन्तर्गत कोयला खानों में कितने 'ओवरमेन' खनन सरदारों और 'शाट फायररों' को मुअत्तल किया गया, नौकरी से निकाला गया अथवा उन के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १९५७ में ९० सरदारों और ११ शाट फायररों के प्रमाणपत्र मुअत्तल किये गये और ३ सरदारों और एक शाट फायरर के प्रमाणपत्र समाप्त कर दिये गये । कोयला खान विनियमों के विनियम २६(१) के अन्तर्गत 'ओवरमेन' के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विनियम १२ के अन्तर्गत 'ओवरमेन' को अभी प्रमाणपत्र देना अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

†७६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बागान श्रमिकों की सेवा की शर्तों के बारे में एक प्रथा और एक सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जून, १९५८ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ४२वें सत्र में ।

(ख) जी हां, यथा समय ।

नागा

†७६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में अब तक नागाओं से कितने शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११९.]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक

†७६५. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री २६ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक देश के कितने छात्र भारतीय अणु शक्ति केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अणु शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में इस समय कोई विदेशी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा हैं ।

राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन

†७६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन भारत में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) . आगामी राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन भारत में जनवरी-फरवरी, १९५९ में हो रहा है ।

टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र

†७६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५, १९५६-५७ और १९५७-५८ में पंजाब में कितने और किन-किन स्थानों पर टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये और १९५८-५९ में कितने खोले जाने वाले हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी नीचे दी गई है :

वर्ष	उन स्थानों की संख्या जहां टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये अथवा खोलने का विचार है	उन स्थानों के नाम जहां टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये अथवा खोलने का विचार है
१९५४-५५	कोई नहीं	कोई नहीं
१९५६-५७	१	यमुना नगर
१९५७-५८	२	लुधियाना और अम्बाला ।
१९५८-५९	क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन है इसलिये इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं कि १९५८-५९ में कौन से केन्द्र खोले जायेंगे ।	

†मूल अंग्रेजी में

डीज़ल ट्रक

†७६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कितने डीज़ल ट्रक बनाये गये हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५८ के पहले के छः मास में ३५१८ डीज़ल ट्रक बनाये गये हैं ।

(ख) जहां कहीं आवश्यक है और वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिनाई को सामने रखते हुए सम्भव समझा गया है वहां ट्रकों के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा रही है ।

पंजाब में हथकरघा उद्योग

†७६९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक पंजाब में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) किन मदों पर खर्च किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २२,८३२·७३ रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२०]**

चो यू पर्वतारोहण[1]

†७७०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चो यू पर्वतारोहण दल ने हिमालय के बहुत से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) चो यू पर्वतारोहण का उद्देश्य कोई सर्वेक्षण करना नहीं था फिर भी प्राणि और वनस्पति सम्बन्धी सर्वेक्षण के एक-एक पदाधिकारी इस में गये थे और काठमंडू से नमचे बाज़ार तक और इंजा खोला, भूटे कोसी और उढ कोसी में वे अनुसन्धान करते चले गये ।

(ख) काठमंडू से नमचे बाजार तक रास्ते के साथ-साथ प्राणि और वनस्पति सम्बन्धी अनुसन्धान ३,००० फुट और १२,००० फुट की ऊंचाई के बीच हुआ जहां 'सब-ट्रापिकल', 'टैम्परेट', 'सब-टैम्परेट' और 'सब-आल्पाइन' प्रदेशों में पाये जाने वाले पशु पक्षी और वनस्पतियों का अनुसन्धान किया गया । इंजा खोला, भूटे कोसी और उढ कोसी में १२,००० और १९,००० फुट के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Cho Oyu Expedition.

बीच आल्पाइन उपज का अनुसन्धान किया गया। ६०० किस्मों के ४,००० पौधों के नमूने, ५४३ पशु पक्षियों के नमूने एकत्र किये गये। एकत्र की गई सामग्री को तैयार कर के उस का परीक्षण किया जा रहा है और यथासमय एक विस्तृत ब्योरा तैयार किया जायेगा।

लौह अयस्क का निर्यात

†७७१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने १ जुलाई, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक कितना लौह अयस्क निर्यात करने का वायदा किया है ; और

(ख) कितना निर्यात हो चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९·५२ लाख टन।

(ख) १४ अगस्त, १९५८ तक १·५२ लाख टन।

छोटे पैमाने के उद्योग

†७७२. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की ; और

(ख) अब तक कितनी राशि बांटी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२१]**

सीमा पर गोली वर्षा

†७७३. **श्री आसर :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सेना पुलिस ने २०/२१ जून, १९५८ को श्रीनगर डिवीज़न में चरहान स्थान पर भारतीय पुलिस पर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए (यदि कोई हो) ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। २१ जून, १९५८ की रात को काश्मीर के उस भाग में से जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है सशस्त्र व्यक्तियों के एक दल ने युद्ध-विराम सीमा को पार कर के चरहान में हमारी पुलिस पर बिना किसी कारण गोली चलाई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कोई नहीं ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल के पास शिकायत भेज दी गई है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†७७४. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास की कितनी योजनायें स्वीकृत कीं ;

(ख) इन योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) कितनी योजनायें स्वीकृत तो हुईं परन्तु कार्यान्वित नहीं की गईं ;

(घ) कितनी योजनायें ऐसी हैं जो अभी स्वीकृत तो नहीं हुईं परन्तु त्रिपुरा प्रशासन ने उन की सिफारिश कर दी है ; और

(ङ) स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित न करने और सिफारिश की गई योजनाओं को स्वीकृत न करने का क्या कारण है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगार

†७७५. **श्री दशरथ देब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के काम दिलाऊ दफ्तर में पंजीबद्ध शिक्षित तथा अर्द्ध शिक्षित बेरोजगारों की संख्या प्रति दिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोज़गार दिलाने के लिये कौन से नये साधन ढूंढे जा रहे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अगरताला में काम दिलाऊ दफ्तर के चालू रजिस्टर में शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक पास और इस से अधिक) की संख्या जो जून, १९५७ में ३८९ थी जून १९५८ में ७२० हो गई । अर्द्धशिक्षित लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) आशा है कि अर्थ व्यवस्था का विकास होने पर इन्हें नौकरी मिल जायेगी ।

दिल्ली में भूमि

†७७६. **श्री जाधव** : क्या **योजना** मंत्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के पश्चात् कितने कृषकों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि दे दी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : कृषकों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी इच्छा से भूमि को उनके मालिकों के हवाले कर दिया :—

(क) ग्राम्य क्षेत्र जिन पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू होता है ; और

(ख) नगरीय क्षेत्र जहां भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम २० जुलाई, १६५४ को लागू हुआ। २४ मार्च, १६५५ और ६ अप्रैल, १६५६ के बीच ७६ कृषकों ने ग्राम्य क्षेत्रों में २३४ एकड़ भूमि लौटाई। यह वह अवधि है जब कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लिया गया था। भूमिधारी अधिकार देते समय अधिनियम के लागू होने के बाद लौटाई गई भूमि का ख्याल नहीं किया जाता क्योंकि वे अधिकार १६५३-५४ के राजस्व रिकार्ड को देखते हुए दिये जाते हैं। इस प्रकार उन कृषकों को, जिन्हों ने अधिनियम के लागू होने के बाद अपनी जमीनें लौटाईं, उन्हें भूमि सुधार अधिनियम के अधीन भूमिदार घोषित किया जा रहा है।

नगरीय क्षेत्रों में जहां दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं होता २० जुलाई, १६५४ से १६५७-५८ की रब्बी फसल तक १२१ कृषकों ने ११८ एकड़ भूमि लौटाई थी।

बन्दोबस्त आयुक्तों का सम्मेलन

†७७७ **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी भाग के बन्दोबस्त आयुक्तों का श्रीनगर में कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्णय हुए हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : सम्मेलन विविध समस्याओं पर विभागीय बन्दोबस्त आयुक्तों की राय जानने के लिये किया गया था। सरकार विभागीय बन्दोबस्त आयुक्तों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों पर विचार कर रही है और इस के बाद ही संबंधित विविध प्रश्नों का निर्णय करेगी।

भारत-पाक करार

†७७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रयोजनों के लिये विभाजन के पूर्व भू अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस करार को अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). सरकारी प्रयोजनों के लिये विभाजन के पूर्व भू अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में कोई करार अलग से नहीं हुआ। फिर भी दोनों सरकारों ने यह तय कर लिया था कि भू अर्जन अधिनियम के अधीन विभाजन के पूर्व अर्जित की गई भूमि के दावे और वे दावे जिन का प्रतिकर निर्धारित हो चुका है तथा वास्तव में राजकोषों में जमा कर दिया गया है, उन "राजस्व निक्षेप" के दावों के समान ही कार्यान्वित होंगे जो १५ मई, १६५५ के प्रेस नोट की शर्तों के अनुसार दोनों देशों में स्थापित किये गये दावा-संगठनों के द्वारा तय किये जाते हैं। फिर भी, यदि किसी विशेष मामले में

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिकर निर्धारित नहीं किया गया था उसे निर्धारण के बाद राजकोष में नहीं चुकाया गया तो इस प्रकार के दावे को तय करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसरण में, केन्द्रीय दावा संगठन (भारत) को भारतीय राष्ट्रजनों के लगभग ६ लाख रुपये मूल्य वाले ८० दावे प्राप्त हुए हैं और वे सत्यापन तथा चुकान प्राधिकार देने के लिये पाकिस्तान को भेज दिये गये हैं । पाकिस्तानी प्राधिकारियों से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के १.३४ लाख रुपयों की कीमत के ४२ दावे प्राप्त हुए हैं और उन का सत्यापन किया जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति

†७७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की बैठक में भारत के प्रतिनिधि गये थे ;

(ख) यदि गये थे, तो भारत की ओर से जो व्यक्ति बैठक में उपस्थित थे उन के क्या नाम हैं ?

(ग) क्या भारतीय दल में किसी ने कपास उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व किया था ;

(घ) यदि नहीं गये, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार को तब से अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की रिपोर्ट मिली है ; और

(च) यदि मिली है, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के लन्दन स्थित उच्च आयोग में प्रथम (आर्थिक) सचिव, श्री एस० कृष्णमूर्त्ति, इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि थे ।

(ग) और (घ) भारत के प्रतिनिधि श्री एस० कृष्णमूर्त्ति को कपास उत्पादकों के हितों सहित, कपास सम्बन्धी सभी बातों का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था परन्तु वास्तव में कपास उत्पादकों पर प्रभाव डालने वाले किसी महत्व के प्रश्न पर बैठक में चर्चा नहीं हुई ।

(ङ) जी हां ।

(च) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक नोट संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२२**].

काजू का निर्यात

†७८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री तारीख ३१ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन सालों में दूसरे देशों को भेजे गये काजू की मात्रा और कीमत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सन् १९५५, १९५६, १९५७ और जनवरी से अप्रैल तक की अवधि में प्रत्येक देश को भेजे गये काजू की मात्रा और कीमत बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२३]**

उड़ीसा राज्य की योजना

†७८१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिये उड़ीसा सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन भेजा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : जी, हां; प्राक्कलन की योजना-आयोग परीक्षा कर रहा है।

नंगल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†७८२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर निम्नलिखित बातें दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल (प्राइवेट) लिमिटेड में प्रशासनीय, प्रविधिक तथा अधीक्षण पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी केन्द्रीय सरकार सेवा की नियमित पदाली के हैं ?

(ग) कितने गैर सरकारी क्षेत्र से हैं; और

(घ) इनमें अलग अलग प्रत्येक पदाली में कितने निष्कासित व्यक्ति[1] तथा अनुसूचित जातियों के लोग हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२४]**.

रूस और चीन में भारतीय चलचित्र

†७८३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय चलचित्र रूस और चीन में लोकप्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, १९५७-५८ में रूस और चीन को निर्यात किये गये चलचित्रों के क्या नाम हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि सिनेमाटोग्राफ चलचित्रों के आयात और निर्यात के आंकड़े फुटों में रखे जाते हैं और उनके नाम और नम्बर नहीं लिखे जाते अतएव किसी विशेष अवधि में किसी विशेष देश को निर्यात किये गये चलचित्रों का नाम बताना संभव नहीं है। परन्तु सन् १९५७-५८ में सोवियत रूस को १,२९,००० फुट और चीन को ८२,००० फुट बने हुए चलचित्र भेजे गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Oustees.

अम्बर चर्खा

†७८४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७-५८ में विभिन्न केन्द्रों में कितने अम्बर चर्खे तैयार किये गये हैं; और

(ख) इस अवधि में कितने अम्बर चर्खे वितरित किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) १,१५,६५२ ।

(ख) ९८,८४९ ।

घड़ियों का आयात

†७८५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में घड़ियों के आयात की अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में क्या मानदंड रहा है;

(ख) सन् १९५७-५८ में कितने पक्षों को घड़ियों के आयात के लिये अनुज्ञप्ति दी गई हैं; और

(ग) उनमें से कितने लोग नये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** (क) भारतीय व्यापार नियंत्रण अनुसूची के क्रम संख्या ३०८(ग)/४ के अधीन घड़ियों के आयात की उदार अनुज्ञप्ति योजना के अन्तर्गत जनवरी-जून १९५५ से जनवरी-१९५६ तक प्रसिद्ध आयातकर्ताओं को केवल ५० प्रतिशत सामान्य तथा १०० प्रतिशत सुलभ कोटा के आधार पर घड़ियों का आयात करने दिया गया था। जनवरी-जून १९५७ की अवधि में कोटा कम करके २५ प्रतिशत सामान्य और ५० प्रतिशत सुलभ कर दिया गया । जुलाई-सितम्बर १९५७ से घड़ियों का आयात पूर्णतः बन्द कर दिया गया है ।

(ख) जिन पक्षों को इस अवधि में आयात अनुज्ञप्ति पत्र दिये गये थे उनकी संख्या उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अनुज्ञप्ति के आंकड़े व्यक्तिगत अनुज्ञप्ति पत्रों के अनुसार रखे जाते हैं और व्यक्तिगत पक्षों के अनुसार नहीं रखे जाते । फिर भी, १९५७-५८ (जनवरी १९५७ से मार्च १९५८) तक की अवधि में घड़ियों के आयात के लिये दिये गये अनुज्ञप्ति पत्रों की संख्या ६९४ है ।

(ग) इनमें से नई अनुज्ञप्ति धाडियों की संख्या केवल ४ है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†७८६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक पंजाब सरकार ने सन् १९५८-५९ की अवधि में अपने छोटे पैमाने के उद्योगों की जरूरतों के लिये इस्पात की कितनी मात्रा मांगी है; और

(ख) इस अवधि के लिये अलग से आवंटित इस्पात की मात्रा कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**:

(क) (१) (अप्रैल से जून १९५८) पहिली तिमाही में . १८,००० टन

(२) (जुलाई से सितम्बर १९५८) दूसरी तिमाही में . १५,२७२ टन

(ख) (१) (अप्रैल से जून १९५८) पहिली तिमाही में* ३,३९२ टन

(२) (जुलाई से सितम्बर १९५८) दूसरी तिमाही में**. . ३,३६४ टन।

श्रमिक सहकारी संस्थायें

†७८७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार तथा योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई श्रमिक सहकारी संस्थायें हैं।

(ख) यदि हैं, ऐसी श्रमिक संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक अर्थ सहायता दी गई है ; और

(ग) उनके द्वारा अब तक किये गये कार्य का क्या ब्यौरा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, हां, दो वन श्रमिक सहकारी संस्थायें हैं।

(ख) (१) मुहुरीपुर वन श्रमिक सहकारी संस्था समिति,

(२) गार्जी वन श्रमिक सहकारी संस्था, समिति।

(ग) ये सहकारी संस्थायें फरवरी सन् १९५८ में ही बनी हैं और पंजीबद्ध हुई हैं। वे निम्नलिखित कार्य करेंगी :—

> "वन उत्पादों और वस्तुओं को निकालना तथा उन्हें तैयार करना, उनके संग्रह की व्यवस्था करना और आवश्यकता होने पर उनकी बिक्री की व्यवस्था करना है तथा ठेके पर बागान लगवाना तथा जंगली सड़कों के निर्माण में सहायता करना है।"

जहां तक किये गये वास्तविक कार्य का सम्बन्ध है, ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

बांध परियोजनाओं पर चलचित्र

†७८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जो बांध परियोजनायें चल रही हैं, क्या उनसे सम्बन्धित कुछ चलचित्र तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी पहिले तैयार हो चुके चलचित्रों तथा आजकल बन रहे चलचित्रों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२५]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

*औद्योगिक बस्तियों में इमारतें बनाने के लिये ७५ टन शामिल है।

**औद्योगिक बस्तियों में इमारतें बनाने के लिए ४७ टन शामिल हैं।

इंगलैंड से आयात किये गये चलचित्र

†७८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में इंग्लैंड से भारत में कितने चलचित्र आयात किये गये हैं; और

(ख) इसी अवधि में इंग्लैंड को कितने चलचित्र निर्यात किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) और (ख). सिनेमाटोग्राफिक चलचित्र चाहे वे बने हुए हों अथवा कच्चे, संख्या में नहीं दर्शाये जाते बल्कि फ़ुटों में दर्शाये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि में संयुक्त राज्य ब्रिटेन से आयात और उसको निर्यात किये गये (बने हुए) चलचित्रों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२६]**। जनवरी १९५७ से, जब से नया वाणिज्य वर्गीकरण लागू हो गया है, इन चलचित्रों के निर्यात आंकड़े अलग अलग दिखाये गये हैं। इसलिये इस तारीख के पहिले के चलचित्रों के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दरों का निर्धारण) नियम

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: मैं अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७२, दिनांक ४ जुलाई, १९५८ में प्रकाशित ५७२ श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ८४४/५८]

अशोक होटल लिमिटेड का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अशोक होटल लिमिटेड के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की, लेखा परीक्षित लेखे सहित, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ८४५/५८]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पैरा-अमीनेसैलीसिलिक अम्ल उद्योग को संरक्षण और / अथवा सहायता देने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या २(२)—टी० आर०/५८ दिनांक २० अगस्त, १९५८।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ८४६/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं यह सूचना देता हूं कि २५ अगस्त, १९५८ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(१) आज की कार्य सूचना में से बचे हुए किसी मद पर विचार ।

(२) चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश, १९५८ को नामंजूर किये जाने के बारे में श्री ब्रजराज सिंह का संकल्प ।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित करना :—

(क) चीनी निर्यात संवर्द्धन विधेयक १९५८ ;

(ख) व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक, १९५८, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५८, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(घ) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक, १९५८ ।

(४) श्री अशोक मेहता तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर बुधवार, २७ अगस्त, को ३ बजे पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों सम्बन्धी चौधरी समिति के प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प पर विचार ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना

†**सरदार हुक्म सिंह** : (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २७ अगस्त, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये ।"

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे पंडित गोविन्द मालवीय के एक संशोधन की प्रति अभी मिली है । इसमें उन्होंने प्रतिवेदन के उपस्थापन की तिथि १५ सितम्बर तक बढ़ाने और समिति को स्थिति की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय जाने और अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिये निदेश देने को कहा है पर समिति का काम लगभग समाप्त हो गया है । अब और समय की आवश्यकता नहीं है ।

†**पंडित गोविन्द मालवीय** (सुल्तानपुर) : मेरा संशोधन तो समिति के कार्य को आसान बनाने के लिये है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक तिथि बढ़ाने का प्रश्न है यह बात नियमानुकूल है । पर संशोधन का शेष भाग नियमानुसार नहीं है । अतः यदि माननीय सदस्य कहें तो तिथि बढ़ाने की बात मतदान के लिये रख दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार हुकम सिंह : पर समिति को अब अधिक समय की आवश्यकता नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : जब समिति और अधिक समय नहीं चाहती तो क्या लाभ । फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो तिथि बढ़ाने की बात मतदान के लिये रख दी जाये । माननीय सदस्य समिति को लिखें तो ज्यादा अच्छा हो ।

†पंडित गोविन्द मालवीय : मैं समिति को सुझाव दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २७ अगस्त, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक

†सहकारी संसदीय कार्य मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : श्री अजित प्रसाद जैन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कुछ विधियों के निरसन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कुछ विधियों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० पं० शा० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा १८ अगस्त, १९५८ को श्री आबिद अली द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ; अर्थात् :

"कि श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में वेतन दरों के निर्धारण तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री आबिद अली अपना भाषण जारी करें ।

†श्री उप मंत्री (श्री आबिद अली) : उस दिन विधेयक को मैं ने पुरःस्थापित किया था । अब श्री नन्दा विधेयक पर बोलेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता । जिस सदस्य ने विधेयक को पुरःस्थापित किया है यदि वह कोई अग्रेतर भाषण नहीं देना चाहता तो मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखूंगा । बाद में श्री नन्दा को भाषण देने का अवसर मिलेगा । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

इस प्रस्ताव पर श्री महन्ती ने एक संशोधन की सूचना दी थी पर बाद में उन्होंने सूचना वापस ले ली है । अब श्री नन्दा भाषण शुरू करें ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) अध्यादेश का उद्घोषणा १४ जून, १९५८ को हुई थी । अब अध्यादेश के स्थान पर इस संसद् द्वारा अधिनियम बनाने का विचार है । जिस मार्ग का अनुसरण किया गया है वह इतना स्पष्ट है कि मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को यह कदम उठाने की क्यों आवश्यकता पड़ी ।

यह सभा इस मामले की पृष्ठभूमि तथा इस सम्बन्ध में हुई अन्य बातों का पूरा पता है । ऐसी स्थिति में सभा मुझ से आशा करती थी कि हम तुरन्त कोई न कोई कदम उठायें अन्य परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिन के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मैं ने जो कदम उठाया है उस का औचित्य सिद्ध करूं ।

मुझे इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी के सभापति का एक पत्र मिला है जिस के साथ समाचार पत्रों के प्रकाशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित कुछ संकल्पों की प्रतियां भी हैं । ३० जून, १९५८ को यह सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन के सभापति ने भी मुझे लिखा और उस अवसर पर दिये गये कुछ भाषणों की प्रतियां भी मेरे पास भेजीं । इस संस्था, इस अवसर तथा इस सम्मेलन से सम्बन्ध कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के महत्व को ध्यान में रखते हुये मैंने इन संकल्पों तथा सम्मेलन की कार्यवाही पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया । ऐसा लगता है कि सम्मेलन में इस विषय पर इस ढंग में चर्चा हुई जैसे पत्रकार उद्योग के सामने कोई बहुत बड़ा संकट हो और यह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अच्छी तरह समझता हूं कि समाचार पत्रों का समाज के जीवन से कितना महत्वपूर्ण स्थान है । अतः मैं नहीं चाहता कि इस उद्योग के स्वस्थ्य विकास के मार्ग में बाधायें आयें ।

इस उद्योग की समृद्धि में सहायक अन्य बातों के अतिरिक्त मैं समझता हूं कि इस उद्योग में भाग लेने वाले सभी अंगों में सद्भावना और सहयोग तथा शान्ति का वातावरण हो । संकल्पों के देखने के बाद मेरे दिमाग में यह धारणा आई कि संकल्पों तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दृष्टिकोणों को समुचित रूप से नहीं लिया गया है जिन्हें बताया गया है । मैं समझता हूं कि सम्मेलन के समय की मांगों तथा आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है । सम्मेलन में जो कुछ हुआ उसके बारे में आलोचना करने का मेरा प्रयोजन नहीं है पर सभा के कार्य से भी उसका सम्बन्ध है। सम्मेलन की कार्यवाही तथा भाषणों में सरकार द्वारा उठाये गये कदम तथा अध्यादेश की कड़ी निन्दा की गयी । अतः मैं बताना चाहता हूं कि किन कारणों से हमें ये कदम उठाने पड़े । अध्यादेश साधारण मामलों में नहीं लगाया जाता । विशेष स्थिति में ही इसका सहारा लेना पड़ता है । यदि यह पत्रकारों की कोई नयी मांग होती तो अध्यादेश की बात ही न पैदा होती । यदि एक या दो वर्ष पुरानी होती तो भी हम अध्यादेश न निकालते, पर यह मामला तो १९५२ से चल रहा है । अर्थात् ६ वर्ष पुराना है ।

सबसे पहले मैं उस संकल्प का उल्लेख करूंगा जो १९५२ में कलकत्ते में श्रमजीवी पत्रकार के भारतीय संघ में पारित हुआ था । उसमें भारत के प्रेसों की स्थिति की जांच करने की मांग की गयी थी । २३ सितम्बर, १९५२ को प्रेस आयोग की नियुक्ति की गयी और आयोग से यह भी कहा गया कि वह श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति के बारे में भी जांच करे । १४ अप्रैल, १९५४ को आयोग ने अपना

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । पत्रकारों की स्थिति के सम्बन्ध में ६० पृष्ठ का एक विवरण उस प्रतिवेदन में था। ऐसा विचार था कि, उस समय औद्योगिक सम्बन्ध के बारे में जो विधान तैयार किया जा रहा था, उसमें पत्रकारों को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा । आयोग ने सिफारिश की थी कि समाचार पत्र उद्योग के विनियमन के लिए विधान बनाया जाये जिसमें न्यूनतम वेतन की भी बात रखी जाये । नवम्बर, १९५५ में श्रमजीवी पत्रकारों तथा प्रेस के अन्य कर्मचारियों की कार्य स्थिति का विनियमन करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया । दिसम्बर १९५५ में वह विधेयक पारित हुआ । अधिनियम की धारा ८ में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए एक वेतन बोर्ड नियुक्त करे । २ मई, १९५५ को सरकार ने वेतन बोर्ड नियुक्त किया । ११ मई, १९५७ को वेतन बोर्ड के निर्णय प्रकाशित किये गये । पता लगा कि कुछ कारणों से पत्र उद्योग इन निर्णयों को कार्यान्वित नहीं करना चाहता । कुछ समाचार पत्रों ने इन निर्णयों तथा श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दे दी । अत: निर्णयों को कार्यान्वित करने से रोक दिया गया । १९ मार्च, १९५८ को उच्चतम न्यायालय ने वेतन बोर्ड के निर्णय को रद्द कर दिया इस आधार पर कि उद्योग की क्षमता का उसमें ध्यान नहीं रखा गया है । श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन क्रम सम्बन्धी झगड़े की यह कहानी है ।

इसका एक और भी पहलू है । सामान्यतया इस समस्या को हल करने के लिये अन्य प्रयत्न भी किये गये । वेतन बोर्ड के निर्णयों के प्रकाशन के बाद जब यह पता लगा कि समाचार पत्र इन निर्णयों को लागू नहीं करना चाहते तो हमने समाचार पत्रों के मालिकों तथा पत्रकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया ताकि समस्या को किसी तरह सुलझाया जाये । यह तय हुआ कि एक समिति बना दी जाये जो एक महीने में सब मतभेदों को ठीक करने का प्रयत्न करे । इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी ने बताया कि समिति से कोई लाभदायक निर्णय नहीं प्राप्त होगा क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। अक्टूबर १९५७ में भी कई बैठकें हुईं पर उनसे भी कोई लाभ नहीं मिला ।

इसके पश्चात् अन्य कई घटनायें हुईं और अन्त में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया । एक बार हमने फिर दोनों पक्षों से निवेदन किया कि वे मिल कर सब बातें आपस में तय कर लें । एक महीने तक लगातार बैठकों के बाद मामला इतना साफ हो गया कि हमें लगा कि अब समझौता होना सम्भव हो सकेगा । पर बाद में हमें बताया गया कि उन बैठकों में जो सुझाव दिये गये थे उन्हें वे स्वीकार नहीं करेंगे ।

इसके अतिरिक्त एक और भी पहलू है । वह है श्रमजीवी पत्रकारों का रवैया । इतने विलम्ब से पीड़ित होकर पत्रकारों ने भी धमकी की बातें शुरू कर दीं । उन्होंने अपनी बैठकों में कहा कि वे संघर्ष करेंगे और प्रतीक हड़ताल करेंगे । पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी कार्यवाही की गयी है वह पत्रकारों की धमकी या अन्य किसी बातों के कारण नहीं की गयी है बल्कि इसके अन्य समुचित कारण थे । इस सम्बन्ध में सरकार का भी कुछ कर्तव्य है । वह दोनों पक्षों को लड़ने और सामान्य जीवन में हलचल पैदा नहीं होने देना चाहती । अत: उसने हस्तक्षेप किया । यह कदम उठाने के बाद सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अब देर न होने पाये और समुचित व्यवस्था हो, यह भी विचार करने की बात है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि इतना विलम्ब हो गया और कर्मचारियों में अधीरता पैदा हुई और ऐसी स्थिति पैदा हुई ।

ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई गयी कमियों को दूर करने के लिए हम शीघ्रता से कदम उठायें । हमारे सामने ये रास्ते थे—परस्पर बातचीत करके मामले का

[श्री नन्दा]

तय करना। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बता चुका हूं कि हमने कितने प्रयत्न किये। वे सभी उपाय बेकार रहे। हमने एक और वेतन बोर्ड बैठा कर जांच कराने के प्रश्न पर तथा उसके परिणामों पर भी विचार किया। इन बातों को देखते हुये कि इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों में तो और भी समय लगेगा——मामला वैसे ही काफी पुराना हो गया है काफी विलम्ब पहले ही हो चुका है——हमने कोई त्वरित कार्यवाही करने का विचार किया।

इस अध्यादेश के निकलने के बाद हमारे सामने एक और भी उपाय था। इस सम्मेलन के संकल्प में भी उसका उल्लेख है। वह उपाय यह है कि वेतन सम्बन्धी प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा उपाय सरकार के पास यह है कि सरकार समाचार पत्रों के पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए खण्डवार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रश्न राज्य सरकारों को दे दे और वेतन क्रमों आदि सम्बन्धी अन्य प्रश्नों को प्रत्येक संस्था की पेय क्षमता के अनुसार परस्पर तै करने या न्याय निर्णयन पर छोड़ दे। समाचार पत्र प्रकाशकों के सम्मेलन का यह निर्णय था। पहली बात तो यह है कि प्रेस आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपने राज्य के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करे। हमें यह भी बताया गया कि वेतन-क्रमों के लिए अन्य उपाय भी अपनाये जा सकते हैं। पर बाद में फिर वही झगड़े होते और न्याय निर्णय न होते। इससे सैकड़ों झगड़े पैदा होते। प्रत्येक संस्था में वेतन क्रम के सम्बन्ध झगड़े होते और प्रत्येक संस्था के लिए न्यायाधिकरण होते। कितने सारे न्यायाधिकरण होते और और कितने वर्ष लगते? मेरा विचार है कि इस संकट से कोई भी वर्तमान पत्रकार या कर्मचारी बच न पाता। और जब तक न्यायाधिकरण का निर्णय न होता कोई भी पत्रकार या कोई भी कर्मचारी न्यूनतम वेतन या वेतन-क्रम न पा सकता था।

न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में भी प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। जो लोग प्रैस आयोग की सिफारिशों के प्रत्येक शब्द का शाब्दिक अर्थ लेते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि वे प्रैस आयोग की उन सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं कर सके जो न्यूनतम वेतन से सम्बन्ध रखती हैं। उस पर तो किसी की आपत्ति नहीं थी। वस्तुतः बात यह थी कि वेतन बोर्ड ने जो न्यूनतम वेतन निश्चित किया था वह प्रैस आयोग द्वारा सुझाये गये न्यूनतम वेतनों से भी कुछ कम था। न वह यह करना चाहते थे न वह। मैं निस्सन्देह इस मार्ग का अनुसरण कर सकता था तथापि उसके परिणाम वही होते जैसे कि बताये गये हैं। अतः मेरे पास एक ही विकल्प रह गया था कि यह अध्यादेश जारी कर दिया जावे।

अध्योदेश के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार हैं। उसका अत्यावश्यक भाग खंड ३ है जिसमें समिति के गठन का उपबन्ध किया गया है और कहा गया है कि 'श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन दरों का निर्धारण करने के लिये, केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र एक समिति बनायेगी इत्यादि तथा समाचार पत्र संस्थापनों, श्रमजीवी पत्रकारों तथा तत्सम्बन्धी हितों से सम्बन्ध रखने वाले पत्रकारों से वेतन बोर्ड के निश्चयों और अध्यादेश के अधीन वेतन की दरों के बारे में उचित अभ्यावेदन करने को कहा जायगा। अभ्यावेदन ३० दिनों के अवधि के अन्दर हो जाने चाहियें। तथा वेतन की दरें वे होंगी जो कि प्रतिनिधियों की दृष्टि में नियोजक की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसी ही संगत स्थितियों का विचार करने के पश्चात् उपयुक्त हों। यह समिति वेतनबोर्ड के समक्ष रखी गई तथा अध्यादेश को जारी करने के पश्चात् उपलब्ध, सारी सामग्री पर विचार कर सिफारिश करेगी कि इस सम्बन्ध में वेतन बोर्ड के निश्चयों में संशोधन किया जाय या नहीं, अथवा वे भविष्य से लागू हों या भूतलक्षी अवधि से लागू हों। साथ ही समिति प्रादेशिक या किसी अन्य उपयुक्त आधार पर समाचार पत्रों की एक विशेष श्रेणी या वर्ग पर भी विचार कर सकता है। जब समिति की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी तो केन्द्रीय सरकार सिफारिशों के रूप में एक आदेश जारी करेगी। अथवा ऐसे रूपभेद करेगी जिन्हें वह उचित समझेगी।

तथापि इन रूपभेदों से सिफारिशों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा विकल्प यह है कि सिफारिशों में कुछ ठोस परिवर्तन किये जायें। ऐसे परिवर्तन करते समय केन्द्रीय सरकार समस्त प्रभावित व्यक्तियों को विहित ढंग से नोटिस देगी तथा उनके लिखित अभ्यावेदनों पर विचार करेगी। अथवा सिफारिशों को फिर समिति को भेज देगी। तत्पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनः विचार करेगी और तत्पश्चात् सिफारिशों के रूप में या ऐसे रूपभेद करके आदेश जारी करेगी जो व्यापक प्रकार के नहीं होंगे।

यह सब कहने का मेरा आशय यह है कि अध्यादेश के उपबन्धों के सम्बन्ध में जो आशंकाये प्रगट की गई हैं वे सब निराधार हैं।

सभा के सम्मुख जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं तथापि वे परिवर्तन इस प्रकार के नहीं हैं जो प्रस्तावित विधान के महत्वपूर्ण उपबन्धों में कोई मूल्य परिवर्तन करें।

अब मैं, जो आपत्तियां उठाई गई हैं उन्हें लेता हूं। मैं पुनः संकल्प का जिक्र करूंगा क्योंकि आपत्तियां इसी के विभिन्न अंशों में व्यक्त की गई हैं। वे दो प्रकार की हैं। पहिले वर्ग की आपत्तियां संवैधानिक विधि या टेक्नीकल आधार पर की गई हैं और दूसरी औचित्य और न्याय के आधार पर उठाई गई हैं।

सम्मेलन द्वारा पारित अध्यादेश में बताया गया है कि अध्यादेश आपत्तिजनक, असंवैधानिक और अभूतपूर्व प्रकार का है। "असंवैधानिक" शब्द बुरे अर्थ का द्योतक है। मेरे विचार से इस शब्द का ऐसे अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है।

संकल्प में यह भी कहा गया है कि सरकार के लिये यह आदेश देना कि अध्यादेश के अधीन नियुक्त समिति, वेतन बोर्ड के निश्चय को, जांच का विषय बनाये अन्यायपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय इस सम्बन्ध में यह घोषित कर चुका है कि वेतन बोर्ड ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा ९(१) के आदेशक उपबन्धों की अवहेलना की है। आगे यह भी कहा गया है कि सम्मेलन यह भी अनुभव करता है कि पूर्णतः सरकारी समिति की नियुक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन स्वीकृत न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अखिल भारतीय आधार पर श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन दरों का निर्धारण करना उचित नहीं है। इत्यादि।

वस्तुतः संकल्प में बहुत दोषपूर्ण प्रकार का तर्क किया गया है। ये आपत्तियां उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के गलत अर्थ लगाने के कारण हुई हैं। भाषणों में भी इस पहिले भाग पर बहुत जोर दिया गया है कि वेतन बोर्ड के कार्य को समिति के कार्य का आधार बनाना उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय की परिवंचना करने के समान है। मेरी समझ में नहीं आता कि वेतन बोर्ड के निश्चयों को आधार मानकर चलने में क्या हानि है। अध्यादेश अथवा विधेयक में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। उस पर वेतन बोर्ड के निश्चय को स्वीकार करने या लागू करने का बन्धन नहीं है। विधेयक ने उपबन्धों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उन्हें इच्छानुसार स्वीकार, अस्वीकार या उनमें परिवर्तन कर सकती है। संभव है निर्णय की शर्तें पूर्ण न हों, क्योंकि उच्चत्तम न्यायालय के अनुसार कुछ बातों पर यथोचित विचार नहीं किया गया था। उक्त न्यायालय के अनुसार ऐसी कार्यवाही या प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जिससे यह आश्वासन मिलता कि उद्योग की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने अपने निर्णय के दौरान यह कहा कि यदि वेतन बोर्ड ने एकत्रित सामग्री, पश्नोत्तरों तथा साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर वेतन दर का निश्चय कर लिया था तो उसके लिये यह आवश्यक था कि वह अपने इस प्रस्ताव को विभिन्न समाचार पत्रों तथा तत्संबंधी

[श्री नन्दा]

हितों के पास भेज कर एक निश्चित अवधि के अन्दर उनसे अभ्यावेदन निमंत्रित करता। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती तो आज उसे कोई सामान्य न्याय के आधार पर चुनौती देने का साहस नहीं करता, इत्यादि ।

वस्तुतः यदि वेतन बोर्ड ने यह सावधानी बरती होती तो यह निर्णय वैध और उपयुक्त समझा जाता। लेकिन कुछ बातों की अनुपस्थिति के कारण उस पर उच्चत्तम न्यायालय में आपित्त उठाई गई। उच्चत्तम न्यायालय जानता था कि इस मामले की कुछ जांच की जाय जो नहीं की गई यह कार्य अब समिति करेगी। वस्तुतः समिति इस समय भी यह कार्य कर रही है। जांच पूरी न होने के कारण उन के निर्णय अधूरे रह गये थे ।

संभव था कि अधिक विचार करने तथा उद्योग के संबंध में पूरे आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् भी बोर्ड की यही राय कायम रहती। जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है वह श्रमजीवी पत्रकारों के पास उपलब्ध नहीं हैं अपितु नियोजकों के पास है। संभव है नये सिरे से जो जांच होगी उसमें भी यही आंकड़े उपलब्ध किये जायं। निसंदेह अधिक जानकारी प्राप्त करने के तरीकों का उपयोग किया जा रहा है ।

बोर्ड ने पर्याप्त बहुमूल्य सामग्री एकत्रित कर ली है, निसंदेह इससे उच्चत्तम न्यायालय संतुष्ठ नहीं हो सका तथापि यह सामग्री बहुत लाभदायक है।

इस मामले का दूसरा पहलू भी है। वेतन बोर्ड के बहुत से निर्णय सर्वसम्मति से हुए हैं। बोर्ड ने काफी मेहनत के पश्चात् जो कार्य किया गया है उसे क्यों नष्ट किया जाये। क्षेत्र के वर्गीकरण तथा श्रमजीवी पत्रकारों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय हुए हैं। समिति के लिये यह सब लाभ रहित नहीं हो सकता है। यदि समिति वेतन बोर्ड के निश्चयों को लेकर आगे बढ़े तो इसमे किसी विशेष हित की हानि नहीं हो सकती है।

दूसरी आपत्ति सरकारी समिति और उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। यह प्रश्न उठाया गया है कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम इत्यादि हैं तथा न्यायनिर्णयन इत्यादि प्रकार की प्रक्रिया है। उनका अनुकरण क्यों नहीं किया जाता। इस विशेष समिति की आवश्यकता क्या है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सरकार एक विशेष प्रक्रिया का अनुकरण करने के लिये बाध्य नहीं है। उच्चत्तम न्यायलय ने भी यह स्पष्ट कहा है कि वेतन निर्धारण के कई मार्ग हो सकते हैं। अर्थात् यह न्यायनिर्णयन, न्यायिक प्रक्रिया या वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। ये सारे तरीके वैध और संवैधानिक हैं। मेरे पास ब्रिटेन तथा अन्य देशों के उदाहरण हैं जहां वेतन निर्धारण मंत्री या सरकार के द्वारा किया जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम में भी यह उपबन्ध है। जहां न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती वहां समिति कार्य करती है अन्ततः सरकार निश्चय करती है उसका दायित्व सरकार स्वयं लेती है। इसलिये सरकार यदि यह प्रक्रिया स्वीकार करे और सरकार को यह शक्ती दे कि वह वेतन बोर्ड के निर्णयों के अनुसार आवश्यक रूपभेद करके, उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले को तय करे तो मेरे विचार से कोई भी संसद को ऐसा निर्णय करने के लिये चुनौती नहीं दे सकता है। अतः दूसरी आपत्ति कि सरकारी समिति नियुक्त कर अभूतपूर्व कार्य किया गया है, के विरोध में अधिक बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। संसद् को ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है।

जहां तक औचित्य का प्रश्न है इस सम्बन्ध में औचित्य और न्याय बहुत पहिले विचार करना था, वस्तुतः ये सारी बातें पैदा ही नहीं होती यदि हमने इस मामले को सुलझाने में औचित्य पर ध्यान दिया होता ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

समिति इस मामले पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है तथा उसने लेखे इत्यादि संगत सामग्री की जांच करने के लिये आयकर विभाग के २३ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। तथा यह कार्य पूरी गम्भीरता से किया जा रहा है ।

समाचार पत्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के भाषणों में मुझ पर यह दोषारोपण किया गया है कि मैंने प्रैस सम्मेलन में समिति द्वारा कार्य समाप्त करने की अवधि बता कर गर्हित अपराध किया है, स्थिति को देखते हुए मैं ने यह कहा था कि वह तीन महीने का समय लेगी । इस प्रकार मैंने समिति की अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । अध्यादेश में कोई सीमा नहीं रखी गयी है । वस्तुतः समिति को अपना कार्य करने के लिये इच्छानुसार समय मिलेगा ।

सम्मेलन में, भारत तथा पूर्व-देशीय समाचार पत्र संघ के अध्यक्ष ने, अपने भाषण के दौरान में यह कहा था कि समाचार पत्र उद्योग को उन पर किये जाने वाले आघातों के समक्ष घुटने नहीं टेकने चाहियें बल्कि आवश्यकता होने पर वे अपनी रक्षा करने में समर्थ होंगे । इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया। मैं यह आग्रह करूंगा कि नियोजकों तथा पत्रकार दोनों को ही ऐसी आक्रमक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये । ये बातें अनावश्यक हैं । हमारे देश में नियम हैं, संविधान है, विधान है, निसंदेह इन बातों का उपयुक्त प्रभाव होगा ।

†श्री खांडिलकर (अहमदनगर) : माननीय मंत्री ने एक पत्र का उल्लेख किया है जिसमें श्री दिवाकर ने कार्यवाही का सारांश मंत्री को भेजते समय, इस से भी कठोर भाषा का उपयोग किया है । मैं चाहता हूं कि वह पत्र पढ़ा जाय ।

†श्री नन्दा : वह इस समय मेरे पास नहीं है, यदि सभा उस में दिलचस्पी रखती है तो मैं उसे बाद में, आवश्यकता होने पर सभा पटल पर रख दूंगा । मैं केवल सभा को बताना चाहता था कि किस प्रकार की बातें कही गई हैं ।

मैं सभा को केवल वे कारण बताना चाहता था जिन से बाध्य होकर हम ने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया । साथ ही मैंने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि वे ऐसे कौन से कारण थे, जिन के कारण हम दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकें जिस में अधिक विलम्ब होता । मैंने उन आपत्तियों का भी उत्तर देने का प्रयत्न किया है जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उठाई गई थीं ।

†श्री प्रभातकार (हुगली) : मैं अध्यादेश और इस विधेयक का भी स्वागत करता हूं । लेकिन माननीय श्रम मंत्री ने इस अध्यादेश के जो विकल्प बताये हैं, उसके अलावा कुछ और भी तरीक़ा अपनाया जा सकता था । और उस तरीक़े के अपनाने से यह कीचड़ उछालना भी बन्द हो जाता, जो १९५२ से ही चल रहा है । वह तरीक़ा अपनाने से उच्चतम न्यायालय में मामला ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

वह तरीका यह था कि श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन ढांचे के बारे में विधान बना दिया जाता। सरकार यह कर सकती थी। वेतन बोर्ड के निर्णय के बाद चलने वाली विभिन्न वार्ताओं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, यह किया जा सकता था। सरकार तब तक यह तो समझ ही चुकी थी कि समाचार पत्रों के बड़े-बड़े एकाधिकारी सरकार के सारे प्रयत्नों को विफल बनाने पर तुले हुए हैं।

माननीय श्रम मंत्री ने अध्यादेश जारी करने के कारण बताते हुए कुछ तथ्य सामने रखे हैं। लेकिन उन्होंने भारतीय सम्पादक व समाचार पत्र संस्था की कोई अधिक आलोचना नहीं की। इस संस्था ने कई बार समझौते करके और यहां तक कि संयुक्त वक्तव्य जारी करके भी उनका उल्लंघन किया है। संस्था ने समझौते के विरुद्ध ही उच्चतम न्यायालय में याचिका पेश की थी। परन्तु सरकार उस पर चुप ही रही। यदि यह उल्लंघन श्रमजीवी पत्रकारों के फेडरेशन ने किया होता, तो सरकार उसके खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करती।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, श्रम मंत्री, विधि मंत्री, वित्त मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सरकार ने समाचार पत्रों के मालिकों का यह सुझाव मान लिया था कि वेतन बोर्ड से कुछ कम वेतन रखने के प्रस्ताव को वार्ता का आधार बनाया जाये। समाचार पत्रों के मालिकों और श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन दोनों ही ने उसे मान लिया था। लेकिन समाचार पत्रों के मालिकों ने बाद में उस से भी इन्कार कर दिया था। लेकिन सरकार ने इतने पर भी श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन-ढांचे के सम्बन्ध में कोई विधान नहीं बनाया। उस के स्थान पर अध्यादेश जारी कर दिया गया और अब यह विधेयक रखा जा रहा है। अब सरकार फिर से सारे प्रश्न की जांच कराने की बात कह रही है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह है कि वेतन बोर्ड ने अपना निर्णय करते समय समाचार पत्र उद्योग की वेतन अदा करने की क्षमता का ख्याल नहीं किया।

समाचार पत्र उद्योग की वेतन अदा करने की क्षमता मालूम करने के सम्बन्ध में तो यह बात है कि इन मालिकों ने वेतन बोर्ड के साथ सहयोग ही नहीं किया। उन्होंने अपने लेखे ही नहीं बताये। इंडियन एक्सप्रेस' और उसके ग्रुप के समाचार पत्रों, 'अमृत बाजार पत्रिका', और हुबली के 'संयुक्त कर्नाटक' ने वेतन बोर्ड को अपने लेखे देखने ही नहीं दिये।

जब समाचार पत्रों के मालिकों का यह रुख रहा हो। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि वेतन बोर्ड ने वेतन अदायगी की उनकी क्षमता का ख्याल ही नहीं रखा। सरकार भी जानती थी कि वे लेखे नहीं दिखायेंगे। यह इस लिये कि उनके लेखों में बड़ा गोल-माल है। वे श्रमजीवी पत्रकारों ही नहीं अन्य लोगों का भी शोषण करते हैं।

'सौराष्ट्र ट्रस्ट' के लेखे की परीक्षा से पता चला था कि उसमें बहुत सी जालसाजियां हैं। 'हिन्दू' के मालिक की आर्थिक दशा दिन पर दिन फलती-फूलती रही है, लेकिन उनका कहना है कि वेतन बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने की उन में क्षमता ही नहीं है। 'बम्बई क्रानिकल' तो कहता है कि वह घाटे में चल रहा है ! 'काभा ग्रुप' भी यह कहता है कि समाचार पत्र घाटे में चल रहा है, हालांकि वह उस समाचार पत्र से ८२,००० रुपये कमीशन ले लेता है ! तब सरकार कैसे मान सकती है कि वे उतना वेतन अदा नहीं कर सकते ? तब सरकार ने वेतन ढांचे के सम्बन्ध में कोई विधान क्यों नहीं बनाया ?

श्रमजीवी पत्रकारों ने इस सम्बन्ध में बड़ी ही दिलचस्प बातें हमारे सामने रखी हैं। राजकोट से निकलने वाले 'जय हिन्द' का सम्पादक दो हज़ार रुपये महीने लेता है, और उसका पुत्र विद्यार्थी होते हुए भी सम्पादक कहलाता है और ६०० रुपये महीने लेता है । और कानपुर के दैनिक 'जागरण' के सम्पादक को ८०० रुपये मिलने के साथ उसके पांच पुत्रों को भी ढाई सौ से डेढ़ सो रुपये प्रतिमास मिलते हैं । इन पांच पुत्रों में से दो अभी पढ़ रहे हैं और एक कुल पांच वर्ष की आयु का है, जिसे १५० रुपये मिलते हैं ।

तब भी ये लोग कहते हैं कि इनमें अधिक वेतन अदा करने की क्षमता नहीं है । और इस पर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती । और यह भी ऐसी हालत में, जब कि श्रमजीवी पत्रकारों ने कष्ट सहकर भी हमेशा सहयोग ही किया है । समाचार पत्रों के मालिक तो इस समिति की सिफारिशों को भी विफल बनाने पर तुले हुए हैं ।

सरकार को चाहिये था कि पहले ही श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन-ढांचे के सम्बंध में एक विधान बना देती । पता नहीं सरकार हिचकती क्यों है। मालिक लोग श्रमजीवी पत्रकारों का ही शोषण नहीं करते, वे अखबारी काग़ज़ की चोर बाज़ारी भी करते हैं। और सरकार है कि श्रमजीवी पत्रकारों के धैर्य बनाये रखने के लिये ही कहती जाती है । इन मालिकों में ऐसे भी आसामाजिक लोग हैं जिन्होंने आयकर की अपवंचना करना अपना धर्म बना लिया है, लेकिन हमारे मंत्रि-परिषद् मंत्री तक उनसे मेल जोल रखते हैं ।

इन मालिकों के पास कितना धन जमा हो गया है इसका अन्दाज तो इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में मथुरा रोड पर और बम्बई में चर्च गेट पर उनकी कितनी विशाल अट्टालिकायें खड़ी हो रही हैं। ये मालिक कई तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि उन्हें श्रमन श्रेणी से हटाकर दूसरी श्रेणी में रख दिया जाय। और उन पर समिति की सिफारिशें लागू न हो सकें । इसके लिये वे अपने सभी पत्रों को अलग समवायों का रूप दे रहे हैं ।

यदि हम समय रहते इसको रोक थाम नहीं करते तो वे इस विधेयक का उद्देश्य ही विफल बना देंगे । तब उनके खिलाफ़ और सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, इस में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे । अच्छा तो यही रहेगा कि वे परिवर्तन अभी कर दिये जायें । हमें श्रमजीवी पत्रकारों को यह

[श्री भानकार]

श्रेय देना चाहिये कि इतनी अधिक उत्तेजना के बाद भी वे शान्त बने रहे। उनके महामंत्री और सभापति को मालिकों ने शिकार बनाया। फिर भी वे शान्त बने रहे। उन्होंने सरकार के साथ पूरा सहयोग किया है। इसलिये सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये और उसके लिये जरूरी है कि विधेयक में कुछ संशोधन किये जायें।

अभी इस समय भी मालिक लोग श्रमजीवी पत्रकारों को शिकार बना रहे हैं। इसे रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन द्वारा की गई शिकायतों पर पूरा-पूरा विचार किया जाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री खाडिलकर** : श्री नन्दा और श्री पन्त जी ने इस विवाद का निबटारा करने की छः वर्ष तक बहुत कोशिशें की हैं। उनकी कोशिशें विफल होने पर ही, यह अध्यादेश जारी करना पड़ा है। और इस लिये अब यह विधेयक हमारे सामने आया है।

श्रमजीवी पत्रकार १९५२ से अपनी मांगों के लिये आवाज़ उठा रहे हैं। प्रेस आयोग ने १९५४ में उनकी मांगों को एक आम रूप में मान लिया था और सुझाव भी दिया था कि उनको अमल में लाने की कोई व्यवस्था की जाये। तभी सरकार ने वेतन बोर्ड की नियुक्ति की थी। वेतन बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें भी की थीं। , लेकिन समाचार पत्रों के स्वामियों ने उनको मानने से इन्कार कर दिया। श्रम मंत्रालय उनको विवश नहीं कर सके हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ़ इसी आधार पर वेतन बोर्ड की सिफारिशों के विरुद्ध निर्णय किया है कि बोर्ड ने समाचार पत्र उद्योग की वेतन अदायगी की क्षमता का ध्यान नहीं रखा। इस निर्णय से पहले ही इस प्रश्न के निबटारे के लिये एक सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन मालिकों ने सरकार की बात ही नहीं मानी बल्कि उसे धमकियां भी दीं। मैं पूछता हूं कि इसी प्रकार हम जनतांत्रिक उपायों से अपने देश में समाजवादी ढंग का समाज बनाने जा रहे हैं? सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। समाज कल्याण की दृष्टि से बनाये जाने वाले विधानों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाना चाहिये।

श्रम मंत्री अपनी सभी समिति शक्तियों के बल पर हर उद्योग का वेतन-ढांचा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी समाचार पत्र अपने सम्पादकीय लेखों में अन्य उद्योगों के लिये तो वेतन-ढांचा निर्धारित करने की बात कहते हैं, लेकिन अपने उद्योग का सवाल उठने पर उसका विरोध करते हैं। वे अपने उद्योग में मालिक और नौकर का सम्बंध भी बनाये रखना चाहते हैं। इस पर भी सरकार ने मालिकों की जरा भी आलोचना नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार यह चाहते हैं कि कलमजीवी लोगों को वकीलों और डाक्टरों जैसी ही प्रतिष्ठा दी जाये । यह बिलकुल उचित है ।

आज बहुत से पत्रों में ही यह आ रहा है कि वाकई लेख लिखने या अखबार चलाने वालों को ज्यादा से ज्यादा ४००–५०० रुपये मासिक मिलते हैं, जब कि उनका प्रबन्ध करने वाले, बिना काम किये ही, १०००–२,००० रुपये पीटते हैं ।

श्री आर० आर० दिवाकर जैसे गांधीवादी भी इस सम्बंध में आम मालिकों जैसा ही रूख अपना लेते हैं। उन्होंने वेतन बोर्ड को अपना लेखा नहीं ही दिखाया। वे भी पत्रकारों के साथ न्याय नहीं करना चाहते । ताज्जुब की बात है कि ऐसे व्यक्ति बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यह गांधीवादी नैतिकता है ।

इसी तरह पंडित कुंजरू पूछते हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों को अन्य टेकनिकल कर्मचारियों से अलग क्यों समझा जाये ? इसका मतलब यह है कि टेकनिकल कर्मचारियों की भांति श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन-ढांचा भी निर्धारित न किया जाय ।

इस देश में नैतिकता के ऐसे दो मुखे मानदण्ड तो नहीं रहने चाहियें।

मैं इस अधिनियम का समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसकी कार्यान्विति में आड़ें आयेंगी। अधिनियम में व्यवस्था है कि इस अधिनियम की कार्यान्विति उचित रूप में कराने के लिये निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे । लेकिन बम्बई ने निरीक्षक नियुक्त करने से इन्कार कर दिया है । और बम्बई में अभी कुछ दिन पहले इसके विरोध में एक हड़ताल भी हुई थी। हड़तालियों की एक मांग यह भी थी कि बम्बई सरकार को निरीक्षक नियुक्त करना चाहिये ।

मद्रास सरकार ने बताया है कि इस अधिनियम में दूसरी त्रुटि यह है कि निरीक्षकों को इतनी पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं कि वे श्रम जीवी पत्रकारों के काम की परिस्थितियों का अध्ययन कर सकें। यह त्रुटि दूर की जानी चाहिये।

इस में तीसरी त्रुटि यह है कि 'ज' श्रेणी के समाचार पत्रों में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के लिये कोई भी वेतन-क्रम निश्चित नहीं किया गया है । यह भी किया जाना चाहिये ।

और, मैं फिर दोहराता हूं कि समाज कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विधानों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिये । और यह भी जरूरी है कि सरकार समाचारपत्र उद्योग के स्वामित्व की प्रणाली का अध्ययन करे और स्वामित्व की प्रणाली को एक नये रूप में ढाले । कुछ थोड़े से धनी लोगों के हाथ में समाज के प्रचार के सारे साधन केन्द्रित रहने देना बहुत ख़तरनाक है । प्रेस आयोग का भी यही मत है ।

प्रेस आयोग ने यह भी बताया है कि ये मालिक लोग किस तरह अपने निकट संबंधियों को प्रबन्ध और वितरण इत्यादि का काम देकर अधिकतर आय खुद हड़प जाते हैं । सभा में इस के कई उदाहरण बताये जा चुके हैं । इसी तरह, यह मालिक लोग अपने लेखों में यह दिखा पाते हैं कि मुनाफ़ा बहुत थोड़ा ही हुआ है ।

[श्री खाडिलकर]

चूंकि श्रमजीवी पत्रकारों का यह विवाद पिछले छैः साल से चल रहा है, इसलिये मालिकों ने उनकी वेतन-वृद्धि, और भत्ते इत्यादि रोक रखे हैं। मालिक लोग उच्चतम न्यायालय में फिर से मामला भेज कर इस विवाद को और भी लम्बा खींच ले जाना चाहते हैं। दोनों के कारण श्रमजीवी पत्रकारों को ही कष्ट होता है। इसलिये सरकार को इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

†श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : मैं इस विधान के लिये सरकार को बधाई देता हूं। समाचार पत्रों के मालिक उच्चतम न्यायालयों में क़समें खाकर कहते हैं कि उन के पास उचित वेतन देने लायक धन नहीं है, दूसरी ओर वे बड़ी-बड़ी, कई मंज़िली इमारतें खड़ी करते जा रहे हैं। एक तरफ वे आय-कर अपवंचना करते हैं, दूसरी तरफ सम्पादकों और पत्रकारों को भूखों मारते हैं। ये मुंदड़ा जैसे लोग

†श्री महन्त (ढेंकानाल) सभी को एक लाठी से नहीं हांका जाना चाहिये।

†श्री अन्सार हरवानी मैं मानता हूं कि उन में कुछ अच्छे लोग भी हैं। सरकार को इन के साथ जरा कड़ाई से पेश आना चाहिये। सरकार को इन लोगों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिये कि ये बार-बार उच्चतम न्यायालय में मामले ले जाकर इस विवाद को लम्बा खींचते चले जायें। इस बहाने से उन्होंने पिछले छैः साल से श्रमजीवी पत्रकारों के भत्ते नहीं दिये हैं, वेतन रोक रखे हैं, इत्यादि। कई प्रमुख पत्रकारों को शिकार भी बनाया गया है। सरकार को यह रोकना चाहिये। यदि यह जारी रहेगा तो श्रमजीवी पत्रकारों को संसदीय लोकतांत्रिकता पर कोई विश्वास नहीं रह जायेगा।

सरकार को इन मालिकों के लेखों की बड़ी बारीकी से परीक्षा करानी चाहिये।

†श्री महन्त : वास्तव में पत्रों के पूंजीपति मालिकों की हठधर्मी के कारण ही इस अध्यादेश को सरकार ने जारी किया। मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं।

इस विधेयक पर कुछ कहने से पूर्व मैं सभा का ध्यान श्रमजीवी पत्रकारों से संबंधित १९५५ के अधिनियम की ओर दिलाऊंगा। इस अधिनियम के खण्ड १०, के अधीन वेतन बोर्ड का निर्णय अन्तिम था। किन्तु वर्तमान विधेयक के अधीन सरकार बोर्ड के निर्णय पर दोबारा विचार कर सकेगी। इस प्रकार वेतन बोर्ड से वह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

इस विधेयक के अनुसार पदाधिकारियों की समिति वेतन बोर्ड के निर्णयों पर विचार करके सिफारिशें प्रस्तुत करेगी किन्तु सरकार उन सिफारिशों में भी फेर बदल कर सकती है। यदि सरकार बोर्ड को ही समस्त उत्तरदायित्व सौंपती तो इस से जनता में ज्यादा संतोष होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी के साथ यह भी सत्य है कि वेतन बोर्ड ने इस नाजुक प्रश्न पर पूर्ण ध्यान से विचार नहीं किया । वेतन बोर्ड के सभापति ने स्वतः माना है कि अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्थितियों में बड़ा अन्तर है इस कारण यह बात असंभव है कि उनके वेतन निर्धारण कार्य से किसी भी पत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

प्रेस आयोग के वित्त एकक ने १२७ पत्रों की वित्तीय स्थिति की जांच की थी । उन में से ६८ समाचार पत्रों ने घाटे में चलने की सूचना दी। अतः वेतन बोर्ड को सभी पत्र एक ही वर्ग में करने नहीं चाहियें थे । यह बात सुन कर मुझे खेद होता है कि वेतन बोर्ड यह कहे कि उनकी कार्यवाही से दो चार छोटे मोटे पत्र बन्द हो गये । छोटे पत्रों का तो बहुत ही महत्व है । स्वतंत्रता क लिये लोगों को उत्साहित करने में इन पत्रों का बड़ा भाग है । यह भावना तो बड़ी खतरनाक है । छोटे पत्र किसी एक विचार धारा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं । छोटे पत्रों ने ही तो सोचने की स्वतंत्रता को कायम रखा है । वेतन बोर्ड का यह कथन अच्छा नहीं है । इस समय छोटे समाचार पत्रों का अस्तित्व संकट में है ।

वर्तमान विधेयक के खण्ड ३ के अधीन भी समिति की नियुक्ति के बारे में एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है । १९५५ के अधिनियम के अधीन वेतन बोर्ड में पत्रों के मालिकों तथा पत्रकारों की बराबर की संख्या रखी गयी थी तथा उसका प्रधान एक निश्पक्ष व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो । वर्तमान विधेयक के अधीन समिति में गृह मंत्रालय के कनिष्ट अधिकारी होंगे तथा विधि मंत्रालय के लोग होंगे ।

मैं माननीय मंत्री से पूछना हूं कि वह एक उदाहरण क्यों रख रहे हैं कि न्यायाधीश के समान योग्यता वाले लोगों के निर्णयों पर कनिष्ठ अधिकारी पुन-विचार करें। यह गलत है कि बोर्ड के निर्णयों पर पदाधिकारियों की समिति विचार करे ।

खैर मुझे आशा है कि समिति समस्त मामलों की जांच पुनः करेगी । यदि पुराने वेतन बोर्ड के सामने ही सारी सामग्री होती तो फिर इस प्रकार की समिति बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ।

कल एक प्रश्न में मैं ने माननीय मंत्री से पूछा कि इस समिति में सरकारी पदाधिकारी क्यों रखे जा रहे हैं । यह काम उसी वेतन बोर्ड को क्यों नहीं सौंप दिया जाता । माननीय मंत्री ने कहा था कि इस में मामलों का निपटारा शीघ्र ही हो जाया करेगा ' यह तो कोई बात न हुई । इस से न्याय न होगा । मैं इस सिद्धांत को ही नहीं मानत। ।

मेरा आशय यह नहीं कि ये पदाधिकारी स्वतंत्र विचारों के न होंगे किन्तु मानव का स्वभाव ही ऐसा है और उसी कारण निर्णयों की वस्तुनिष्ठता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस समिति का उत्सादन ही करा दें तो बहतर है ।

[श्री महन्ती]

दूसरी बात मैं यह नहीं समझा कि यही मंत्री महोदय क्यों इस विधेयक को लाये। यह सूचना तथा प्रसारण मंत्री को लाना चाहिये था। वास्तव में यह पत्रकारों के कल्याण का प्रश्न है। वेतन बोर्ड ने छोटे समाचार पत्रों के बारे में शिफारिशें करते समय कहा था कि जब एक पृष्ठ का एक पैसा मूल्य इत्यादि सिफारिशें क्रियान्वित हो जायेंगी तब इन समाचार पत्रों को भी न्यूनतम वेतन पत्रकारों को देना सुगम हो जायेगा। इसी कारण वे कहते हैं "हमने न्यूनतम वेतन प्रेस आयोग की सिफारिश से भी कम ही निर्धारित किया है।" अतः सिद्ध होता है कि सरकार ने दूसरी सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की। यदि वे करते तो निश्चय ही श्रमजीवी पत्रकारों का कल्याण हो जाता।

यदि आज छोटे समाचार पत्र बन्द हो गये तो हजारों पत्रकार बेकार हो जायेंगे। इस के अतिरिक्त उद्योग को और भी हानि होगी। यदि सूचना तथा प्रसारण मंत्री विधेयक लाते तो मैं पूछता कि पहली सिफारिशों का क्या हुआ।

प्रेस आयोग की सिफारिश यह भी थी कि विज्ञापन छोटे पत्रों को दिये जायें। सरकार को इस प्रकार ही उनकी सहायता करनी चाहिये। जो छोटा पत्र सरकार की आलोचना कर देता है सरकार उसे विज्ञापन देना बंद कर देती है उड़ीसा में ऐसा हुआ है।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : श्रीमान् सामूहिक रूप से ही तो हम समस्त पत्रों के मालिकों की निंदा नहीं कर सकते। यह ठीक है सामाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिये। संविधान में इस के बारे में व्यवस्था है। यह हमारा सब ही का कर्तव्य हो जाता है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनाये रखने का भरसक यत्न करें। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ पत्रों के मालिकों का आचरण इस प्रकार का रहा है कि हम उनकी निन्दा किये बिना नहीं रह सकते।

पत्रकारों की समृद्धि का प्रश्न अविलम्बनीय है। अतः इस काम में देर नहीं होनी चाहिये किन्तु अनुभव किया गया है कि पत्रों के मालिक इस काम में रोड़ा अटका रहे हैं। वे सारी चीज को ही समाप्त कर देना चाहते हैं।

हमारी सरकार से पहले जो गलतियां इस विधि में हुईं और जिन को हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने बताया यह संसद् उन्हीं गलतियों को ठीक करने की दृष्टि से ही यह कार्यवाही कर रही है। इस से किसी को भी यह अर्थ न निकालना चाहिये कि सरकार न्यायालय के निर्णय को न मान के दूसरी कार्यवाही ही कर रही है। ऐसी बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्वतः ही पत्रों के मालिकों के बहुत से तर्क रद्द कर दिये थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वेतन बोर्ड ने पत्रों के वेतन देने की क्षमता पर विचार नहीं किया। इतनी बात पर ही यह मामला अस्वीकृत हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २० अगस्त, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २० अगस्त, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तेलों के उदजनीकरण पर रोक विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में तेलों के उदजनीकरण पर रोक लगाने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"भारत में तेलों के उद्जनीकरण पर रोक लगाने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

भारतीय विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)

श्री गोरे (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, १८६९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, १८६९ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री गोरे** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

(धारा १३ तथा द्वितीय अनुसूची का संशोधन)

†श्री घोषाल (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री घोषाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

(अनुसूची १ का संशोधन)

†श्री घोषाल (उलुबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कामगार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†श्री घोषाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा ११६क का संशोधन)

†श्री केशव (बंगलौर नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ी जानकारी देनी है। हम माननीय सदस्य के आभारी हैं कि उन्होंने विधि में त्रुटि बताई है किन्तु यह संशोधन नियम १४० के निकल जाने से सारहीन हो जाता है। उस नियम के बारे में मैं सभा को बता चुका हूं। कई और आवश्यक बातों के लिये हमने उस नियम में भी संशोधन कर दिये हैं। वह नियम २६ जून १९५८ को लागू हुआ है। वह यह चाहते थे कि जब भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण आदेश दे तब यह सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाये। इस सम्बन्ध में नियम १४० में उपबन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

कर ही दिया गया है । हमने यह व्यवस्था भी कर दी है कि प्रत्येक वादी निर्वाचन आयोग को स्वतः भी सूचना दे । यदि अन्तरिम आदेश दिया जाये तो उसकी सूचना भी निर्वाचन आयोग को दी जाये । हम इस बात को पहले ही कर चुके हैं ।

†**श्री केशव :** अगर ज़रूरत हुई तो मैं विधेयक को विचार प्रस्ताव के समय वापिस ले लूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री केशव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

(धारा ६ का संशोधन)

†**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्हौर) : श्रीमान जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री झूलन सिंह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों की, जिनकी भूमि और सम्पत्ति नदियों द्वारा भूमि के कटाव के परिणामस्वरूप नष्ट हो गई हो, सहायता और उनके पुनर्वास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"ऐसे व्यक्तियों की, जिनकी भूमि और सम्पत्ति नदियों द्वारा भूमि के कटाव के कारण परिणामस्वरूप नष्ट हो गई हो, सहायता और उनके पुनर्वास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सिख गुरुद्वारा विधेयक

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी वस्तु के निर्माण, आयात और निर्यात का आन्तरिक वितरण के सम्बन्ध में प्रचलित किसी एकाधिकार या व्यापार सम्बन्धी निरोधक अथवा अनुचित तरीकों और उनके प्रभावों की जांच करने, और उनके परिणामस्वरूप या उनके सम्बन्ध में पैदा होने वाली अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"किसी वस्तु के निर्माण, आयात और निर्यात या आन्तरिक वितरण के सम्बन्ध में प्रचलित किसी एकाधिकार या व्यापार सम्बन्धी निरोधक अथवा अनुचित तरीकों और

---

†मूल अंग्रेजी में

उनके प्रभावों की जांच करने, और उनके परिणामस्वरूप या उनके सम्बन्ध में पैदा होने वाली अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री तंगामणि** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री तंगामणि** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

†**श्री बाल कृष्ण वासनिक** (भंडार-रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री बाल कृष्ण वासनिक** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री झूलन सिंह द्वारा २ मई, १९५८ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । श्री झूलन सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य केवल इ तना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के मुकदमों में जो समय और धन खर्च होता है उसकी बचत हो जाये । इससे एक ओर तो सम्बद्ध व्यक्तियों को आराम होगा, दूसरी ओर सरकार

---

† मूल अंग्रजी में

[श्री झूलन सिंह]

को भी लाभ होगा। भ्रष्टाचार रोकने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैंने गत सत्र में आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताया था कि किस प्रकार, ऐसे मामले लम्बे हो जाते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के श्री वेंकटारमण के मामले में कितना समय लगा था, यह तो सबको मालूम ही है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिये मेरा मत यह है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मामलों की संक्षेप कार्यवाही की जो व्यवस्था है, यहां भी वही प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत इसी मामलों को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

विधि अनुसार सरकारी कर्मचारियों के कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें अपने प्रति तथा जनता के प्रति वफादार होना ही चाहिये, अन्यथा उसके साथ कानूनी कार्यवाही की जाती है। यह नहीं कि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो, परन्तु यह कि मामले को शीघ्रता से निबटाया जाय। दूसरा मेरा उद्देश्य इस विधेयक के सम्बन्ध में यह है कि देश में भ्रष्टाचार अपने पूरे शिखर पर पहुंच गया है। इसकी रोकथाम की जानी चाहिये। इसके लिये यही एक उपचार हो सकता है। इसके बिना जो भी हम राजनैतिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के सपने देख रहे हैं वे सब असफल हो जायेंगे। न पंचवर्षीय योजना सफल होगी और न ही लोगों में विश्वास पैदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था होनी चाहिये कि समय और धन कम से कम नष्ट हो।

मेरे विचार में तो इस कठिनाई का यही एक हल है। यदि सरकार के पास कोई और हल हो तो अच्छा है, उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये। वैसे तो अधिनियम बड़ा व्यापक है और सभी प्रकार के अपराध उसके अन्तर्गत आ जाते हैं। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी तथा इस प्रकार के साधन निकालेगी, जिससे हमारे देश का सुधार हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : विधेयक की भावना तो उत्तम है, परन्तु परीक्षण तो इस बात का किया जाना है कि क्या इस संशोधन से ये भावनायें कार्यान्वित हो सकेगी। मेरा मत तो यह है कि केवल भारी सजायें देने से अपराधों की रोक थाम नहीं हो सकती। विशेषकर भ्रष्टाचार की समाप्ति सजा देने से नहीं होगी। इसके लिये तो शिक्षा का प्रसार और देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे हमारे समाज के लोग देश की आवश्यकताओं को पहचानें। आज यदि भ्रष्टाचार अपने शिखर पर है तो उसके लिये वह समाज का ढांचा उत्तरदायी है जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं। जब तक समाज में आर्थिक विषमता है और शोषण करने वाले और शोषित वर्ग विद्यमान हैं, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। इन बातों को दूर कर हमें देश के प्रत्येक नागरिक में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि उसका जीवन और मृत्यु देश के लिये है, तभी भ्रष्टाचार के इस रोग से हमारा छुटकारा हो सकेगा।

अब मैं विधेयक की बात को लेता हूं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा १६५ के अन्तर्गत ऐसे अपराधों के लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष की सजा है परन्तु अब इस संशोधन द्वारा जो कुछ प्रस्तावक महोदय चाहते हैं, इसके अनुसार तीन मास से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती। इससे तो भ्रष्टाचार रोकना कठिन हो जायेगा। अतः विधेयक की भावना को ठीक मानते हुये भी मैं इसका विरोध करता हूं। यदि प्रस्तावक महोदय इससे अच्छा कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकें, तो करें, जिससे यह उद्देश्य पूरा हो सके आशा है वह इस पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित कृ० च० शर्मा** (हापुड़) : मेरे मित्र का यह कहना ठीक है कि इस प्रकार के मामलों का निर्णय होने में समय लगता है, परन्तु यह भी उचित ही है कि इस प्रकार के मामलों में फंसे हुये लोगों को अपनी सफ़ाई का पूरा अवसर मिले । इस दिशा में संक्षेप प्रक्रिया का लागू किया जाना ठीक नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त इसमें सजा केवल तीन मास की है, जबकि धारा १६५ के अन्तर्गत यह सजा तीन वर्ष तक जा सकती है । इसके अतिरिक्त केवल यह समझ लेना कि सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्टाचार करते हैं बिल्कुल गलत और निराधार है । आज तो भ्रष्टाचार के लिये वे उत्तरदायी हैं जोकि समाज के स्वामी बने हुये हैं और अपने आप को बड़ा आदमी कहते हैं । केवल सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना उचित नहीं ।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिराजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि इस बिल का जिस शक्ल में कि यह है, मैं समर्थन नहीं कर सकता । लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जो उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करने का है और जिसको दृष्टि में रख कर कानून बनाये गये हैं, वह उद्देश्य उनसे कतई पूरा नहीं हो पा रहा है और इस वास्ते देश में आम तौर से यह चिन्ता पाई जाती है और यह बिल्कुल स्वाभाविक भी है कि इसके लिये कुछ और ऐसे ठोस कदम उठाये जाने चाहियें, जिनसे भ्रष्टाचार चाहे जिस शक्ल में भी क्यों न हो, वह दूर हो सके । मुझे लगता है कि मूवर महोदय, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, उनका मंशा भी यही है कि कोरप्शन को जिस शक्ल में भी चाहे वह हो, उसको दूर किया जाना चाहिये । लेकिन वह इस बिल के पास कर देने से ही दूर नहीं हो सकती है । एक कानूनी दिक्कत की ओर भी मेरे मित्र श्री ईश्वर अय्यर ने आपका ध्यान खींचा है और वह यह है कि जब आप तीन साल तक का दण्ड प्रिवेंशन आफ कोरप्शन एक्ट के अन्तर्गत देते हैं तो उसको आप समरी ट्रायल जिस तरह से बना सकते हैं जब तक कि आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन नहीं करते हैं । इसके साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन तीन साल तक की सज़ा देने के लिये किस तरह किया जा सकेगा, यह भी एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिये । आसानी से उसे करना असम्भव बात नहीं होगी । या तो आप उसमें जो तीन साल की सजा देने की व्यवस्था की गई है उसको कम कर सकते हैं और कम करने का मतलब यह होगा कि भ्रष्टाचार और भी बढ़ जायेगा या फिर आप कुछ इस तरह के कदम उठा सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, वह खत्म हो सके ।

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सबसे बड़ी आवश्यक बात जो है और जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह है कि समाज का जो ढांचा है, इसको हमें बदलना चाहिये और जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा । लेकिन यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है लेकिन जो आप आसानी से कर सकते हैं वह यह है कि जो लोग शासनारूढ़ हैं, जो चुने हुये व्यक्ति हैं वे तो ऐसे आदर्श कायम कर सकते हैं, इस तरह का अपना जीवन बना सकते हैं जिससे लोगों के दिलों में यह भावना पैदा हो कि यदि उन्होंने कोई गलती की, कोई भ्रष्टाचार किया या किसी ऐसे कार्य में अपने आप को फंसाया जो कि गैरकानूनी है, तो उन्हें नुक्सान हो सकता है, बहुत हानि उनको उठानी पड़ सकती है तथा उन से उनकी नौकरी तक भी छीनी जा सकती है और सज़ा भी हो सकती है । हमारे समाज में तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की बात अभी नहीं आ पाई है । मैं यहां पर कोई खास केस आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं लेकिन आम तौर से जनता में जो भावना है इस भ्रष्टाचार के बारे में उसको आपके सामने रखना चाहता हूं । भ्रष्टाचार न सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स में है बल्कि उन में भी है जो लोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

चुन कर आते हैं और जिनको जनता की सेवा करनी होती है । इस बात की कैसे आशा की जा सकती है कि पब्लिक सर्वेंट्स में से तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाये लेकिन ऐसे लोगों में से यह दूर न हो । पब्लिक सर्वेंट्स अकेले नहीं हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं या जो कोरप्ट हैं । कोरप्शन से मेरा केवल यह मतलब नहीं कि है कि वही कार्य कोरप्ट हैं जो आर्थिक लाभ के लिये किये जाते हैं । लेकिन इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिये किये जाते हैं, जो पक्षपातपूर्ण होते हैं या जो इस उद्देश्य से किये जाते हैं कि अपने नज़दीकी रिस्तेदारों या दोस्तों को लाभ पहुंचाया जाय । ऐसे कार्य करने से यह भावना फैलती है जनता में तथा पब्लिक सर्वेंट्स में भी, कि वे भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं । ऐसी सूरत में प्रशासन अगर कोई अनुचित कार्य करेगा तो उसे पता होगा कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी लेकिन अगर जो शासक वर्ग है वह कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा तो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनमें यह हिम्मत नहीं होगी कि वे कोई अनुचित कार्य कर सकें ।

इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये क्या केवल कानून बना देने से अथवा कानूनों में संशोधन कर देने मात्र से ही हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो सकता है और अगर नहीं हो सकता है तो हमें सोचना होगा कि इसके लिये कौन से दूसरे कदम उठाये जा सकते हैं या कौन से दूसरे तरीके अपनाये जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि प्रचार करके तथा यह भावना फैला कर तथा अपने व्यवहार द्वारा हम इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं ।

आज जरूरत इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है, उसको बदला जाय, जो ना-बराबरी इस समय दृष्टिगोचर हो रही है वह कम हो, समाज में समता आये, बराबरी आये । इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जिन लोगों ने बहुत पहले अपने सामने उच्च आदर्श रखे थे, उन्हीं पर आज भी आचरण करते हुये वे जनता को दिखा दें कि चाहे आज शासन का भार उनके कन्धों पर है लेकिन फिर भी वे इस तरह के लोग नहीं हो गये हैं जो कि जनता से दूर चले गये हैं, या जिस तरह का पहले वे जीवन व्यतीत किया करते थे, उस तरह का जीवन अब वे व्यतीत नहीं कर सकते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जब तक यह भावना नहीं आयेगी और हमारा इस तरह का व्यवहार नहीं होगा, तब तक आप चाहे जितने कानून बना लें, उससे कोई खास काम होने वाला नहीं है । फिर भी कुछ इस तरह की कमियां हो सकती हैं जिनकी तरफ मूवर महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहते थे । इस तीन साल की सजा को अगर बढ़ा भी दिया जाये तो भी जो भ्रष्टाचार को दूर करने का उद्देश्य है वह मेरे विचार से पूरा नहीं हो सकता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे । अगर भ्रष्टाचार को कानून बना कर ही दूर किया जा सकता है या कानून में परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है तो आप कानून बनायें या कानून में परिवर्तन करें । लेकिन मैं समझता हूं आज सबसे जरूरी बात यह है कि हम समाज के ढांचे को बदलने की कोशिश करें, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कोशिश करें । जब तक आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक प्रशासकीय मशीनरी के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हो सकेगा । भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा । अगर आपने यह नहीं किया तो मुझे डर है कि कहीं लोगों का जनतंत्र में जो विश्वास है वह उठ न जाये और उनको यह विश्वास न हो जाये कि जनतंत्र चल नहीं सकता है, वोट से चुन कर जो सरकार कायम होती है वह अपना कार्य नहीं कर सकती है और यह बड़ी भयानक बात होगी । इस प्रकार की मनोवृत्ति भविष्य के लिये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ।

इस वास्ते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा ऐसे कदम उठायें जिससे लोगों के दिलों में विश्वास की भावना पैदा हो और उनमें यह भावना विकसित हो कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो या पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां हों तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की मनोवृत्ति बनी रहे। जब तक यह भावना बनी रहेगी तब तक जिन्हें आप हायर-अप्स कहते हैं उनमें से भी भ्रष्टाचार की जो भावना है वह दूर नहीं हो सकेगी। आप एक कानून में परिवर्तन करें, दूसरे में करें, कुछ नहीं होगा। आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा, जल्दी से जल्दी हिन्दुस्तान में बराबरी लानी होगी, समता लानी होगी, पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों पर अंकुश लगाना होगा, और जब आपने ये सब कार्य किये तभी कुछ अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकेंगे।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के कानूनी पहलू के बारे में कोई खास बात नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं और न ही यह बतला सकता हूं कि अगर ईस विधेयक को मान लिया जाए तथा यह सदन इसको मंजूर कर ले तो जो बीमारी है वह सही तौर पर दूर हो जायेगी या उसका अच्छी तरह से इलाज हो गा या नहीं। लेकिन इस बिल को जिस उद्देश्य को ध्यान में रख कर पेश किया गया है उसमें मैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं और मैं भी उनसे इस बात से सहमत हूं कि सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये कि राज्य-कर्मचारियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, वह खत्म हो।

अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि भ्रष्टाचार का होना या न होना इस बात पर मुनहसर करता है कि हम किस किस्म का वायु मंडल तैयार करना चाहते हैं या किस किस्म का समाज बनाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कुछ अर्सा हुआ इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था जिस में कहा गया था कि हम इस देश के अन्दर समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तो जिस तरह की समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं उसका आशय उस प्रस्ताव में साफ तौर पर ज़ाहिर किया गया है जो हमने पास किया था। लेकिन इस बात को मैं मानता हूं कि समाज में से भ्रष्टाचार दूर हो लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता कि राज कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है उसका कोई बहुत ज्यादा असर समाज के ऊपर नहीं पड़ता है तथा दूसरे जो नान-आफिशल्स होते हैं उनका बहुत अधिक असर पड़ता है। यह ठीक है कि भ्रष्टाचार चाहे कहीं भी हो वह बुरा है तथा अगर कहीं पर चुने हुए व्यक्तियों में भ्रष्टाचार होता है तो वह और भी अधिक बुरा है। लेकिन आज जिस किस्म का राज्य का ढांचा है और जिस ढंग पर हम चल रहे हैं उसमें ९० फीसदी, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ९९ फीसदी, काम की जिम्मेवारी राज कर्मचारियों के ऊपर है जिन को चुना हुआ व्यक्ति कहा जाता है या जो यह सदन है यह तो पालिसी डिसिशन ही कर सकता है, नीति ही निर्धारित कर सकता है, रास्ता ही दिखला सकता है तथा उस रास्ते जो चलने वाले हैं वे राज-कर्मचारी ही हैं और उस पालिसी को कार्यान्वित करने वाले राज कर्मचारी ही हैं। इस वास्ते जब तक राज्य-कर्मचारियों के अन्दर से भ्रष्टाचार नहीं जायेगा उस वक्त तक देश के अन्दर बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि देश में वायुमंडल ऐसा बनना चाहिये जिसमें कि भ्रष्टाचार न हो सके। मेरी समझ मेंनहीं आया कि वे किस ढंग का वायुमंडल चाहते हैं तथा जो वायुमंडल उनके खयाल में है, तखैउल में है वह बन भी सकता है या नहीं। अगर वायुमंडल से उनका मतलब यह है कि ऊंच नीच कम हो तथा जो फर्क इस वक्त पाया जाता है वह कम होना चाहिये तो वह करने की तो

[चौ० रणवीर सिंह]

हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको बिल्कुल मिटा दिया जाय यह मुमकिन है या नहीं, यह शक की बात है ।

मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में एक आदमी की आमदनी २५० रुपया सालाना है। किसानों की कई जगहों पर इससे भी कम आमदनी हो सकती है। और इसके विपरीत छोटे से छोटा जो राज्य कर्मचारी है उसको भी ७५ रुपया मासिक मिलता है और उसकी तीन महीने की आमदनी उनके एक साल की आमदनी के बराबर है। इसका क्या यह मतलब है कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाये और कुछ न करे? अगर बिरला को एक चपड़ासी के बराबर हम नहीं ला पाते हैं तो क्या इस का यह अर्थ है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिये हम कोई कानून ही न बनायें ।

ईश्वर अय्यर साहब न कहा कि वायुमंडल बनन से काम ठीक होता है, सज़ा से नहीं होता है। एक तरफ सज़ा देने को यह नहीं समझा जाता कि इस से कोई बात ठीक होती है दूसरी तरफ इस बात पर एतराज है कि तीन महीने की सजा कर दी जायेगी तो इस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस तरह से जो उन के तर्क हैं मुझे उनमें कंट्राडिक्शन मालूम होता है, और उन के तर्क को मैं समझ नहीं पाया। मैं तो यह मानता हूं कि जहां तक तीन महीने की सजा का ताल्लुक है, चाहे तीन महीने की सजा हो चाहे तीन साल की सजा हो, उस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असल बात यह है कि जो राज्य कर्मचारी हैं अगर उन को तीन महीनों की सजा होती है तो वह सिर्फ तीन महीनों की सजा नहीं हुई, उन की नौकरी जाती है, पैन्शन का हक जाता है और दूसरी सरकारी नौकरी करने का जो हक है वह भी जाता है। आज तीन महीनों की सजा को सिर्फ तीन महीनों की सजा नहीं समझा जाना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि आप चाहे उस को एक दिन की सजा न दें, लेकिन अगर एक ऐसा कानून हो कि जिस ने भी भ्रष्टाचार किया है, और यह साबित हो जाये कि उस ने भ्रष्टाचार किया है तो यह सारे हक छिन जायेंगे, तो भले ही आप उस को एक दिन की सजा न दें, वह कहीं ज्यादा उस भ्रष्टाचार को रोकने का रास्ता होगा। इस लिये मैं इस कारण विधेयक के खिलाफ नहीं हो सकता कि उस में सज़ा थोड़ी रक्खी गई है, और सजा को ज्यादा ही रखना है तो कोई दूसरा अमेंडिंग बिल हमारे कानून मंत्री ला सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि आज जो मुकदमों का लम्बा चौड़ा तरीका है, साल ही साल जो मुकदमें चलते हैं, उनका नतीजा हम ने देखा है और जो बात सही तरीके पर हम चाहते हैं वह नहीं होने पाती। यही नहीं आप ने एक कानून बनाया था कि रिश्वत का लेना तो जुर्म है ही, रिश्वत देने वाला भी मुलजिम माना जायगा। इसका नतीजा यह हुआ कि आप कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते कि किस ने रिश्वत ली है, क्योंकि अगर कोई यह हौसला करता है कि वह आगे और आप को उसका इतला दे, मान लीजिये कि उसका कोई काम पूरा नहीं हुआ और वह राज कर्मचारी की गलती को बतलाना चाहता है, तो भी उस का काम पूरा नहीं होता है। मेरा कोई यह खास मतलब नहीं कि जो रिश्वत देता है उसको छोड़ दिया जाय लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि जो रिश्वत देने वाले हैं, उनमें कई दफा ऐसे आदमी होते हैं—कुछ खास बड़े आदमियों की बात मैं नहीं कहता जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं जो कि रिश्वत देते हैं—लेकिन आम आदमी जो होते हैं ऐसे हालात में होते हैं कि उन का काम नहीं चलता। आप अदालतों के ही काम को देखिये। किसान बाहर से अदालतों में आता है, उसको अपनी तारीख लगवानी है क्योंकि अगर वह शाम तक वहां रहेगा तो उस को घर वापस जाने के लिये सवारी नहीं मिलेगी और कम से कम ४ रु० वहां खर्च करने पड़ेंगे। अगर उस की तारीख जल्दी लग जाये और उसके लिये उस को सिर्फ २ रु० ही खर्चे करने पड़े तो भी वह २ रु० के खर्चे से बच सकता है। इस लिये ऐसा खयाल उस के दिमाग में आ सकता है कि अदालत के चपरासी को १ रु० और दूसरे कर्मचारी को १ रु० दे कर तारीख लगवा ले और २ रु० बचा ले। इस तरह के जो आदमी

होते हैं वह एक तरह से मजबूर हो कर ऐसा काम करते हैं। जो सरकारी आदमी हैं, जो पद पर आरूढ़ हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, कानून को समझे हुए हैं, एक तरफ तो वह हैं, दूसरी तरफ वह आदमी हैं जिन को कानून का पूरा ज्ञान भी नहीं है, जिन को यह भी पता नहीं है कि वह किस तरह से राज्य कर्मचारी के खिलाफ जा सकते हैं, जो कि रिश्वत लेते हैं, मैं दूसरी किस्म के आदमियों को बहुत ज्यादा कसूरवार नहीं समझता। यही नहीं मैं ने कई दफा सुना कि कई बड़े बड़े आफिसर्स हैं जिन के लिए अफिसर्स और मंत्री लोग जानते हैं कि वह कुसूरवार हैं लेकिन उन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुझे याद है एक बार कृषि मंत्रालय का एक सवाल आया, पता नहीं अन्डर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी का मामला था, उस वक्त मुंशी जी वजीर होते थे। उनकी राय थी कि उस अफसर का इस्तीफा ले लिया जाय तो ज्यादा अक्लमंदी की बात होगी, वर्ना अगर अदालत में मामला गया, इस झंझट में हम फंसे तो न तो हम उस का साबित कर सकेंगे और न उस का कुछ बिगाड़ सकेंगे। वह छूट जायेगा, उस को तन्ख्वाह भी देनी पड़ेगी और एक खराब आदमी को उस जगह पर रखने के लिये हम मजबूर होंगे।

इस लिये हम को इस कानून में इस तरह से संशोधन करना चाहिये कि भले ही हम ऐसे आदमियों को अदालत में सजा न करवा सकें, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो करप्ट आदमी है, वह राज कर्मचारी न रह सके और उस ने जो धन भ्रष्टाचार कर के प्राप्त किया है उस का उस से ले सकें। इस के होने के बाद सजा एक साल की हो, तीन महीने की हो, एक महीने या एक दिन की हो, उस से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह विधेयक इस काम को पूरा नहीं करता तो कोई दूसरा विधेयक हमारे कानून मंत्री ले आयें ताकि जो भ्रष्टाचार की बहुत बढ़ी हुई बीमारी है वह दूर हो सके। क्योंकि पहले जो ला एण्ड आर्डर वाला राज्य था वह आज नहीं है। आज हमारे सरकारी आदमी कारखानों के भी मालिक हैं और ऐसे कारखानों के मालिक बनने जा रहे हैं जिन से जनता का सीधा सम्बन्ध है। रेलों के मालिक बनने जा रहे हैं, मोटरों के मालिक बनने जा रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, वह मालिक हैं। एक एक चीज जिस की जीवन के अन्दर जरूरत होती है उस के राज कर्मचारी मालिक हैं और उन के अन्दर से भ्रष्टाचार का दूर होना बहुत जरूरी है। अगर इन का मुकाबला चुने हुए आदमियों से किया जाये तो यह लोग ज्यादा नुक्सान पहुंचा सकते हैं। जो आदमी एलक्टेड होते हैं, अगर वह कोई भ्रष्टाचार करेंगे तो पांच साल के बाद लोग उनको उठा कर फैंक देंगे। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी लोगों के लिये कोई भ्रष्टाचार दूर करने का कानून नहीं होगा तो उस से बड़ा नुक्सान होगा क्योंकि उन की नौकरी भी सुरक्षित है, पेन्शन भी सुरक्षित है, और कई चीजें हैं जो सुरक्षित हैं। चुने हुए आदमियों के लिये कोई सुरक्षा नहीं है, अगर वह गलती करता है तो लोग उसे अगली दफा समझेंगे और उसे रास्ता दिखायेंगे, सही रास्ता कि किस तरह से उसे चलना चाहिये और देश की सेवा किस तरह से होनी चाहिये।

†श्री केशव (बंगलौर नगर): प्रस्तावक महोदय ने जिस भावना से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिये उसको धन्यवाद देता हूं। हमें अपने देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिये, परन्तु यह बात सही नहीं है कि भ्रष्टाचार शिखर पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त जो ढंग आप अपनाना चाहते हैं, वे ठीक नहीं हैं। देरी और परेशानी का तो उपचार होना चाहिये, परन्तु इसी विचार से यदि सारे भ्रष्टाचार के मामलों को संक्षेप प्रक्रिया के अन्तर्गत लाया जायेगा तो यह गड़बड़ी वाली बात होगी। इससे न्याय के स्थान पर अन्याय अधिक होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री केशव]

इसके अतिरिक्त सजा भी कम हो जायेगी, जो कि बड़े भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी नहीं कही जा सकती। और भी कई एक आधार पर मुझे इस विधेयक पर बहुत भारी आपत्ति है। अतः मेरा मत है कि इसके लिये वर्तमान कानून ही ठीक है और इस में परिवर्तन करना उचित नहीं।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : प्रस्तावक की भावना बहुत ही उत्तम है और हमें उस पर काफी प्रसन्नता भी है। भ्रष्टाचार देश का एक भयानक रोग बन गया है और कहा नहीं जा सकता कि किसी प्रकार के उपचार से उसका इलाज हो सकेगा अथवा नहीं। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा उत्पादन और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई। परन्तु हमारा राष्ट्रीय चरित्र कितना गिर गया है, यह कोई भी जानने का यत्न नहीं कर रहा है। हम अपनी परम्पराओं को भूल रसातल को जा रहे हैं। मैं १४ वर्ष सरकारी कर्मचारी रहा हूं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार बड़े-बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और किस प्रकार यह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बड़े-बड़े महान व्यक्तियों को भी उससे बचना असम्भव हो रहा है।

तीसरी और चौथी श्रेणी के लोगों पर एक-एक दो-दो रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार के १४ लाख कर्मचारी एक सौ से कम वेतन पाते हैं, आप इनकी स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग यदि एक दो रुपये ले लेते हैं तो इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण उनकी गरीबी है। आप उन भ्रष्टाचारों को देखिये जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र को छोड़ दीजिये, गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग १० लाख चुनाव के लिये देकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को अपने हाथ में कर लेते हैं। हमें इन गम्भीर मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

परन्तु मैं विधेयक का समर्थक नहीं हूं। संक्षेप कार्यवाही और तीन मास की सजा से काम नहीं चलेगा। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये मंत्री महोदय एक समिति नियुक्त कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिरक्षा विभाग में श्री कृष्णा मेनन ने कुछ किया है। इसके साथ ही हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा करने का यत्न करना चाहिये। इसके बिना हम द्वितीय योजना की सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : मैं विधेयक का समर्थक हूं। तीन मास की सजा सम्बन्धी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। परन्तु सजा का प्रश्न उतना नहीं है जितना कि उसके नैतिक प्रभाव का है। एक दिन की सजा भी किसी का सब कुछ छीन लेती है। उसकी नौकरी, इज्जत और निवृत्ति वेतन सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि ईमानदार व्यक्ति तलाश करने पर भी नहीं उपलब्ध होते। इस लिये प्रश्न यह है कि इसको कैसे हटाया जाय। सामान्य मुकदमें वर्षों चलते रहते हैं और इस बीच अधिकारी लोग इधर उधर से सहायता प्राप्त कर अपना बचाव कर जाते हैं। बहुत संख्या में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये, परन्तु बहुत ही कम लोगों को सजायें हुईं। संक्षेप कार्यवाही में यह सम्भव नहीं हो सकेगा। मेरा मत है कि विधेयक के स्वीकृत हो जाने पर भ्रष्टाचार कम हो सकेगा। एक अधिकारी को पद-च्युत करने से दूसरे पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभापति महोदय, वाद-विवाद को सुनने पर पता लगता है कि इस विधेयक का एक सदस्य ने तो पूर्ण तरह से समर्थन किया है तथा दूसरे ने आधे मन से और सभी अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने बड़े उचित कारण दिये हैं ।

इस सम्बन्ध में, मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्र श्री ईश्वर अय्यर से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने इसके विरोध में ठीक तर्क प्रस्तुत किये हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के सामान्य उपबन्धों का सामान्यतः विरोध ही किया गया है। यहां तक कि विधेयक के प्रस्तावक ने भी बड़े विनम्र शब्दों में इसको प्रस्तुत किया है ।

हम सभी की यह इच्छा है तथा माननीय सदस्य का उद्देश्य भी यही था कि भ्रष्टाचार दूर कर दिया जाये। हम सबको इसी पर विचार करना है कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार दूर किया जाये । परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उनसे इस रोग के दूर हो जाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका विचार है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों को संक्षिप्त परीक्षण के द्वारा निबटा दिया जाये। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया। संक्षिप्त परीक्षण के द्वारा वही मुकदमे निबटाये जाते हैं जिन में अपराध गंभीर प्रकार का नहीं होता है तथा थोड़ी ही सम्पत्ति का मामला होता है। इसी प्रकार संक्षिप्त परीक्षण कुछ मामलों में ही होता है। अध्याय २२ की धारा २६० में भी दिया है कि दण्डाधिकारी यदि चाहे तो संक्षिप्त परीक्षण कर सकता है। इस प्रकार जब कोई अपराध गंभीर नहीं होता, तो संक्षिप्त परीक्षण की कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां तक अपराधी का सम्बन्ध है संक्षिप्त परीक्षण में कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। जैसे उदाहरणतः यदि जुर्माने की राशि एक निश्चित राशि से कम होती है तो अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं होता है।

अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों को लीजिये। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में, भारतीय दण्ड संहिता के कुछ अपराधों को हस्तक्षेप अपराध बना दिया गया है। इसके साथ साथ एक नया अपराध 'आपराधिक अबचार' विशेष रूप में बनाया गया है जिसके अन्तर्गत वह अपराध आते हैं जिनमें बारबार भ्रष्टाचार किया गया हो। इस अपराध की घोषणा करते समय दो बातें की गईं थीं। माननीय सदस्य का विचार था कि विलम्ब नहीं होना चाहिये। मैं भी उन के इस विचार से सहमत हूं कि विलम्ब नहीं होना चाहिये। परन्तु मैं श्री ईश्वर अय्यर के इस विचार से भी पूर्णतया सहमत हूं कि देर में न्याय करना बुरा है परन्तु संभवतः बहुत शीघ्रता से न्याय करना तो बहुत ही बुरा है। इसीलिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पारित करने समय ऐसी व्यवस्था रखी गयी थी जिससे अत्यधिक विलम्ब होने की कोई संभावना न रहे। इसी कारण से विशेष न्यायाधीश नियुक्त किये थे, ताकि असाधारण विलम्ब न हो । इस प्रकार माननीय प्रस्तावक का उद्देश्य एक सीमा तक पूरा हो जाता है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विलम्ब केवल उन्हीं मामलों में होता है जिनमें छानबीन लम्बी चौड़ी करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार के मामले में जब तक पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती है तब तक तो उसका परीक्षण नहीं किया जाना चाहिये । इसी कारण विलम्ब हो जाता है। परन्तु न्यायालयों में तो सामान्यतः मैं ने यही पाया है कि मामलों का निबटारा शीघ्रता से हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

इसके साथ साथ इस सम्बन्ध में एक और बात पर भी विचार किया जाना चाहिये और वह यह है कि जब कुछ महीने पहले इस सभा में १९५८ का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक पारित किया गया था उस समय आपराधिक अवचार के सम्बन्ध में दो बातें की गई थी। एक तो यह कि न्यूनतम दण्ड का उपबन्ध किया जाना चाहिये। बहुत कम कानून ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था की गई है। संसद ने सोचा कि भ्रष्टाचार के मामले पर कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये बशर्तेकि जुर्म साबित हो गया हो।

माननीय श्री ईश्वर अय्यर ने ठीक ही बताया कि दण्ड विधि के दो पहलू होते हैं एक तो निरोधात्मक और दूसरा सुधारात्मक। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसका एक तीसरा पहलू और होता है और वह है भयोत्पादन। सभा ने न्यूनतम दण्ड को एक वर्ष का करके इसी प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है।

इस प्रकार यह सामान्य विधि से कुछ भिन्न प्रकार की व्यवस्था हो जाती है क्योंकि अन्य मामलों में दण्डाधिकारी को यह अधिकार होता है कि अपराध के अनुसार दण्ड दे। इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में इस सभा ने न्यूनतम दण्ड एक वर्ष का करके ठीक ही किया है। जुर्माने के सम्बन्ध में यही व्यवस्था रखी गई है कि विशेष न्यायाधीश जितना चाहे उतना जुर्माना कर दे। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई है कि जुर्माने की राशि रिश्वत आदि के रूप में ली गई राशि अनुसार होनी चाहिये अर्थात् जुर्माना भी कम नहीं होना चाहिये और भ्रष्टाचार के अनुपात में ही होना चाहिये।

"आपराधिक अवचार" के लिये इस समय अधिकतम दण्ड सात वर्ष का रखा गया है। इस प्रकार यदि आप देखें कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किस प्रकार के गम्भीर अपराध आते हैं तो आप मेरे से सहमत होंगे कि इन मामलों में संक्षिप्त परीक्षण नहीं होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दण्ड भारी हो या कम, इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपराध करने की आदत सी हो जाती है। इसलिये यदि उनको पर्याप्त दण्ड नहीं दिया जायेगा तो कम दण्ड उनके लिये बेकार सा रहेगा और उन पर कोई असर नहीं होगा। इसलिये हमें दण्ड द्वारा भय उत्पन्न करने के पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये तो यह बड़ा आपत्तिजनक विधेयक होगा। यदि हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो इससे संसद् द्वारा हाल में स्वीकृत उद्देश्यों का उल्लंघन हो जायेगा। सर्वदा यह आवश्यक नहीं है कि अधिक दण्ड दिया जाये अपितु अपराध के भारीपन को देखते हुये दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे द्वारा इन बातों के बता दिये जाने पर, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक को वापस ले लेंगे।

सतर्कता के सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूं कि विशेष पुलिस तथा विभिन्न राज्यों के भ्रष्टाचार विरोधी विभागों के अतिरिक्त हम अपराध करने वालों पर सतर्कता से ध्यान रखते हैं। हमने सभी विभागों की शाखाओं में निगरानी संगठन बनाया है। इस समय हम शीघ्रता से उन परिस्थितियों को समाप्त कर देना चाहते हैं जिन परिस्थतियों में भ्रष्टाचार करने को इच्छा हो जाती है। इस प्रकार हमारे द्वारा की गई कार्यवाहियों से भ्रष्टाचार करने की इच्छा पर भी प्रतिबन्ध लगता है। लेकिन अपराध हो जाने पर सरकारी कर्मचारी आधार नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है या मुकदमा चलाया जाता है।

श्री केशव ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो सच नहीं थीं । सरकार अपराधियों को शरण देने वाली नहीं है, चाहे वह अपराधी चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय अथवा प्रथम श्रेणी के कर्मचारी क्यों न हों । मैं बताना चाहता हूं कि हाल में ही एक उच्चाधिकारी को विशेष न्यायाधीश ने केवल छः महीने की सज़ा दी थी । सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की और वहां पर उसकी सज़ा बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गई । अपराधी को सज़ा मिलनी ही चाहिये । परन्तु सज़ा दिलाने के लिये आवश्यक प्रक्रिया तथा व्यवस्था करनी चाहिये । हमारे दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक प्रक्रिया है जो अपराधी तथा अभियोक्ता पक्ष दोनों के लिये बहुत उपयुक्त है । इसलिये हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे अपराधी का उचित परीक्षण का अधिकार न छिन जाये ।

मेरी माननीय मित्र से अपील भी है कि वह इसे वापस ले लें ।

†**श्री झूलन सिंह** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों ने मेरी बात को गलत समझा । इस विधेयक को बनाते समय मेरा यह विचार नहीं था कि सज़ा कम कर दी जाये । मैं ने तो केवल इसी उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया था कि देश से यथासंभव शीघ्र भ्रष्टाचार दूर हो जाये अर्थात् शीघ्रता से अपराधी को दण्ड देने से अन्य लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाये । मेरे मित्रों ने मेरी बात को गलत समझा ।

यदि इस सभा की यह राय है कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर यह विधेयक बनाया गया है उससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो मैं विधेयक को वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक को मैंने इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि विधि न्यायालयों में झूठी गवाही देना बन्द किया जाये । सभा को याद होगा कि १९५४ में डा० काटजू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किया था वह तीन उद्देश्यों से किया था । एक तो उनका उद्देश्य यह था कि दाण्डिक मुकदमों में देर न हो, दूसरे दांडिक मुकदमों में धन कम व्यय हो तथा तीसरे झूठी गवाही देना बन्द हो जाये । पहले दो उद्देश्यों के सम्बन्ध में जनता में मतभेद हो सकता है कि मुकदमों का फैसला करने में शीघ्रता हुई है अथवा कम धन व्यय होता है, परन्तु इस बारे में सभी एकमत हैं कि इस संशोधन के पश्चात् भी झूठी गवाहियां होती रही हैं ।

मैं झूठी गवाहियों के बारे में दो प्रतिष्ठित न्यायाधीशों की सम्मतियां यहां पर उद्धृत करता हूं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अंग्रेज न्यायाधीश ने कहा था कि भारत में उन्हें एक भी सच्चा गवाह देखने को नहीं मिला है । उसके इस कथन पर पंडित कपिल देव मालवीय, श्री श्री प्रकाश तथा अन्य व्यक्तियों ने आपत्ति उठायी थी क्योंकि संभवतया यह समस्त भारतीयों के चरित्रों पर लांछन लगाया गया था । दूसरा उदाहरण डा० काटजू का है । ३ मई, १९५४ को दण्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

प्रक्रिया संहिता के संशोधन को प्रस्तुत करते हुये उन्होंने कहा था कि सभी वकील तथा लोग जानते हैं कि न्यायालयों में झूठी गवाहियां होती हैं। इसलिये मेरी इस सभा से अपील है कि विधि प्रशासन को ठीक करने के लिये जो कुछ संभव है वह सब कर दिया जाये।

झूठी गवाही दिए जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं परन्तु मुख्य कारण यह है कि न्याय प्रशासन पद्धति ठीक नहीं है। अंग्रेजों से जो हमें न्याय प्रशासन की यह व्यवस्था मिली है उसके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वकील सदा यही प्रयत्न करते रहते हैं कि झूठ सच बुलवा कर अपने मुवक्किल को मुक़दमा जिता दिया जाये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ को ले लीजिए उसमें दिया है कि 'यदि अपराधी प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार करे अथवा झूठे उत्तर दे तो उसको कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार हमने अपराधी को संविहित अधिकार दे दिए कि वह झूठ बोले। हमें ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में तो एक निर्णय है कि अपराध के लिये छोड़ दिए जाने पर भी किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए दण्ड दिया जा सकता है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि अपराधी को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए जिससे उसको कुछ हानि हो सकती हो। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिये कि अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा करे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि झूठी गवाहियों को प्रोत्साहित किया जाये।

आज हमारे देश में ऐसा प्रचलन है कि वकील लोग यही प्रयत्न करते हैं कि किसी न किसी प्रकार अपने मुवक्किल को जिता दें। इस सम्बन्ध में एक बड़े प्रतिष्ठित नागरिक, श्री पी० कोडान्डा राव ने कहा है कि न्यायालय विधि के अधीन होते हैं और इस प्रकार न्याय नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोग विधि न्यायालयों में न्याय कराने नहीं जाते हैं अपितु अपने मन की बात पूरी कराने जाते हैं। न्याय का अर्थ तो यह होता है कि अपराधी को दण्ड दिया जाये और सचाई सामने आये।

श्री कोडान्डा राव ने आगे लिखा है कि कभी कभी न्यायाधीश सच बात जानने के लिए अपराधियों को अपने कमरे में बुला कर सचाई पूछते थे। यह बड़ी अजीब सी बात है। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि धारा ३४२ की उपधारा (२) में से 'झूठे उत्तर देने से' शब्द हटा दिए जायें। दूसरे धारा ५६२ में यह शब्द जोड़ दिए जायें कि 'अपराधी बिना कुछ छिपाये पूरी तरह सच बात कहे।' मेरा यही कहना है कि जब न्यायालय आयु, परिस्थितियां आदि पर विचार करते हैं तभी उन्हें इस पर भी विचार करना चाहिये कि अपराधी सही बात कहता है और कुछ छिपाता नहीं है।

मेरे कुछ मित्रों का यह कहना है कि ऐसा उपबन्ध करने से अपराधी इस आशा से कि संभवतया उसको छोड़ दिया जाये सच बात कह देगा। मेरा इस विधेयक के द्वारा यह उद्देश्य नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जो अपराधी सच बात कह दे

उसके साथ कुछ नम्र व्यवहार बरता जाये। मैं तो यह चाहता हूं कि सच बात बता देने वाले अपराधी को दण्ड देकर, दया दिखाई जाये तो उसका उस पर बहुत असर पड़ता है।

संसार में कुछ ऐसे देश हैं जहां विधि न्यायालयों में सच बोलने को महत्व दिया जाता है। अमेरिका के न्यायाधीश गोल्डस्टीन के अनुभव पुस्तक 'क्राइम, कोर्टस तथा प्रोवेशन' में दिए गए हैं। उनमें से एक, उद्धरण मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। छः डाकुओं के गिरोह का फैसला करते हुए उन्होंने एक को दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया और अन्य को परिवीक्षा पर छोड़ दिया। जिसको दण्ड दिया गया उसके बारे में उसने लिखा है कि उसको १५ वर्ष का कारावास मिलना चाहिए था परन्तु उसने सच बात कही इसलिए मैंने कम दण्ड दिया है। पांच अन्य व्यक्ति जो परिवीक्षाधीन थे उनको परिवीक्षा के पश्चात उसने घर खाने पर बुलाया तथा ठीक प्रकार से रहने पर बधाई दी। इससे पता लगता है कि सचाई पर नम्र व्यवहार का कितना असर पड़ता है।

यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा उपबन्ध है कि झूठी गवाही देने वाले को दण्ड दिया जा सकता है परन्तु १९५२ से १९५७ के आंकड़े देखने पर पता लगता है कि झूठी गवाहियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्या इनको बिना किसी दण्ड के छोड़ दिया जाता है। इंग्लैंड में इस प्रकार के बहुत कम मामले होते हैं परन्तु जो भी मामले होते हैं उनमें लगभग सभी में दण्ड दिया जाता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

†**सभापति महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री श्री नारायण दास** (दरभंगा): मैं विधेयक को परिचालित करने के बारे में अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

†**सभापति महोदय:** विधेयक तथा परिचालित करने का प्रस्ताव दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री श्रीनारायण दास: सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र श्री रघुबीर सहाय जी ने जो विधेयक इस सदन के सामने रखा है, उसके पीछे जो भावना है वह बहुत ही सराहनीय है। कोई भी माननीय सदस्य इस से खिलाफ राय नहीं रख सकता है। आजकल हमारी अदालतों में जो गवाह जाते हैं या दूसरे लोग जिन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है या बयान देने का मौका मिलता है बावजूद इस बात के कि उन्हें शपथ ग्रहण करनी पड़ती है ईश्वर को साक्षी रख कर या दूसरे ढंग से कि वे सत्य बोलेंगे फिर भी कई लोग झूठी गवाही देते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं। उन्होंने अलाहाबाद के एक जज महोदय का हवाला दिया जिन्होंने कहा बताते हैं कि कोई भी गवाह सत्य नहीं बोलता है। इस को तो मैं एक तरह से अतिशयोक्ति मानता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे गवाह भी हैं जो अदालतों में जा करके सत्य बोलते।

---

† मूल अंग्रजी में

†**सभापति महोदय :** यह विधेयक झूठी गवाही के सम्बन्ध में नहीं है। यह तो केवल अपराधी द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के बारे में हैं कि उसे झूठा बयान देने पर सजा देनी चाहिये या नहीं।

श्री श्रीनारायण दास : क्योंकि माननीय सदस्य ने इस बात पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है इस वास्ते मैं ने भी यह मुनासिब समझा है कि मैं भी इसके बारे में दो चार शब्द कहूं।

हमारे देश के अन्दर अदालतों के बारे में जैसा वातावरण है, उसकी ओर माननीय सदस्य महोदय ने इस सदन का ध्यान खींचा है। वह बहुत ही दुखद है। हमारे देश में कोर्ट में जाकर के लोग जो बातें कहते हैं उसको ठीक बयान करेंगे यह कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि केवल कानून के बल पर यह बात होने वाली नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जायगा, जैसे जैसे हमारा सामाजिक संगठन बदलता जायगा, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जायगा, उससे हो सकता है कि धीरे धीरे इस में भी कमी होती जाय। लेकिन कानून द्वारा इसको किया जा सकेगा, इसमें मुझे शक है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो केस हमारे देश में परजरी झूठी गवाही के होते हैं उनमें से बहुत से लोग छुट जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे यदि मैं इस सम्बन्ध में वकीलों के बारे में कुछ कहूं। मैं सब वकीलों के बारे में नहीं कहता हूं लेकिन वकील भी दोषी हैं। यह जानते हुए भी कि यह परजरी का केस है, उस केस को लेकर उसको डिफेंड करने के लिये अदालत में वकील लोग उपस्थित हो जाते हैं। एक ओर परजरी करने वालों को मालूम हो जाये कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो हमारे देश में परजरी के केस शायद न हों। लेकिन हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है उसमें वकीलों के लिये भी यह लाजिमी है कि यदि कोई क्लायंट किसी वकील के पास पहुंचे तो वह उसको बिना किसी खास कारण के इन्कार नहीं कर सकता है। किसी खास अवस्था में तो वकील उसको इन्कार कर सकता है परन्तु साधारणतया फीस का खयाल रखते हुए वह उसको इन्कार नहीं कर सकता है। मैं नहीं समझता कि जहां तक कोर्ट के सामने झूठ बोलने का सवाल है वह किस कानून से जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो यह विधेयक रक्खा है, उसका स्कोप बहुत सीमित है। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखेंगे तो उस में जो दफा ३४२ है उसमें इस बात का खयाल रक्खा गया, और जैसा कि कहा जाता है हमारे यहां यह सिद्धान्त है, कोशिश यह की जाये, कि भले ही हजार आदमी, जो कि दोषी माने गये हैं, छूट जायें, लेकिन निर्दोष आदमी को कोई सजा न दे सके। हमारे यहां न्याय की व्यवस्था इसी सिद्धान्त पर हो रही है। इसी सिलसिले में मैं समझता हूं कि जो अभियुक्त है उस से किसी भी मुकदमे में या एन्क्वायरी में प्रश्न पूछने का अधिकार किसी मैजिस्ट्रेट को इस धारा के अन्दर नहीं दिया गया है। मेरा मतलब यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट मुनासिब समझे तो वह अभियुक्त से जब उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोगों का बयान हो चुके, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस में अभियुक्त को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह प्रश्न का जवाब दे या न दे। जवाब दे दे तब भी काम चल सकता है और न दे तब भी चल सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का अधिकार जज और जूरी को दिया गया है कि अगर अभियुक्त जवाब न दे तो वह इन्फर करे, जज करे कि इस का कारण क्या हो सकता है। यह दो चीजें हैं। अभियुक्त का जो बयान होगा वह शपथ ले कर नहीं होगा, बिना शपथ के ही होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अदालत के सामने बयान देने जाता है अगर वह सत्य बोलने वाला है तो वह बिना शपथ के भी सत्य बोलेगा और जो असत्य बोलन वाला है वह शपथ लेने पर भी असत्य ही बोलेगा। इस लिये जो शपथ लेने वाला अंग है कानून का अगर वह हट जाये तो भी कोई हर्ज नहीं है शपथ लेने

† मूल अंग्रजी में

का जो ढोंग है अगर वह न रहे तो कोई हानि होने वाली नहीं है। सत्यवादी शपथ ले कर भी सत्य बोलेगा और न ले कर भी सत्य बोलेगा। इस लिये शपथ लेने का जो रिवाज है वह सिर्फ एक फार्मेलिटी ही है। यह बिल्कुल निकम्मी चीज है और उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिय। दुनियां में एक बात चलती आई है कि कानून की नजर में जो बात शपथ ले कर कही जाती है, उस को सत्य माना जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है।

एक बात जो इस विधेयक में है जो कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के संशोधन के रूप में आया है, कि अगर कोई गलत बयानी करे, गलत उत्तर दे तो भी अभियुक्त को उस के लिये सजा नहीं दी जा सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि इस के पीछे क्या सिद्धान्त है। अगर बयान न दे तो ठीक है, वह समझ सकता है कि सत्य बोलने से वह फंस जायेगा, या जो अभियोग उसके खिलाफ है उस का समर्थन हो जायेगा, ऐसी स्थिति में उस का अधिकार दिया गया है कि वह बिल्कुल न बोले, जवाब न दे। इतना ही काफी है उस के बचने के लिये। कानून की नियत अभियुक्त को फंसाने की नहीं होनी चाहिये यह ठीक बात है, अगर अभियुक्ता यह देखता है कि मुकदमे में अपने बयान से वह फंस जायेगा तो उस के लिये इस धारा के अन्दर दिया हुआ है कि वह प्रश्नों का जवाब न दे। प्रश्नों का उत्तर न देने से अदालत के जज या जूरी को अधिकार है कि वह जो चाहे इस का मतलब समझ लें। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का यही उद्देश्य है लेकिन चूंकि बहुत दिनों से यह बात चली आई है इस लिये हमारे देश में जो भी न्याय करने वाले लोग हैं, वकील लोग हैं, उनकी राय ले कर सदन अपना निर्णय दे तो अच्छा होगा। इसी लिये मैं ने यह संशोधन दिया है कि इस में जो दो बातें रक्खी गई हैं एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३४२ का संशोधन और दूसरे प्रोबेशन आफ आफन्डर्स एक्ट की धारा ५६२ का भी माननीय सदस्य ध्यान रक्खें। अगर कोई आदमी सच्ची बात कह दे, अदालत के सामने कह दे तो जो जज है वह उस को प्रोबेशन पर छोड़ सकता है, इस प्रश्न को भी, जैसे बहुत सी बातें अदालतों के विचार के लिये हैं, ध्यान में रक्खा जाये तो कोई हर्ज नहीं है। इन दोनों धाराओं के सम्बन्ध में हमारी अदालतें जो हैं, जज लोग हैं, वकील लोग भी हैं। उनकी क्या राय है इसको भी जानने की जरूरत है। जब उन लोगों की राय हम को प्राप्त हो जाये उस वक्त यह सदन इस पर विचार कर सकता है। जो भी राय प्राप्त होगी उस के आधार पर इस सदन को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३४२ और ५६२ के संशोधन पर विचार करने का मौका मिलेगा। जो भी राय प्राप्त हो उस के आधार पर हम अपनी समझ से जैसा मुनासिब समझें वैसा करें। इस विधेयक की जो भावना है वह सराहनीय है, लेकिन कब्ल इस के कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का संशोधन करें हम को इस बारे में राय जान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ में संशोधन की भावना का समर्थन करता हूं और अपना संशोधन पेश करता हूं। मुझे आशा है कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगा।

श्री र० द० मिश्र (बुलन्दशहर) : चेअरमैन महोदय, जो यह विधेयक इस हाउस के सामने श्री रघुवीर सहाय जी ने रक्खा है, उस के पीछ जो मंशा है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि आज कल अदालतों में झूठ बहुत बढ़ गया है और कोई न कोई कार्रवाई कर के उसकी रोक थाम करनी चाहिये। जब जाब्ता फौजदारी का अमेंडमेंट हुआ था उस वक्त भी मैंने यह अर्ज किया था कि जो बहुत सी खराबियां हैं कानन में, वह निकाली जायें। कुछ थोड़ी सी उसमें से निकाल भी ली गई, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि अभी तक हम ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिस से हमारी अदालतों में यह झूठ बोलना खत्म हो जाय। इस के मुताल्लिक बड़े बड़े जजों की राय, वकीलों की राय और आम लोगों की राय एक ही है कि अदालतों में झूठ बढ़ा हुआ है। उसके लिये कानूनी कर्रवाई हो सकती है, लेकिन हमारे भाई ने जो झूठ को रोकने के लिये यह बिल रक्खा है, उस से मैं नहीं समझता कि वह मतलब पूरा हो सकेगा।

[श्री र० द० मिश्र]

मैं ने इस के मुताल्लिक अपनी एक तरमीम रक्खी थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ताकि जो जायज बात हो उसे मान कर दफा ३४२ में जो झूठ बोलने वाली बात है उस को किसी तरह से निकाल दिया जाय। किन शर्तों के साथ निकाला जाय, जरा इस पर गौर कर लिया जाय तो ठीक होगा। लेकिन मेरे भाई श्री श्रीनारायण दास ने इस में एक संशोधन रक्खा है कि इस को राय आम्मा के लिये भेजा जाय। मैंने भी यह मुनासिब समझा कि स्टेट गवर्नमेंट्स से, बकीलों से, जजों से और दूसरे लोगों से उन की राय मांगी जाय। जब हर एक की राय इस पर आजाय कि यह झूठ बोलना किस तरह से बन्द हो तब इस पर गौर करना ज्यादा अच्छा होगा। इसी लिये मैंने अपना अमेंडमेंट इस हाउस के सामने नहीं रक्खा। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस पर बड़े से बड़ वकीलों की, बड़े से बड़े जजों की राय आ जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। यह बात जरा अच्छी नहीं मालूम होती है जो कि हम न दफा २४५ में रक्खा है। असल में इस का मंशा यह है कि अगर किसी मुल्जिम के खिलाफ किसी मुकदमे में कोई वाक्यात आये, तो उन को समझाने का मौका मुल्जिम को देना चाहिये। अगर वह यह समझ रहा है कि यह जो हालात हैं वह किसी खास बात से आ गये और उस में वह सच बोल कर, ठीक बात कह कर उसे समझा सकता है, जो दूसरों की समझ में नहीं आये और उस से वह अपनी बरीयत पा सकता है तो वह अपने बयान में उसे लिख दे। अगर वह समझता है कि मैं बयान न दूं, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिये तो वह चुप रह सकता है, लेकिन इसमें जो यह बात लिखी गयी है कि अगर वह झूठ बोले तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहता था कि ये शब्द निकाल दिये जायें। लेकिन इन शब्दों के निकाल देने से इसमें फर्क पड़ जाता है जिससे मुझे डर लगता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय या इसको पबलिक ओपीनियन जानने के लिये सरकुलेट किया जाय।

मैंने पहले यह देखा है कि जब दफा १६२ के अन्दर तरमीम होने की बात हुई थी तो पहले एक्ट में यह था कि थानेदार के सामने अगर तहकीकात में कोई गवाही देता था तो उसको सच बोलना पड़ता था। अगर कोई गवाह किसी वजह से शहादत नहीं दे पाते थे या उनकी शहादत गलत मानी जाती थी तो मुकदमा चलाया जाया था कि उन्होंने थानेदार के सामने सच नहीं बताया। उस वक्त उसमें से यह शब्द "ट्रूली" (सत्य) निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जो मुकदमे चले तो उन में अदालतों ने यह मतलब लगाया कि यह शब्द निकाल दिया गया है, इसलिये अब झूठ बोलन की खुली छूट है। अब तो वह थानेदार के सामने झूठ बोल सकता है। इसी तरह से इस में लिखा गया है कि अगर वह झूठा बयान देता है तो भी उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। इससे भी हमने एक तरीके से खुला लाइसेंस दे दिया है मुलजिमान को वे झूठ बोलें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब हम उसको निकाल देना चाहते हैं। कहीं अदालतें इसका यह मतलब न निकालें कि चूंकि मुलजिम ने गलत बयान दिया है इसलिये उसे जेल भेज दें। इस तरह उसे सजा हो जायगी। इसलिये मैं चाहता था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय लेकिन सिलेक्ट कमेटी के लिये मेरा प्रस्ताव नहीं था। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम राय आम्मा जान कर किसी सही नतीजे पर पहुंचें और कोई ऐसा तरीका निकल सके कि अदालतों में झूठ बोलना बन्द हो जाये। यह जितनी जल्दी बन्द हो जाय उतना ही अच्छा होगा क्योंकि झूठ की वजह से हमारा बहुत नैतिक पतन हो गया है और हम अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को राय आम्मा जानने के लिये भेज दिया जाय।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : श्री श्रीनारायण दास ने यह संशोधन

† मूल अंग्रजी में

प्रस्तुत किया है कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। विधेयक का उद्देश्य तो अच्छा है कि अदालतों से झूठ को समाप्त किया जाय और मुकदमें बाज़ लोग सच बोलने के लिये प्रोत्साहित किये जायं। प्रस्तावक महोदय चाहते हैं कि शब्द "अथवा उनको गलत उत्तर देकर" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ से निकाल दिये जांय। प्रश्न यह है कि धारा ३४२ के अन्तर्गत यदि कोई अपराधी व्यक्ति अपने वक्तव्य में गलत उत्तर देता है तो क्या उस पर गलत गवाही देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा १९१ के अन्तर्गत मुकदमा चल सकता है। मैं इस पर भी साथ साथ विचार करूंगा। इससे पूर्व मैं उन महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखूंगा जो इन धाराओं को संशोधित करते समय प्रस्तावक और जनसाधारण को अपने सामने रखना चाहिय।

यह बात ठीक है कि अभियुक्त को सच बोलना है, परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि उसे अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार है। इसके लिये यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह वक्तव्य दे, चाहे न दे। प्रस्तावक महोदय जानते हैं कि फौजदारी के मामलों में दो बातों का पूरा ध्यान रखना होता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूरी तरह मामला स्थापित करना अभियोक्ता पक्ष का कर्तव्य होता है। यह पहली बात है और दूसरी बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि अभियुक्त अपना वक्तव्य अवश्य दे। इसका प्रभाव उसके मामले पर नहीं पड़ना चाहिये दंड विधि-शास्त्र के ये दो आधारभूत सिद्धान्त हैं। यद्यपि यह ठीक है हमें कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर हमें यह आदत डालनी चाहिये कि हम अदालतों में सच बोलें। परन्तु हमें यह देखना होगा कि क्या इस प्रकार अभियुक्त की सफाई पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दंड विधि तथा प्रक्रिया के अनुसार हमें यह देखना होता है कि अभियुक्त की सफ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। इसी करण सावधानी के ख्याल से इन शब्दों को लिया गया है :

> "कि अभियुक्त यदि उत्तर नहीं देगा अथवा गलत उत्तर देगा तो उस कारण उसे सजा नहीं दी जायेगी।"

भारतीय दंड संहिता की धारा १९१ के अन्तर्गत झूठी गवाही देने पर सजा दी जाती है। इस धारा में यह जोर दिया गया है कि शपथ पर दिये गये वक्तव्य का सही होना जरूरी है। धारा में कहा गया है कि जो कोई लोग सच कहने की शपथ ले कर भी झूठी बात कहता है उसे झूठी गवाही देने वाला कहा जायेगा। इस लिये प्रश्न होता है कि क्या उसे गलत गवाही देने की सजा दी जायेगी। मैं सरकार की ओर से कुछ नहीं कह रहा लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि इसके लिये उसे सजा नहीं दी जायेगी। तो फिर इसमें यह शब्द क्यों डाले गये हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४२ में यह शब्द इस लिये डाले गये हैं ताकि अभियुक्त अपने मन में अपने आप को सुरक्षित समझे। सफाई पेश करने में अभियुक्त को यह समझ कर चलना होता है कि उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिये। वर्तमान विधि में उसके इस अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। इसलिये मैंने कहा कि ये शब्द सावधानी के लिये रखे गये हैं। इसका उद्देश्य झूठ को प्रोत्साहन देना नहीं, प्रत्युत अभियुक्त को यह मानसिक आश्वासन देना है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकता है। दांडिक विधि-शास्त्र के सिद्धान्तों में इसकी व्यवस्था है; इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात को जनता द्वारा अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि यह शब्द वहां क्यों रखे गये हैं।

अन्य बात धारा ५६२ से सम्बन्धित है। वास्तव में इससे दो बातें पैदा होती हैं। धारा ५६२ को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा १९ को ध्यान में रखते हुये समझना चाहिये। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा १९ में यह कहा गया है कि अधिनियम जहां जहां लागू

[श्री दातार]

होगा वहां धारा ५६२ लागू नहीं होगी। इस लिये परिवर्तन केवल धारा ५६२ में ही नहीं होगा प्रत्युत अपराधी प्रतिषेध अधिनियम में भी परिवर्तन करना होगा।

जहां तक इस संशोधन के गुणावगुणों का सम्बन्ध है एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिये। माननीय सदस्य चाहते हैं कि "और यदि अपराधी बिना कोई बात छिपाते हुये बिलकुल सच्चा वक्तव्य दे" शब्द जोड़े जांय। मान लीजिये यह शब्द जोड़ दिये गये। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य चित्र का दूसरा रूप भी देखें। यदि वह सच्ची बात कहता है तो उसे कुछ रियायत दे दी जाती है। परन्तु इससे उलटी बात को भी देखना चाहिये। कई ऐसे मामले हो सकते हैं जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५६२ और अपराधी प्रतिषेध अधिनियम की धारा १८ लागू होती हों और अपराधी एक नवयुवक हो। यदि वह सच कह देता है तो मामला ठीक हो जाता है, परन्तु यदि वह वक्तव्य नहीं देता तो क्या होगा? दंडाधिकारी अथवा अदालत वक्तव्य न देने की बात पर ध्यान दे सकती है और इस से उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने का भी भय हो सकता है। जब मामला अदालत के समक्ष हो तो सारी बातों का ध्यान रखना ही होता है। सारी बातों को देखते हुये हालात के अनुसार मुझे विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने पर कोई आपत्ति नहीं। प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में जनता यदि सारी बातें जान जाये तो अच्छा ही है। माननीय सदस्य जो चाहते हैं वह अच्छी बात है परन्तु उन्हें यह भी समझना चाहिये कि इसका प्रभाव क्या होगा। जनता को हर बात समझ लेनी चाहिये।

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम) : यह बात तो निर्विवाद है कि अदालतों में झूठ नहीं बोला जाना चाहिये। परन्तु मैं प्रस्तावक महोदय की यह बात नहीं मानता कि सभी स्थनों पर झूठ ही बोला जाता है। एक बात यह कही जाती है कि वकील लोग झूठी गवाहियां बनाते रहते हैं। एक वकील होने के नाते मैं बता सकता हूं कि यह बिलकुल गलत बात है।

इसके अतिरिक्त मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि मंत्री महोदय विधेयक को परिचालित करने के लिये तत्पर हैं। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी कुछ आवश्यकता है और क्या इससे कुछ लाभ होगा।

मंत्री महोदय ने भारतीय दंड संहिता की धारा १९१ का उल्लेख किया। मेरा मत है कि विधि में यह व्यवस्था तो रहनी ही चाहिये कि शपथ पर झूठ कहने वालों को दंड दिया जाये। हमारे धर्मग्रंथों में तो प्रत्येक प्रकार के झूठ के लिये दंड की व्यवस्था है।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २५ अगस्त, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११३३—११६१
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३९२	पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	११३३—११३५
३९३	भूमिहीन श्रमिकों का बसाया जाना	११३५—११३७
३९४	स्ट्रैप्टोमाइसीन का निर्माण	११३७—११३८
३९५	श्रमिकों के लिये आवास	११३८—११३९
३९६	भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा "जिहाद" आन्दोवलन	११३९—११४१
३९८	नारियल जटा उद्योग	११४१—११४२
३९९	प्रशासन्त महासागर में उद्जन बम का परीक्षण	११४२—११४३
४००	चटनी का निर्यात	११४३—११४४
४०२	सिन्दरी फोर्टलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	११४४—११४५
४०३	विस्थापित व्यक्तियों के दावों की पड़ताल	११४५—११४६
४०४	चीनी मिलों की मशीनरी का निर्माण	११४६—११४८
४१०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	११४८—११४९
४११	मंगला बांध	११४९—११५०
४१३	कोयला खान के भीतर आग	११५१—११५२
४२०	केरल राज्य में राज्य ब्यापार निगम	११५२
४२१	नाभिकीय परीक्षण	११५२—११५३
४२२	कार्य और अनुस्थापन केन्द्र	११५३—११५४
४२३	इंजीनियरिंग के सामान का निर्यात	११५४—११५५
४२४	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की वस्तियां	११५५—११५७
४२५	आणविक विकिरण के प्रभावों के बारे में संयुक्त राष्ट्रीय समिति	११५७—११५८
४२६	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	११५८—११५९
४२८	सोडियम सल्फेट और जिप्सम	११६०
४२९	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	११६०—११६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		११६१—११९५
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३९७	कोठागुडियम में अपमोचन केन्द्र	११६१
४०१	लाजपतराय मार्केट में दूकानें	११६१—११६२
४०५	परियोजनायें	११६२
४०६	अल्जीरिया	११६२
४०७	निर्यात संवर्द्धन	११६३
४०८	भारत का मानचित्र	११६३
४०९	निर्यात संवर्द्धन समिति	११६३—११६
४१२	सीमेंट उद्योग के लिये मशीनें	११६
४१४	मंत्रालय में समन्वय	११६४—११६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४१५	उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना	११६५
४१६	ब्यंग चित्रों का आयात	११६५
४१८	ब्रिटेन को निर्यात	११६५–११६६
४१९	रवीन्द्र संगीत के देर तक बजने वाले रेकार्ड	११६६
४२७	खनन बोर्ड	११६६
४३०	पशुओं की खालों का निर्यात	११६६–११६७
४३१	काम दिलाऊ दफ्तर	११६७
४३२	तम्बाकू का आयात	११६७
४३३	श्री लंका से लौटे हुये भारतीय	११६७–११६८
४३४	पूर्वी पाकिस्तान के लिये ढोर	११६८
४३५	विकास कार्यों का अतिरिक्त कार्यों पर खर्च	११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७२५	कागज उद्योग	११६९
७२६	काम दिलाऊ दफ्तर	११६९–११७०
७२७	बम्बई राज्य में वस्त्र उद्योग	११७०
७२८	खेल का सामान	११७०
७२९	भारत सेवक समाज	११७०
७३०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन	११७१
७३१	श्रम पंचाट	११७१
७३३	अल्प आय वर्ग आवास योजना	११७१
७३४	भारत सेवक समाज	११७२–११७३
७३५	हथकरघा उपकर निधि	११७३
७३६	कोर्ट फीस	११७३–११७४
७३७	भाखड़ा नंगल परियोजना पर पुस्तिका	११७४
७३८	साइकिल बनाने के कारखाने	११७४
७३९	रोजगार की सम्भावना	११७४–११७५
७४०	औद्योगिक विकास	११७५
७४१	पाकिस्तान में भारतीयों की सार्थे	११७५
७४२	राज्य उपक्रम	११७५–११७६
७४३	नारियल की जटा की चटाइयां और पट्टियां	११७६
७४४	सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय द्वारा साइकिलों की खरीद	११७६
७४६	दिल्ली स्थित पंजाब सरकार के भवन	११७७
७४७	पुराने किले में विस्थापित व्यक्ति	११७७
७४८	अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना	११७७–११७८
७४९	कीर्तिनगर बस्ती	११७८
७५०	दूतावासों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति	११७८–११७९
७५१	उत्पादन केन्द्रों के लिये स्थायी समिति	११७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
७५२	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	११७९–११८०
७५३	जहाजों में भारतीय प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन	११८०
७५४	घड़ियों का आयात	११८०
७५५	आसामी दस्तकारियों के लिये एम्पोरियम	११८१
७५६	काम-दिलाऊ दफ्तर	११८१–११८२
७५७	सतर्कता विभाग	११८३
७५८	संसद् सदस्यों के लिये नौकरों के क्वार्टर	११८३
७५९	बोलपाड़ा में एक भारतीय की हत्या	११८३–११८४
७६०	अभ्रक का निर्यात	११८४
७६१	अम्बर चरखे	११८५
७६२	कोयला खानें	११८५
७६३	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	११८५
७६४	नागा	११८५
७६५	भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक	११८६
७६६	राष्ट्रमंडल प्रसारण सम्मेलन	११८६
७६७	टैक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र	११८६
७६८	डीज़ल ट्रक	११८७
७६९	पंजाब में हथ करघा उद्योग	११८७
७७०	चो यू पर्वतारोहण	११८७–११८८
७७१	लोह-अयस्क का निर्यात	११८८
७७२	छोटे पैमाने के उद्योग	११८८
७७३	सीमा पर गोलीवर्षा	११८८–११८९
७७४	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	११८९
७७५	त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगार	११८९
७७६	दिल्ली में भूमि	११८९–११९०
७७७	बन्दोवस्त आयुक्तों का सम्मेलन	११९०
७७८	भारत-पाक करार	११९०–११९१
७७९	अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति	११९१
७८०	काजू का निर्यात	११९१–११९२
७८१	उड़ीसा राज्य की योजना	११९२
७८२	नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	११९२
७८३	रूस और चीन में भारतीय चलचित्र	११९२
७८४	अम्बर चर्खा	११९३
७८५	घड़ियों का आयात	११९३
७८६	छोटे पैमाने के उद्योग	११९३–११९४
७८७	श्रमिक सहकारी संस्थायें	११९४
७८८	बांध परियोजनाओं पर चल-चित्र	११९४
७८९	इंग्लैण्ड से आयात किये गये चल-चित्र	११९५

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११३५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५७२, दिनांक ४ जुलाई, १९५८ में प्रकाशित ५७२ श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होन वाले वर्ष के लिये अशोक होटल लिमिटेड के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की, लेखा परीक्षित लेखे सहित, एक प्रति :

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) पैरा-अमीनोसैलीसिलिक एसिड उद्योग को, संरक्षण और अथवा सहायता देने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५८) ।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या २ (२)—टी० आर० ५८ दिनांक २० अगस्त, १९५८ ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये सयम का बढ़ाया जाना .	११९६

सरदार हुक्म सिंह ने प्रस्ताव किया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय २७ अगस्त, १९५८ तक बढ़ा दिया जाये ।

विधेयक विचाराधीन	११९७-१२१०

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ विचार करने का प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ । . . .	१२११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . . .	१२११-१२१५

(१) श्री झूलन सिंह का तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८

(२) श्री नारायण गणेश गोरे का भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन विधेयक १९५८ (**धारा ३ का संशोधन और धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना**) ।

विषय पृष्ठ

गैर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित—(क्रमशः)

(३) श्री अरबिन्द घोषाल का औद्योगिक विवाद (संशोधन विधेयक, १९५८ (धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन) ।

(४) श्री अरबिन्द घोषाल का कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ (अनुसूची १ का संशोधन) ।

(५) श्री केशव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ११६ क का संशोधन) ।

(६) श्री जगदीश अवस्थी का संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ६ का संशोधन) ।

(७) श्री झलन सिंह का पशुओं के चारे के निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८

(८) श्री राजेन्द्र सिंह का विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८ ।

(९) सरदार अमर सिंह सहगल का सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८

(१०) श्री तंगामणि का एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८ ।

(११) श्री तंगामणि का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(१२) श्री बालकृष्ण वासनिक का संविधान (संशोधन) विधेयक, ९५८ (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)

गैर सरकारी सदस्यका विधेयक वापस लिया गया १२१५-१२२५

श्री झूलन सिंह द्वारा २-५-५८ को प्रस्तुत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५८ (नई धारा ८ का रखा जाना) पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई और विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन १२२५-१२३२

श्री रघुवीर सहाय ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २५ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि—

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा तथा उनका पारित किया जाना ।